लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र]

Fourth Session

[खंड 15 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 40, बुधवार, 10 अप्रैल, 1968/21 चैत्र, 1890 (शक)
No. 40, Wednesday, April 10, 1968/Chaitra 21, 1890 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1137. यूनिवर्सल प्रेस सर्विस द्वारा पश्चिम जर्मनी के प्रचार साहित्य का वितरण	Distribution of West German Propaganda Features by Universal Press Service ..	1403—1406
1138. कीनिया में एशियाई लोगों के बारे में पाकिस्तान की प्रार्थना	Pak Approach regarding Asians in Kenya..	1406—1408
1139. अफ्रीकी देशों से निकाले गये भारतीयों का पुनर्वास	Rehabilitation of Indians expelled from African Countries ..	1408—1413
1140. श्रीलंका में भारतीय बैंक	Indian Banks in Ceylon ..	1413—1414
1141. हिन्द महासागर से ब्रिटिश सेनाओं का हटाया जाना	Withdrawal of British Forces from the Indian Ocean ..	1414—1419
अ० सू० प्र० संख्या S.N. Q. No.		
19. बम्बई में चलचित्रों का निर्माण स्थगित किया जाना	Suspension of Production of Films in Bombay ..	1420—1425
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1142. अफ्रीकी देशों में बसे हुये भारतीयों से प्रार्थना-पत्र	Requests from Indians settled in African countries ..	1425
1143. अधिकारियों की पेंशन	Pension of Officers	1426

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1144. अधिकारी संवर्ग में रिक्त स्थान	Vacancies in Officers' Rank	.. 1426—1427
1145. योजना के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	ARC on Planning	.. 1427
1146. नागा लोगों द्वारा लाये गये शस्त्रास्त्र	Arms and Ammunition brought by Nagas	.. 1427
1147. रूस की कश्मीर नीति	Soviet stand on Kashmir	.. 1427—1428
1148. समाचार-पत्रों के स्वामित्व के बारे में एकाधिकार	Monopoly Concentration of Ownership of News papers	.. 1428
1150. पाथेट लाओ द्वारा की गई शिकायतें	Complaint lodged by Pathet Lao	.. 1428—1429
1151. केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार	Discriminatory treatment by the Central Government between States	.. 1429
1152. अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint	.. 1429—1430
1153. आण्विक ऊर्जा विभाग के अधीन सरकारी उपक्रम	Public Undertakings under Department of Atomic Energy	.. 1430—1431
1154. सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर	Sainik School, Bhubaneswar	1431
1155. राजनैतिक शरण देने के बारे में परिपत्र	Circular regarding Grant of Political Asylum	.. 1431—1432
1156. रूसी जहाजों की भारतीय पत्तनों की सद्भावना यात्रा	Goodwill Visit by the Soviet Ships to Indian Ports	.. 1432
1158. भारतीय पाकिस्तान संघर्ष के दौरान निजी मोटर गाड़ियों का प्रयोग	Requisitioning of Private Vehicle during Indo-Pak. Conflict	.. 1432—1433
1159. योजना आयोग सचिवालय में बचत	Saving in Planning Commission Sectt.	.. 1433
1160. वियतनाम तथा मध्य पूर्व स्थिति पर शांति वार्ता के लिये गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन	Conference of Non-aligned Nations for Peace talks on Vietnam and Middle East Situation	.. 1434
1161. हज यात्री	Haj Pilgrims	.. 1434—1435
1162. लड़ाकू सेनाएं	Fighting Forces	.. 1435
1163. प्रतिरक्षा संस्थानों के मेसों/क्लबों/संस्थाओं में वातावरण	Atmosphere in Defence Establishments' Messes/Clubs/Institutes	.. 1435

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1164. आयुध कारखाने	Ordnance Factories	..	1436
1165. सशस्त्र सेनाओं को मोहन मेकिन ब्रीवरीज द्वारा XXX रम की सप्लाई	Supply by Mohan Mekin Breweries of XXX Rum to Armed Forces	..	1436—1437
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
6800. चलचित्रों का सेंसर किया जाना	Censoring of Films		1437
6801. सैनिकों के लिये पत्र पत्रिकायें	Magazines for Troops	..	1437—1438
6802. आकाशवाणी के संवाददाता	AIR Correspondents	..	1438—1439
6803. भारतीय फिल्म संस्था, पूना	Film Institute of India, Poona	..	1439—1440
6804. आकाशवाणी केन्द्र, श्रीनगर में एक मैकेनिक की मृत्यु	Death of Mechanic at AIR Station, Srinagar	..	1440
6805. आकाशवाणी के विद्युत विभाग में अनर्ह कर्मचारी	Non-qualified Workers in Electricity Department AIR	..	1440—1441
6806. अधिक वोल्ट की बिजली के काम करने के लिये सक्षम कर्मचारी	Competent Workers to attend High Electric Voltage	..	1441—1442
6807. समाचार-पत्र संवाददाताओं को मान्यता देना	Accreditation of Press Correspondent	..	1442
6808. गत आम चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री के दौरे	Prime Minister's Tours during the last General Elections	..	1442—1443
6809. पाकिस्तान जाने वाले यात्रियों के लिये सुविधायें	Facilities to Pilgrims to Pakistan	..	1443—1444
6810. राष्ट्र मंडल के साथ भारत का संबंध	India's Association with Commonwealth	..	1444
6811. ईरान के सेनाध्यक्ष की भारत यात्रा	Visit by Chief of Iranian Army to India	..	1444
6812. अमरीका तथा रूस के दूतावासों द्वारा आयात किया गया कागज	Paper Imported by Embassies of USA and USSR	..	1444—1445
6813. पश्चिम एशिया की स्थिति	Situation in West Asia	..	1445—1446
6814. वियतनाम के सम्बन्ध में डा० अलेक्स बेबलर की योजना	Dr. Alex Bebler's Plan on Vietnam		1447

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6815.	प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्पादन में आत्म निर्भरता	Self-sufficiency in Defence Production ..	1447—1448
6816.	आकाशवाणी के कलाकारों सम्बन्धी मसानी समिति का प्रतिवेदन	Masani Committee Report on AIR Artistes	1448
6817.	ग्रामीण कार्यक्रम	Rural Programme ..	1448—1449
6818.	आकाशवाणी के कार्यक्रमों के श्रोताओं की प्रतिक्रिया	Reaction of Listeners	1449
6819.	दक्षिण अफ्रीकी शरणार्थियों के लिये धन के लिये संयुक्त राष्ट्रसंघ की अपील	UNO Appeal for Funds for South African Refugees ..	1449—1450
6820.	विदेशों में भारतीय चलचित्र	Indian Films Shooting in Foreign countries	1450
6821.	श्री बीजू पटनायक का पारपत्र	Shri Biju Patnaik's Passport	1450
6822.	भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों में विज्ञापन	Advertisement in Language Newspapers..	1451
6824.	भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति	Posting of IFS Officers ..	1451—1452
6825.	नई दिल्ली में चीन के कार्यवाहक राजदूत के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Chinese Charge d' Affairs in New Delhi ..	1452
6826.	विदेश स्थिति भारतीय मिशनों के साथ टेलेक्स सम्बन्ध	Telex Connection with Indian Missions Abroad ..	1452—1453
6827.	टेलीविजन का विस्तार	Expansion of T.V. ..	1453—1454
6828.	अफ्रीका देशों से एशियाई लोगों का निष्कासन	Expulsion of Asians from African countries	1454
6829.	बर्मा में भारतीय लोगों की आस्तियों को छुड़ाना	Release of Assests of Indians in Burma ..	1454
6830.	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings in Uttar Pradesh..	1455
6831.	प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings under Defence Ministry ..	1455—1456
6832.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन उपक्रम	Undertakings under the control of Ministry of I & B. ..	1456

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6833. विदेशों में नियुक्त भारतीय राजदूतों के बारे में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	Statement by the Union Education Minister About India's Envoys abroad..	1456
6834. अफ्रीकी एशियाई गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन की योजना	Plans for Afro-Asian Non-Aligned Conference ..	1456—1457
6835. एरो इंजन फैक्टरी, सनबेदरा	Aero Engine Factory, Sunabedra	1457
6836. उड़ीसा रेजीमेंट	Orissa Regiment ..	1457—1458
6837. नागालैंड में ट्रान्समीटर	Transmitter in Nagaland	1458
6838. प्रधान मन्त्री के पुत्र के विवाह के अवसर पर रोशनी का प्रबन्ध	Lighting Arrangements on Prime Minister's Son's Marriage	1458
6839. प्रधान मंत्री के पुत्र के विवाह में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के कैमरामैनों द्वारा भाग लिया जाना	I & B Ministry Cameramen Attending Prime Minister's Son's Marriage	1459
6840. बाल चलचित्र समिति	Children's Film Society	1459
6841. कच्छ न्यायधिकरण के लिये अभिवचन	Pleadings for Kutch Tribunal ..	1459—1461
6842. ब्रिटेन के पारपत्र धारियों पर मलयेशिया द्वारा लगाई गयी रोक	Curbs imposed by Malaysia on U.K. Passport Holders ..	1461—1462
6843. उत्तरी वियतनाम को माल की सप्लाई पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Supply of Goods to North Vietnam ..	1462
6844. पाकिस्तान में हिन्दू	Hindus in Pakistan ..	1462
6845. आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा	Education through AIR ..	1462—1463
6846. क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी के कार्यालय को मधुबनी से अन्यत्र से जाया जाना	Shifting of Field Publicity Officer to Madhubani ..	1463
6847. श्रीलंका में मद्रास के मुख्य मंत्री के चित्र वाले बैजों का पकड़ा जाना	Seizure of a consignment of Badges bearing Portrait of Madras Chief Minister in Ceylon ..	1463—1464
6848. भारत चीन संघर्ष	India-China Conflict ..	1464

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6849. हिंडन हवाई अड्डा के असैनिक कर्मचारी	Civilian Employees of Hindon Airport ..	1464—1465
6851. हिंडन हवाई अड्डे में मैस	Mess at Hindon Airport ..	1465
6852. नये आकाशवाणी केन्द्र	New Radio Stations	1465
6853. गुजराती भाषा के दैनिक समाचार-पत्रों के लिए विज्ञापन	Advertisements to Gujarati Dailies ..	1466—1467
6854. रोडेशिया में अफ्रीकी लोगों को फांसी देने के बारे में विरोध	Protest against Execution of Africans in Rhodesia ..	1467
6855. न्यू प्रभात पब्लिसिटी कम्पनी को अखबारी कागज का कोटा	Newsprint quota to New Prabhat Publicity Co. ..	1467—1468
6858. अणु किरणों से कीड़े-मकोड़ों को नष्ट करना	Destruction of Pests by Atomic Rays	1468
6859. हरियाणा में चुनाव के लिए राजनैतिक प्रसारण	Political Broadcast for Haryana Elections..	1468
6860. आयुध कारखाने	Ordnance Factories	1469
6861. महाराष्ट्र में आयुध कारखाने	Ordnance Factories in Maharashtra ..	1469
6863. हिन्दी जानने वाले राजपत्रित अधिकारी	Hindi knowing Gazetted Officers ..	1469—1470
6864. प्रतिरक्षा मंत्रालय में हिन्दी जानने वाले अधिकारी	Hindi knowing officers and staff in Defence Ministry	1470
6865. नागाओं द्वारा शान्ति वार्ता का प्रस्ताव	Offer of Peace Talks by Nagas	1470
6866. फ्रांस से जैट विमान प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान का प्रयत्न	Pak. Attempt to acquire Jet Planes from France	1471
6867. वित्तीय पत्रकारों तथा समाचार-पत्र सम्वाददाताओं की गोष्ठी	Seminar of Financial Journalists Press People	1471
6868. अणु-शक्ति द्वारा उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilizers by Atomic Energy ..	1471—1472

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

6869. नागा तथा मिजो नेताओं की पेकिंग में प्रस्ताविक बैठक	Proposed meeting in Peking of Leaders of Nagas and Mizos ..	1472
6870. राजनैतिक प्रसारण	Political Broadcast ..	1472—1473
6871. समाचार एजेंसियों को भुगतान	Payment in News Agencies ..	1473
6872. पीकिंग स्थित भारतीय दूतावास के प्रचार बुलेटिनों पर प्रतिबन्ध	Ban on Publicity of Bulletins by the Indian Embassy in Peking	1473
6873. गैर-सरकारी फर्मों में वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों द्वारा सेवा किया जाना	Senior Military Officers Joining Private Firms ..	1473—1474
6874. हिन्दी समाचार अभिकरण	Hindi News Agencies ..	1474—1475
6875. कीनिया द्वारा भारत में उच्चायोग की स्थापना	Establishment of High Commission by Kenya in India ..	1475
6876. मद्रास में ट्रांसमिटर	Transmitter at Madras	1475
6877. नये आयुध कारखाने	New Ordnance Factories	1476
6879. टेलीविजन	Television ..	1476—1477
6880. नारकंडम द्वीप	Narcondam Island ..	1477—1478
6881. हिन्दी फिल्मों का निर्माण	Production of Hindi Films	1478
6882. श्रीनगर में टेलीविजन	T.V. in Srinagar ..	1478—1479
6883. परमाणु संयंत्रों का निर्यात	Export of Nuclear Plants	1479
6884. भारतीय वायुसेना द्वारा इटली से हिसपानो कारतूसों की खरीद	Purchase by the IAF of Hispano Cartridges from Italy ..	1479—1480
6885. फिल्म उद्योग में संकट	Crisis in Films Industry ..	1480—1481
6886. चीनी सैनिक का भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवेश	Crossing of Chinese Soldier into Indian Territory ..	1481
6887. ढांडा इंजीनियर्ज (प्राइवेट) लिमिटेड फरीदाबाद को माल के सम्भरण के लिये दिया गया क्रयादेश	Order for Supply of Goods Placed on Dhanda Engineers (P) Ltd. Faridabad..	1481—1482

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6888. श्री ब० रा० भगत की कीनिया यात्रा	Shri B.R. Bhagat's visit to Kenya ..	1482
6889. भारत-बर्मा सीमा पर सुरक्षा पट्टी	Security Corridor on Indo-Burma Border..	1482—1483
6890. नेपाल में फर्ज फिल्म पर प्रतिबन्ध	Film Farz banned in Nepal	1483
6891. विदेशों को सद्भावना शिष्ट-मण्डल	Goodwill Delegations to Foreign Countries ..	1483—1484
6893. राष्ट्रपति केन्याटा का वक्तव्य	Statement by President Kenyatta ..	1484
6894. प्रादेशिक सेना, दिल्ली के वायु प्रतिरक्षा रेजिमेंट में घटी घटना	Incident at Air Defence Regiment of Territorial Army, Delhi	1485
6895. एशिया फाउंडेशन से सहायता प्राप्त करने वाली संस्थायें	Institutes aided by Asia Foundation ..	1485—1486
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
उपप्रधान मंत्री की हाल की सिक्किम, भूटान और अग्रिम क्षेत्रों की यात्रा	Visit of Deputy Prime Minister to Sikkim, Bhutan and forward areas ..	1486—1488
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	1488—1489
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members Bills and Resolutions—	
सताइसवां प्रतिवेदन	Twenty-seveth Report	1489
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
बयालिसवां प्रतिवेदन	Forty second Report	1489
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public underta kings—	
दसवां प्रतिवेदन	Tenth Report ..	1490
अनुदानों की मांगें, 1968-69	Demands for Grants, 1968-69 ..	1490—1513
खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation ..	1490—1513
श्री शिवप्पा	Shri N. Shivappa ..	1490—1492
श्री ब्रह्म प्रकाश	Shri Brahm Prakash ..	1492—1494

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री यज्ञदत्त शर्मा	Shri Yajna Datt Sharma	.. 1494
श्री क० ना० तिवारी	Shri K.N. Tiwary	.. 1494—1495
श्री चित्ति बाबू	Shri C. Chittyababu	.. 1495—1497
श्रीमती शरदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	.. 1497—1499
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	.. 1499—1500
श्री याज्ञिक	Shri Yajnik	.. 1500—1501
श्री जु० रामपथी राव	Shri J. Ramapathi Rao	.. 1501—1502
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	.. 1502—1503
श्री भा० दा० देशमुख	Shri B. D. Deshmukh	.. 1503—1504
श्री भगवान दास	Shri Bhagaban Das	.. 1504—1505
श्री शम्भु नाथ	Shri Shambhu Nath	.. 1505—1506
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	.. 1506
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	.. 1506—1509
श्री दीवीकन	Shri Deiveekan	.. 1509—1510
श्री वे० न० जाधव	Shri V.N. Jadhav	.. 1510—1511
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prasad	.. 1511—1512
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	.. 1512—1513
गैर-सरकारी कम्पनी द्वारा विमान सेवा चलाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion re. Operation of Air Service by a Private Company	.. 1513—1518
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	.. 1513—1515
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	.. 1516—1518

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

10 अप्रैल, 1968 । 21 चैत्र, 1890 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
1415	प्रश्न संख्या 1141 के अंग्रेजी उत्तर के स्थान पर निम्नलिखित हिन्दी रूपान्तर पढ़िये : 'प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) सरकार इस बात की सत्यता को स्वीकार नहीं करती कि स्वेज के पूर्व से सेनाओं को हटा लिये जाने के निर्णय के फलस्वरूप हिन्द महासागर में कोई शक्ति शून्यता उत्पन्न हो जायेगी । हमारा ध्यान अपने तट की तथा व्यापार तथा वाणिज्य की रक्षा से है और इस प्रयोजन हेतु नौसेना को मजबूत बनाने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की जा रही है ।

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 10 अप्रैल, 1968/21 चैत्र, 1890 (शक)
Wednesday, April 10, 1968/Chaitra 21, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

यूनिवर्सल प्रेस सर्विस द्वारा पश्चिम जर्मनी के प्रचार साहित्य का वितरण

*1137. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आरोप की जांच की है कि यूनिवर्सल प्रेस सर्विस पश्चिम जर्मनी की एक प्रचार संस्था द्वारा तैयार किया गया प्रथम प्रचार साहित्य भारतीय दैनिक समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को मुफ्त बांट रही है ;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय प्रकाशकों से यह पता लगाया है कि उन्हें अपने समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए जर्मन डी० ए० डी० के लेखों के कतरन उपलब्ध करने के लिये कितना धन मिलता है ; और

(ग) मद्रास की यूनिवर्सल प्रेस सर्विस को जर्मनी के इन लेखों का भारतीय भाषा में अनुवाद करने और वितरण करने के लिये 1965 से 67 तक कितना धन मिला ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) पूछ-ताछ से पता चला है कि यूनिवर्सल प्रेस सर्विस हैम्बर्ग की एक गैर-सरकारी प्रचार एजेंसी से प्राप्त सामग्री भारतीय समाचार-पत्रों को मुफ्त बांट रही है। बताया गया है कि यह बांटे जाने वाली सामग्री फैडरल गणराज्य-जर्मनी में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर होती है, परन्तु और पूछ-ताछ की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) एक आयात सम्बन्धी आवेदन-पत्र में, यूनिवर्सल प्रेस सर्विस ने यह संकेत दिया है कि उसे पश्चिम जर्मनी से निम्नलिखित आय हुई :

1965		1,85,776/-रुपये
1966	...	2,22,741/-रुपये
1967 (2 जून, 1967 तक)	... ...	1,37,713/-रुपये 25 पैसे

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी सरकार के सूचना विभाग द्वारा-प्रेस सूचना ब्यूरो को एक दर्जन विद्युत् चालित टाइप राइटर तथा "आफ सैट डूपलिकेटर" भेंट किये गये थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : मुझे इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विदेशों द्वारा संचालित सब एजेंसियों जैसा कि नाफेन, यू० पी० एस०, इनफा, ए० ए० एन० एस०, टी० पी० तथा ज्यूनियर स्टैट्समैन इत्यादि के कार्य संचालन की जांच करने का केन्द्रीय गुप्तचर विभाग से अनुरोध किया था तथा क्या ऐसी जांचों के प्रतिवेदन "प्रेस सूचना ब्यूरो" के पास उपलब्ध हैं ?

श्री के० के० शाह : हमने यह नहीं पूछा है।

Shri A. B. Vajpayee : Will the Hon. Minister be pleased to state the name of the proprietor of "Universal Press Service" and whether this has any connection with any of the news agency of West Germany ?

श्री के० के० शाह : यूनिवर्सल प्रेस सर्विस के मालिक का नाम श्री एम० पी० राधाकृष्णन् है तथा उन्हें डाइनस्ट एस डेन्तचियान्द से, जो कि हैमबर्ग की एक एजेंसी है, सामग्री प्राप्त होती है।

Shri Shashi Bhushan Bajpai : I would like to know the amount received by this Agency in terms of foreign currency and Indian currency from West Germany. The translation of the material supplied by the West German Government in Indian languages just as Urdu, Punjabi and Bengali etc. is also done by this agency. I would like to know whether it is a political work or it relates to newspapers only ?

श्री के० के० शाह : जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास थी, उसके आधार पर हमने वर्ष 1965, 1966 और 1967 के आंकड़े बताये हैं। रुपया प्रतिवर्ष प्राप्त होता है और यह रुपया भारत के रिजर्व बैंक के माध्यम से प्राप्त होता है तथा रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में धन प्राप्त होता है और फिर इन एजेंसियों द्वारा की गई सेवा के बदले इन एजेंसियों को रिजर्व बैंक द्वारा रुपये का भुगतान किया जाता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसा कोई नियंत्रण लागू नहीं है कि इस देश का कोई समाचार अभिकरण किसी अन्य देश के

समाचार अभिकरण से सहयोग स्थापित न कर सके। पी० टी० आई० तथा यू० एन० आई० के विभिन्न देशों के समाचार अभिकरणों के साथ सम्बन्ध हैं। "टाइम्स आफ इण्डिया" को भी "न्यूयार्क टाइम्स" से समाचार प्राप्त होते हैं। अतः इस सम्बन्ध में कोई नियंत्रण लागू करना हमारे लिये संभव नहीं है। यह अभिकरण जर्मन दूतावास की सामग्री का भी वितरण करता है।

Shri Rabi Ray : May I know whether Government has received any memorandum against the "Universal Press Service" from a famous Press correspondent, Shri Dipak Chaudhari, who in his respresentation has urged upon the Hon. Minister to take action against the "Universal Press Service"? Shri Chaudhari has since left the service of this service and at present he is working in the "Hindustan Times".

श्री के० के० शाह : यह सच है कि श्री दीपक बसारे चौधरी नामक संवाददाता से, जो इस अभिकरण में काम करते थे, एक शिकायत प्राप्त हुई है। वह इस अभिकरण के मान्यता प्राप्त संवाददाता भी थे। उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : उन्होंने त्याग पत्र क्यों दिया हैं?

श्री के० के० शाह : उन्होंने जो कारण बताया है, मैं उसे ही पढ़ रहा हूं। ताकि मुझे गलत न समझा जाये। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक विशेष कहानी का परिचालन करने से इंकार कर दिया था, जिससे उनके और अभिकरण के बीच मतभेद उत्पन्न हो गये तथा उन्हें त्याग-पत्र देना पड़ा।

Shri Rabi Ray : What is that story?

श्री के० के० शाह : वह कहानी रूस द्वारा एस० यू० 7 बी० सैनिक विमानों की सप्लाई के बारे में है।

Shri Mrityunjay Prasad : It appears that a contract has been made with a private party. The Government had also had a contract with Novasti. I would like to know whether Government had made similar contracts in other countries also and I would also like to know the names of those countries in which such contracts have been made and whether these contracts have been made on similar terms or on different terms?

Shri K. K. Shah : I have made a statement in this House that we have made a contract with Novasti and we are ready to have such contracts with others also. Government of India is not a distributing agency and we are not making any distribution. The distribution work is done by news agencies.

श्री कृष्णमूर्ति : क्या यह सच नहीं है कि यूनिवर्सल प्रेस एजेंसी अपने सह संगठन प्रेस क्लिपिंग सर्विस से बिल्कुल भिन्न है, जिसको कि जर्मनी से प्राप्त होने वाले समाचारों तथा सूचनाओं का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिये धन दिया जाता है तथा क्या विभिन्न देशों से प्राप्त होने वाले समाचारों के परिचालन पर कोई प्रतिबन्ध लागू है, जबकि चीन से प्राप्त होने वाले समाचारों के परिचालन की भी अनुमति दी जा रही है और यदि हां, तो केवल यूनिवर्सल प्रेस सर्विस के प्रति सरकार का एक भिन्न दृष्टिकोण होने के क्या कारण हैं?

श्री के० के० शाह : हमारा कोई भिन्न दृष्टिकोण नहीं है ।

कीनिया में एशियाई लोगों के बारे में पाकिस्तान की प्रार्थना

+

*1138. **श्री चेंगलराया नायडू :**

श्री अंबचेजियान :

श्री दीवीकन :

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने कीनिया को छोड़ने के इच्छुक एशिया मूलक ब्रिटिश प्रजा को ब्रिटेन द्वारा समान अधिकार देने से इन्कार किये जाने का मामला संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने के लिये हाल ही में भारत से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि इस मामले को मित्र राष्ट्रों के साथ गम्भीरता से उठाया जाये, ताकि वह कीनिया छोड़ने वाले भारतीय मूलक लोगों के प्रति न्याय करने के लिये ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालें ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : ऐसा किया जा रहा है ।

श्री चेंगलराया नायडू : यदि हमारी सरकार ने इस मामले को बहुत गम्भीर समझा है तथा यदि हमने अपने मित्र राष्ट्रों को इस बारे में सूचित किया है तो कम से कम उन देशों को तो हमारे हित के लिये ब्रिटिश सरकार पर अवश्य दबाव डालना चाहिये, जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं । क्या आपने इस सम्बन्ध में हर संभव प्रयत्न किया है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा यह देख रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार इस नये अधिनियम को किस प्रकार क्रियान्वित करती है । हम मित्र राष्ट्रों से सम्पर्क बनाये हुए हैं । यदि आश्यकता पड़ी तो हम उनका समर्थन प्राप्त करेंगे तथा ब्रिटिश सरकार पर उनका दबाव डलवायेंगे । हमने पहले ही बहुत से मित्र देशों से बातचीत कर ली है ।

Shri Deven Sen : Will the Hon. Minister be pleased to state whether in the representation sent to British Government on behalf of the Government of India contains this view of the Govt. that this Act discriminate against the Asian people though they are having their valid passports. It is an encroachment on their fundamental rights. Has any reply of the representations been received and if so, the details thereof ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस प्रश्न का उत्तर पहले कई बार दिया जा चुका है। अब स्थिति यह है कि ब्रिटिश सरकार ने उस विशेष विधेयक पर चर्चा करते समय कुछ आश्वासन दिये हैं। हम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा यह देख रहे हैं कि वे उन आश्वसनों को किस प्रकार क्रियान्वित करते हैं। यदि वह उन आश्वासनों को उचित रूप से क्रियान्वित करते हैं, तो उन पर दबाव डालने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री स्वैल : ब्रिटिश पास पोर्ट वाले एशिया मूलक के सम्बन्ध में श्री भगत की कीनिया यात्रा के बाद कीनिया के "डैली नेशन" नामक समाचार-पत्र ने लिखा था :

"भारत के विदेश मंत्री नारोबी में कीनिया सरकार के लिये एक सन्देश लेकर आये थे। उनकी कार्यवाइयां विदेश मंत्रालय के माध्यम से होनी चाहिये थीं। यद्यपि यह सच है कि उन्होंने वैदेशिक-कार्य मंत्री से भेंट की थी, तथापि यह भी सच है कि उन्होंने कुछ अन्य मंत्रालयों के माध्यम से भी राष्ट्रपति से भेंट करने का प्रयत्न किया था।"

"यदि भारत के संसद् सदस्य शिष्टाचार भंग करने की बात करते हैं—जिसका कि उन्होंने विशिष्ट स्पष्टीकरण नहीं किया है—तो शायद उन्हें यह याद दिलाया जाना चाहिये कि उनके मंत्री ने भी शिष्टाचार भंग किया है।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि ब्रिटिश पासपोर्ट वाले भारतीय मूलक लोगों के प्रश्न के सम्बन्ध में हम शिष्टाचार भंग करने के दोषी हैं तथा क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई अन्य कार्यवाही करने का है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री दी० चं० शर्मा

श्री स्वैल : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : उनका प्रश्न क्या है ? उन्होंने "डैली नेशन" नामक समाचार-पत्र का उल्लेख किया है। मैं यह कह सकता हूं कि यह समाचार गलत है। मैंने विदेश मंत्री से अनौपचारिक तथा औपचारिक दोनों प्रकार की बातचीत की थी। इसलिए यह समाचार सच नहीं है।

श्री स्वैल : माननीय मंत्री सभा को गुमराह करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि एक जिम्मेदार समाचार-पत्र ने उनको शिष्टाचार भंग करने का दोषी ठहराया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य ने प्रश्न को देखा है ? यह प्रश्न इस मामले को संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने के बारे में है। माननीय सदस्य बिल्कुल असम्बन्धित प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय सदस्यों को चाहिए कि केवल मुख्य विषय से सम्बन्धित प्रश्न ही पूछें। श्री दी० चं० शर्मा।

श्री दी० चं० शर्मा : ब्रिटिश विनियमन अधिनियम की आलोचना न केवल इस देश में हुई है अपितु ब्रिटेन में भी इसकी कटुआलोचना की गई है। यह अधिनियम समाजवाद के उन सिद्धान्तों के विरुद्ध है जिनकी दुहाई श्री हारल्ड विल्सन देते रहते हैं। यह अधिनियम राष्ट्र मंडल के, जिसके कि हम सदस्य हैं, नियमों के विरुद्ध है तथा यह अधिनियम मानवता विरोधी है। इन सब बातों को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि ब्रिटिश पासपोर्ट वाले भारतमूलक लोगों के लिए श्री हारल्ड विल्सन ने जिस योजनाबद्ध कार्यक्रम की बात कही है, उसके सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या ठोस कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न भी मूल प्रश्न से संगत नहीं है। अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 1139 और 1142 के बारे में

RE : Qn. No. 1139 AND Qn. No. 1142

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री प्रश्न संख्या 1139 और प्रश्न संख्या 1142 दोनों प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न संख्या ...1139... श्री त्यागी उपस्थित हैं। प्रश्न संख्या ...1142... श्री सीताराम केसरी उपस्थित नहीं हैं। अतः माननीय मंत्री केवल प्रश्न संख्या 1139 का उत्तर दें।

Rehabilitation of Indians Expelled from African Countries

*1139. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme in regard to the rehabilitation of lakhs of Indian nationals likely to arrive in India after being forcibly expelled from the East African countries ;

(b) If so, the outlines thereof ;

(c) the number of Indian nationals who arrived in India upto the 15th March, 1968 after leaving East Africa for good ; and

(d) the manner in which Government have rehabilitated them ?

वैदशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (घ) पूर्व अफ्रीकी देशों में भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या लगभग 10,000 है। उनमें से किसी को भी जबरन निष्कासन का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसलिये, उनके पुनर्वास के लिये कोई योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व अफ्रीकी देशों में भारतीय मूल के बहुत सारे व्यक्ति ब्रिटेन के नागरिक हैं और उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं। जबरन निष्कासन होने पर, उनके पुनर्वास का दायित्व ब्रिटिश सरकार के ऊपर है। भारत सरकार के पास उन भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या के बारे में ठीक-ठीक जानकारी नहीं है जो 15 मार्च, 1968 तक पूर्व अफ्रीका से भारत आए हैं।

Shri O. P. Tyagi : May I know whether Government are aware that the Indian nationals living in East Africa are having foreign exchange worth millions of Rupees and their money has been deposited in England. If they are allowed to come back and bring their

money they will be of immense help for our industry and business. Today they are having British passports. I want to know whether Government had not advised them to adopt British citizenship through our High Commissioner? Today, those Indian who are having British passports are willing to adopt Indian citizenship. I want to know whether Government will give them necessary facilities so that they may come back to India with their money and settle here?

Shri Surendra Pal Singh : It has already been made clear that Government of India never advised them to have British passports. They have done so at their own accord. Now if they want to come back, they can come here according to the provisions of the law of the land.

Shri O. P. Tyagi : The Statement given by the Hon. Minister is very much misleading. So I want a clarification. Shri Pant, when he was our High Commissioner in Kenya, he, at the time of Kenya's independence, had advised the Indian nationals there that it was not in their interest to have Indian citizenship. He told them to emphasise on their right of dual citizenship and so, on the advice of the High Commissioner, they accepted British citizenship. Now they have been left in the lurch. They are being accepted neither by Britain nor by India and so they have developed a feeling of hatred against India. I want to know whether necessary facilities will be given to those Indian nationals, who are having British passports and who want to come to India. Is it not our responsibility to give them necessary facilities?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि उच्चायुक्त ने उन नागरिकों को ब्रिटिश नागरिकता स्वीकार करने की सलाह दी थी अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहती हूं कि उस समय कीनिया नागरिकता थी ही नहीं तथा शायद उच्चायुक्त ने यह समझकर जब तक वे कीनिया के नागरिक नहीं बनते, तब तक ब्रिटिश नागरिक होना भारत मूलक लोगों के हित में होगा। ज्योंही कीनिया नागरिकता बनी, उन्हें तुरन्त कीनिया नागरिकता स्वीकार करने को कहा गया था। हो सकता है कि कीनिया की नागरिकता उपलब्ध न होने के कारण, पहले उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता स्वीकार कर ली हो, परन्तु मन्शा यह था कि स्वतन्त्रता के पश्चात् कीनिया की नागरिकता पेश किये जाते ही, वे तुरन्त कीनिया की नागरिकता स्वीकार करेंगे।

हमने पहले ही इस बात की काफी चर्चा की है कि भारत सरकार उन्हें किस प्रकार की सहायता देगी। जैसा कि हमने पहले कहा है, अपने नागरिकों की देखभाल करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की है। यह एक अनसुनी बात है कि कोई देश उन पासपोर्टों को अमान्य घोषित करे, जो उसने स्वयं जारी किये हैं। अतः मैं समझती हूं कि उन भारत मूलक लोगों के हित में यही होगा कि हम उनके मामले में ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालें। हम पहले भी कह चुके हैं कि यदि कुछ व्यक्तिगत मामले होंगे और उन मामलों से सम्बन्धित लोग कठिन परिस्थितियों में होंगे, तो उनके मामलों पर विचार किया जायेगा। मुझे बताया गया है कि विशेष कारणों से 20 ऐसे परिवारों को जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं, दिसम्बर 1967 से भारत में स्थायी रूप से बसने की अनुमति दे दी गई है।

Shri O. P. Tyagi : I would like to know whether Government will give the facility of duty free import of machines to those Indian nationals, who are running their factories there

and want to bring their machines here or who want to bring new machines for their re-settlement ?

Shri Surendra Pal Singh : Certain facilities are given to those, who are coming here, to bring with them some goods stock in trade and machines etc.

श्री रा० बरुआ : वर्तमान अनुमान के अनुसार संसार के सब देशों में बसे हुये भारतीय मूलक लोगों की संख्या 80 लाख है। वर्तमान संकेतों से पता चलता है कि विशेषतया पश्चिम अफ्रीका के देशों में उन लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई पूर्व विचार किया है, कि जब उन लोगों में से अधिकांश को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : कीनिया को छोडकर संसार के किसी अन्य देश ने भारतीयों को देश छोड़ने के लिए नहीं कहा है तथा उनके समक्ष कोई कठिनाई नहीं है। पूर्व अफ्रीका को छोड़कर ऐसी समस्या कहीं पैदा नहीं हुई है।

Shri Shinkre : The policy of the Government of Kenya or other Governments has been made clear so far as those Indian nationals are concerned who are British passport holders. I would like to know whether Government have any information about the policy of those countries in respect of those Indian nationals, who are having Portugese passports and if so the details thereof ?

Shri Surendra Pal Singh : I think their policy is same for all foreign pass port holders —whether they are having British passports or Portugese passports.

श्री लोबो प्रभु : परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं कि निकट भविष्य में लोग अपने आपको भारतीय कहने में संकोच अनुभव करेंगे। इसलिए सरकार को उन भारतीय मूलक लोगों के साथ जिनके पास भारत अथवा कीनिया के पारपत्र नहीं हैं बल्कि जिनके पास ब्रिटिश पारपत्र हैं, विशेष व्यवहार नहीं करना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हम पहले कह चुके हैं कि जब कभी हमें विदेशों में स्थित भारतीबों से आवेदन पत्र प्राप्त होंगे, कि वे भारतीय नागरिक बनना चाहते हैं—तो चाहे उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो अथवा किसी अन्य देश के—उनके आवेदनपत्रों पर मानवीय तथा सहानुभूति के आधार पर पूर्ण विचार किया जायेगा।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : जैसा कि प्रधान मन्त्री ने अभी कहा है वास्तव में यह आश्चर्य की बात है कि ब्रिटिश सरकार अपने ही पारपत्रों को अस्वीकार करे तथा भारत को इस मामले को सुलझाने के प्रयत्न करने पड़े। मान लो यदि भारत के प्रयत्नों के बाद भी यह मामला नहीं सुलझता, तो उन लोगों की स्थिति क्या होगी, जो कीनिया छोड़कर आ रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस सम्बन्ध में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है। जैसा कि उपमन्त्री महोदय ने अभी बताया है हमने ब्रिटिश सरकार को उन आश्वासनों की पूर्ति का अवसर दिया है, जो उन्होंने हमें दिये हैं। यदि वे अपने आश्वासनों को पूरा नहीं करते हैं,

तो हम इस मामले पर आगे विचार करेंगे। परन्तु मैं सभा को बताना चाहती हूं कि 6 मार्च के बाद, जबसे यह अधिनियम लागू हुआ है, ब्रिटेन जाने के इच्छुक लोगों के आवेदन-पत्रों की संख्या में कमी हुई है तथा कीनिया सरकार ने भी अपनी नीति में कुछ ढील दी है और वह लोगों को देश छोड़ने पर बाध्य नहीं कर रही है।

श्री हेम बरुआ : हम ब्रिटेन पर आरोप लगाते हैं कि उसने कीनिया में रहने वाले ब्रिटिश पासपोर्ट वाले इन भारत मूलक लोगों को धोखा दिया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ब्रिटेन ने उन भारतीयों को धोखा दिया है, परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी देशों के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए उन समाचारों की ओर दिलाया गया है, जिनमें भारत सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि वीसा का प्रतिबन्ध लगाकर ब्रिटिश पासपोर्ट वाले लोगों को भारत ने धोखा दिया है ? क्या हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है ? मैं सरकार का ध्यान सर विंस्टन चर्चिल की "माई अफ्रीकन जरनी" पुस्तक की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि कीनिया में भारतीयों ने सम्मानीय काम किया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि भारतीयों ने सारे पूर्वी अफ्रीका में बहुत अच्छा काम किया है। परन्तु मैं नहीं समझती कि माननीय सदस्य ने इन समाचारों से जो निष्कर्ष निकाला हैं वह सही नहीं है। यह सच है कि उन लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, परन्तु हमें यह भी देखना है कि उनको उनके अधिकार प्राप्त हों। सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता को अंगीकार किया है। अतः अब वे अथवा उनमें से कुछ ब्रिटेन में प्रविष्ट होने अथवा अपनी नागरिकता का लाभ उठाने को ही अधिक अच्छा समझेंगे। हम उनकी सहायता के लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether the Hon'ble Prime Minister is aware that the Indians who come from Kenya are obliged to report to the Police Station every week and whether Government treat them as criminals and if not, what are the reasons for in posing such a restriction upon them ?

Shri B. R. Bhagat : It is not at all necessary, that they should report to the police station every week. However, I would make enquiries in this connection.

Shri Atal Bihari Vajpayee : On the one hand the Hon. Minister states that he would make enquiries and on the other, he says that it is not at all necessary. I am saying this on the basis of the information received by me. Indians who have come from Kenya have complained that they have to go to the police station every week.

श्री दामानी : विगत में भारतीय मूल के बहुत से लोग जो हमारे देश में आये हैं उन्हें हमारे अस्पष्ट सीमा-शुल्क तथा आयकर कानूनों के कारण भारी हानि उठानी पड़ी है। उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिये क्या उन कानूनों में संशोधन कर दिया गया है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : कानून में संशोधन कर दिया गया है या नहीं, यह मैं नहीं जानता किन्तु इन लोगों को बहुत सी सुविधायें दी गई हैं।

श्री रंगा : प्रधान मंत्री ने कहा है कि वे उस समय तक प्रतीक्षा करना पसन्द करेंगी जब तक उन्हें यह पता नहीं लग जाता कि हमारे लोग ब्रिटिश पासपोर्ट को ब्रिटेन में बसने को तथा ब्रिटिश पासपोर्ट से लाभ उठाने को क्या-क्या प्राथमिकता देंगे ? क्या सरकार इस सुझाव पर फिर विचार करेगी कि इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिये हमारे कहने पर एक राष्ट्रमण्डल सम्मेलन बुलाया जाना चाहिये ? क्या वे इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने के सम्बन्ध में विचार करेंगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कुछ विशिष्ट व्यक्तिगत मामलों पर अवश्य विचार किया जायेगा। किन्तु हम ब्रिटिश सरकार को उनके राष्ट्रिकों के प्रति उनकी जिम्मेदारी से बचने का कोई अवसर नहीं देना चाहते।

राष्ट्रमण्डल के सम्बन्ध में पहले भी सुझाव दिया गया था और मैंने कहा था कि हम इस पर अवश्यक विचार करेंगे।

श्री मनुभाई पटेल : पासपोर्ट और नागरिकता की इस जटिल समस्या के कारण बहुत से अफ्रीका में रहने वाले भारतीय, जो अपना भविष्य असुरक्षित समझते हैं उन्होंने भारी पूंजी भारत में लगाने की इच्छा व्यक्त की है। यह छोटी रकम नहीं है।

उनकी भारत में धन लगाने की इस प्रार्थना को स्वीकार करने के सम्बन्ध में सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : वे इसे यहां ला सकते हैं। उन्हें कौन रोक रहा है ? वे अपने आप ही आ रहे हैं ?

श्री लोबो प्रभु : वे यह धन वहां से नहीं ला सकते।

श्री मोरारजी देसाई : हमने कहा है कि यदि उन्हें वहां से इस धन को लाने की इजाजत मिल जाती है तो वे ला सकते हैं।

श्री ब० रा० भगत : उन्हें धन लाने की इजाजत हैं।

Shri Beni Shanker Sharma : The Indians settled in Kenya, whether they are rich or poor, would not like to leave the place where they have been residing for centuries and come back to India. I would like to know from Shri Bhagat whether during his recent visit to Kenya, he had discussed with the authorities there about the possibility of permitting the persons already settled in Kenya to live there as usual with honour ?

Shri B. R. Bhagat : I had had a talk in this connection also. The persons who are the citizens of Kenya are even Members of the Parliament there and they are also in Government. About them, we need not talk. I talked with their passport holders and also with the Kenyan Government. They go out as and when they get opportunity to go out. The recent rush was due to the fact that the Kenyan Government had stopped issuing work-permits to all of them at that time but now they have decided to issue these permits for a year or two more.

There should not be any panic in the near future but so far as the distant future is concerned, the passport holders would have to think about their future according to their own conveniences.

श्री ज्योतिर्मय बसु : युगांडा के एक समाचार-पत्र में 9 मार्च को एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें कहा गया था कि 200 ऐशियाई लोगों को, जिनके पास भारतीय या ब्रिटिश पासपोर्ट थे, 30 दिन के अन्दर युगांडा छोड़ने के आदेश दिये गये हैं क्योंकि उन्हें युगांडा के आप्रवासी अधिकारियों द्वारा गलती से उन्हें परमिट जारी कर दिये गये थे। और ये परमिट ठीक नहीं थे और इन्हें जारी नहीं किया जाना चाहिये था।

अतः भारतीय नागरिकता रखने वाले लोगों को बाहर निकलने के लिये कहा जा रहा है। सरकार इस मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए है ?

श्री ब० रा० भगत : भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के कुछ आदेश जारी किये गये थे किन्तु बाद में उन्हें युगांडा सरकार ने वापस ले लिया।

श्रीलंका में भारतीय बैंक

*1140. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका में काम कर रहे भारतीय बैंकों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). श्रीलंका के राष्ट्रिकों द्वारा खाते खोलने के संबंध में, श्रीलंका सरकार ने विदेशी बैंकों पर, जिनमें भारतीय बैंक भी शामिल हैं, कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। चूंकि इनका आशय विशेषतः भारतीय बैंकों के साथ ही भेदभाव बरतना नहीं है, इसलिये सरकार ने श्रीलंका सरकार से इसकी कोई शिकायत नहीं की है।

Shri Madhu Limaye: Has the Government of Ceylon also imposed social control on Banks?

Shri Shiva Chandra Jha: May I know whether it is a fact that the Indian Banks have refused to accept the restrictions imposed on the foreign banks by Ceylon whereas the other foreign Banks have accepted those conditions and if so, whether the Indian Banks have done so of their own accord or at the instance of the Government of India?

Shri B. R. Bhagat: I am taking this information only from the Hon'ble Member. What has the Indian Banks refused to do?

Shri Shiva Chandra Jha: The condition imposed by the Ceylon Government is that the foreign banks must invest a certain percentage of their funds in development. Other foreign

banks have agreed to do so but Indian Banks are not ready to do so. I would like to know whether the Indian Banks have taken this decision of their own accord or at the instance of the Government of India?

Shri B. R. Bhagat: I have no such information available with me.

Shri Shiva Chandra Jha: I would like to know the names of the Indian Industrial Concerns who own the Indian Banks in Ceylon and the amount sent by them every year to India?

Shri B. R. Bhagat: There is a ban even on the profit being sent abroad by the Banks and other Companies.

Shri Shiva Chandra Jha: I have also asked for the name of the Indian Industrial Concern who own these Banks.

Shri B. R. Bhagat: If he wants to know the names of the Banks, they are. State Bank of India, Overseas Banks, and the Indian Bank. These are the three Banks there.

श्री दिनकर देसाई : मंत्री महोदय ने बताया है कि लंका की सरकार ने विदेशी बैंकों पर, जिनमें भारतीय बैंक भी शामिल हैं, प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। क्या सरकार ऐसे ही प्रतिबन्ध भारत में लंका के बैंकों पर लगाने पर विचार कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : भारत में लंका का कोई बैंक नहीं है और हम प्रतिकारात्मक कार्यवाही में विश्वास नहीं करते। मैं यह बता देना चाहता हूं कि लंका के वित्त मंत्री ने वहां की संसद् में एक विधेयक पुर:स्थापित किया है जिसमें उन्होंने कुछ प्रतिबन्धों में ढील देने का प्रस्ताव किया है।

Shri M. A. Khan: Is it a fact that the Ceylon Government have imposed a ban on the import of cotton taxtiles and if so, what would be its effect on our trade?

Shri B. R. Bhagat: If the Hon'ble Member asks a separate question for this, I would reply.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या हमारी सरकार ने लंका में कार्य करने वाले भारतीय बैंकों से इन पाबन्दियों के कारण उन्हें होने वाली असुविधाओं के सम्बन्ध में, उनसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है ?

श्री ब० रा० भगत : कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। वास्तव में यह एक पुराना प्रतिबन्ध है जो 1961 के आसपास लगाया गया था। हाल ही में इस प्रतिबन्ध में ढील देने का एक प्रस्ताव किया गया था।

Withdrawal of British Forces from the Indian Ocean

*1141. **Shri Y. S. Kushwah:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state whether Government contemplate to strengthen its Naval fleet to fill up the power vacuum likely to be created in the Indian Ocean consequent to the British decision to withdraw from there?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): Government do not accept the validity of the proposition that a vacuum will be created in the Indian Ocean on the British decision to withdraw from the areas east of Suez. We are concerned with the defence of our coast-line and the protection of our trade and commerce and for this purpose adequate steps are being taken to strengthen the Navy.

Shri Y. S. Kushwah: I would like to know the extent of the British Naval Fleet that would be withdrawn from the Indian Ocean and the time by when it would be withdrawn and whether India would augment her naval strength to that extent?

श्री स्वर्ण सिंह : इन दोनों का एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है । ब्रिटेन की कुछ नौ-सेना शक्ति हिन्द महासागर के आसपास के विभिन्न भागों अथवा क्षेत्रों मे थी । भारतीय तट पर उनकी नौ-सेना शक्ति नहीं थी । सभा जानती है किं हमारी नीति दूसरे देशों में अपनी नौसेना भेजने की नहीं है । अतः इन दोनों बातों का परस्पर सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Y. S. Kushwah: I would like to know the percentage of the naval fleet that India propose to augment during the current year and also that that it would increase every year in future and whether at the time of augmenting the naval strength it would be borne in mind that the naval strength of India should be by far more than that of those foreign forces who cast an evil eye on the Indian Ocean?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह नहीं बता सकता कि हमारी नौसेना शक्ति में कितने प्रतिशत वृद्धि की जायेगी । सुरक्षा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते समय मैंने कुछ जानकारी दी थी । हमने प्रतिवेदन में भी कुछ जानकारी दी है । हिन्द महासागर बहुत दूर तक फैला हुआ है । हमसे सारे हिन्द महासागर पर नियंत्रण रखने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिये । हमें अपनी रक्षा करनी है और हमें इसके लिये कार्यवाही करनी चाहिये । यह इस बात से भिन्न है जो माननीय सदस्य ने पूछी है कि क्या सारे हिन्द महासागर पर नियंत्रण करने के लिये हम अपनी नौ-सेना शक्ति को समुचित रूप से बढ़ायेंगे । मैं नहीं जानता कि इसका आशय क्या है ।

श्री वेदव्रत बरुआ : मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने कहा है कि हिन्द महासागर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है किन्तु उन्हें साथ ही यह भी मानना चाहिये कि एक शून्यक स्थिति भी हो सकती है और ब्रिटिश नौसेना का हट जाना एक मामूली बात नहीं है और अमरीका के भी वहां से हट जाने के परिणामस्वरूप सम्भव है कि निकट भविष्य में चीन उस शून्य को भरने की कोशिश करे । ऐसी स्थिति में क्या सरकार हिन्द महासागर में रूस की नौसेना के सहयोग से या किसी अन्य देश की सहायता से एक वैकल्पिक सेना तैयार करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : पहले तो हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि कोई शून्यक स्थिति उत्पन्न हो सकती है । यदि किसी क्षेत्र विशेष से कोई विदेशी शक्ति हटती है तो उस क्षेत्र को अपनी रक्षा के लिये और देश की रक्षा के लिये पर्याप्त कदम उठाने चाहिये । यदि वे किसी दूसरे देश की सहायता चाहते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है किन्तु जब अमरीका जैसे देश अपने समुद्र पार बचनों से हट रहा है तो फिर भारत जैसे देश के लिये, जिसने इस सिद्धान्त पर कभी

भी विश्वास नहीं किया, ऐसी बात सोचना हमारे इस समस्या के प्रति दृष्टिकोण से सर्वथा असंगत है ।

Shri George Fernandes: We have been talking about giving some facilities to the Soviet Navy at the Indian ports for the past few days and the fact is that the Soviet Naval Officers had recently visited India and they were here in Delhi as the guests of the Government of India and they were also taken to other naval centres. In this context, I would like to know whether any such agreement between India and Russia has been concluded according to which you intend to provide any facilities for the Soviet Navy at any of the Indian Ports?

श्री स्वर्ण सिंह : भारतीय बन्दरगाहों में किसी भी विदेशी नौसेना को कोई भी सुविधा देने के बारे में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और इस सम्बन्ध में कोई भी समझौता नहीं हुआ है । अतः मैं इस समाचार का विरोध करता हूं जिसे कुछ दिलचस्पी रखने वाले देशों ने फैलाया है । यह समाचार गलत एवं निराधार है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या यह सच है कि अभी थोड़े दिनों पहले भारतीय नौसेना के कुछ जहाज दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की एक सद्भावना यात्रा पर गये थे और यदि हां तो उन्हें कितनी सफलता मिली ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी हां । भारतीय नौसेना के जहाजों ने दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के कई देशों की सद्भावना यात्रायें कीं और उन देशों में उनका काफी स्वागत हुआ और उनके बारे में जो रिपोर्ट हमें मिली है वे काफी उत्साहवर्धक और अच्छी हैं ।

Shri Ghulam Mohammad Bakhshi: I would like to know whether we have sufficient strength or propose to have sufficient strength that in the event of any danger that is likely to arise, we will be able to defend ourselves?

Shri Swaran Singh: Yes Sir, we have a firm intention in this regard.

श्री रा० कृ० सिंह : ब्रिटेन के हट जाने से कोई शून्यक स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी धारणा यह है कि ब्रिटिश सेनाओं के हट जाने से हिन्द महासागर के लोग एक शून्यक स्थिति का अनुभव करेंगे अथवा क्या हमारे दिमाग में या इस सभा के लोगों के दिमाग में कोई भय उत्पन्न हो गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि विश्व के किसी भी भाग में किसी भी राजनीतिक शक्ति के हट जाने या वहां पर सेना की उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं । अपनी सुरक्षा के लिये उपयुक्त कार्यवाही करना सम्बद्ध देशों तथा प्रदेश का काम है और यदि हमसे कहा गया तो हम सहायता करने के लिये तैयार हैं । ब्रिटेन के हट जाने के बारे में विदेशों के समाचार-पत्रों में टिप्पणियां छपी हैं और मेरे विचार में हमारे जो मित्र ऐसे सवाल पूछते हैं वे इस हट जाने के प्रचार करने के ढंग से प्रभावित हैं ।

श्री बलराज मधोक : माननीय मन्त्री ने अभी-अभी कहा कि वे इस बात पर विश्वास नहीं

करते कि एक शून्यक स्थिति उत्पन्न हो रही है और अपने तट के अलावा किसी अन्य बात के बारे में सोचना हमारे सिद्धान्त के विपरीत है। क्या उन्हें इतिहास का पता नहीं है कि ब्रिटिश लोगों ने हमें नौसेना की शक्ति की कमी के कारण ही पराजित किया था तथा देश को सौ वर्ष से भी अधिक उनका दास बनकर रहना पड़ा था। क्या ब्रिटेन ने हिन्द महासागर में अपनी नौसेना शक्ति को किसी उद्देश्य को लेकर बढ़ाया था और क्या भारत की इसके तट के अलावा हिन्द महासागर में कोई रुचि नहीं है ? क्या हिन्द महासागर में ऐसे द्वीप नहीं हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए महत्व पूर्ण हैं और क्या हिन्द महासागर में ऐसे देश नहीं हैं जिनकी सुरक्षा का हमारी सुरक्षा के साथ सम्बन्ध है ? क्या हमारे लिये समय पर कार्यवाही करना उचित नहीं है ताकि इस शून्य को रूस अमरीका या पाकिस्तान न भर सके ?

श्री स्वर्ण सिंह : उपनिवेशी प्रयोजनों के लिये ब्रिटेन द्वारा अपनी नौसेना का विस्तार करना एक ऐतिहासिक तथ्य है। और यह बात सभी जानते हैं कि एक शक्तिशाली नौसेना तैयार करके ब्रिटेन विश्व के बड़े भाग पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हुए थे और उन्होंने उपनिवेश बनाये थे और उसी समय हम भी दास बन गये थे। अब उपनिवेशों को समाप्त किया जा रहा है। अब हमें ऐसी शक्तियों के प्रादुर्भाव को प्रोत्साहित करना चाहिये जो विभिन्न देशों को इस योग्य बना दें कि वे अपनी सुरक्षा की स्वयं देखभाल कर सकें और अपनी ही सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कर सकें। यदि एक शक्ति का स्थान दूसरी शक्ति ले ले तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। हमें राष्ट्रवादी शक्तियों को प्रोत्साहित करना होगा। मुझे हैरानी है कि वे क्या कह रहे हैं क्योंकि जब मैं तटरेखा की बात करता हूं तो वे शायद समझते हैं कि उसमें द्वीप शामिल नहीं हैं। यह सही नहीं है। हमें अपने द्वीपों की रक्षा करनी होगी और इनकी रक्षा करने के लिए कोई भी शक्ति हमारी सहायता नहीं कर सकती।

श्री हनुमन्तय्या : क्या सरकार को पता है कि पिछले बीस वर्षों में रूस की नौसेना इतनी बढ़ गई है कि यह कई मामलों में अमरीका की नौसेना से भी अच्छी है और जो शून्यक स्थिति ब्रिटिश नौसेना के हट जाने के कारण उत्पन्न होगी उसे ये दोनों बड़ी शक्तियां भर देंगी। और वे वहां अपना कब्जा जमा लेंगी ? उस क्षेत्र के लोगों को इस शून्य को स्वयं भरने तथा वहां अपना कब्जा जमाने के लिये उन्हें हम क्या प्रोत्साहन दे रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : फारस की खाड़ी में—जिसे अरबी लोग अरब की खाड़ी कहते हैं—ब्रिटिश नौसेना मौजूद है और वे सिंगापुर में भी हैं। वे हांगकांग से वापस जा रहे हैं। उन्होंने एडेन से वापस जाने का भी फैसला कर लिया है। हम कोई सैनिक समझौता आदि नहीं करना चाहते। हम अपने हितों की रक्षा के लिये भरसक प्रयास करेंगे। हम पूर्व और पश्चिम दोनों ओर अपना नौपरिवहन खुला रखना चाहते हैं। हमारी नौसेना पर इस वजह से जितना बोझ पड़ेगा उसे हम समझते हैं और हम सुरक्षित नौवहन और दूर संचार की लाइनों की रक्षा करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : हिन्द महासागर से ब्रिटिश सेना के हटा लिये जाने के बाद और

इस शून्य के बन जाने के बाद क्या उस क्षेत्र के किसी देश ने इसके बारे में कोई चिन्ता व्यक्त की है और क्या उन देशों ने भारत सरकार से यह उम्मीद की है कि वह एक समझौता करके उन देशों की सहायता करें ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस क्षेत्र के कुछ लोगों ने ब्रिटेन के वहां से हट जाने के बारे में कुछ चिंता व्यक्त की है । किन्तु हमसे किसी ने सहायता नहीं मांगी है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : You have told that after the withdrawal by the Britishers there have been a vacuum and we are not able to fill it up. But it will certainly have its effect on India whether the country filling that gap may be a hostile country or not. I want to know the effect of this withdrawal on India and the steps Government has taken to remove its effect ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): यदि अंग्रेजों के क्षेत्र छोड़ने के पश्चात् अभी भी वहां शत्रुता का वातावरण विद्यमान है तो यह देश के हित में नहीं होगा । लेकिन हमारे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उन देशों द्वारा या दूसरे स्त्रोतों द्वारा यह सोचा जा रहा है कि भारत में नौसेना या सेना का रहना शत्रुतापूर्ण है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय प्रश्नों का उचित प्रकार से उत्तर नहीं देते ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : हमारी दो बेड़े रखने की नीति रही है । एक पश्चिमी किनारे पर तथा दूसरा पूर्वी किनारे पर । हम ब्रिटेन के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास करते हैं । क्या मित्र देशों के सहयोग से भारतीय समुद्र में अभ्यास करने की कोई योजना है ?

श्री स्वर्ण सिंह : ऐसा कहना ठीक नहीं है कि हम ब्रिटेन के साथ मिलकर नौसेना अभ्यास कर रहे हैं इस तरह का अभ्यास करने के लिए हमारे अपने प्रबन्ध हैं । यदि कोई मित्र देश हमारे साथ इस अभ्यास में भाग लेना चाहें तो उनकी प्रार्थना पर विचार किया जा सकता है ।

Shri Madhu Limaye: In reply to Shri George Fernandes' question the Hon. Minister has told that they are not going to give any facilities to the Soviet fleet in that region. It was also told that they were not establishing any base there. I want to know whether our present capacity is enough for protecting our coast line and our islands? If it is not so, whether any talks are going on with the Soviet Union in this regard so that our naval strength may be increased and we may be able to protect our coast line and islands.

श्री स्वर्ण सिंह : अपने तटीय क्षेत्र तथा द्वीपों की रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी है । इस काम में हमारी नौसेना को सहयोग देने के लिए हमारा विचार रूस, अमरीका या ब्रिटेन से कोई सहायता लेने का नहीं है । यह मामला अलग है कि हम और नौसेना के बेड़े प्राप्त कर और अधिक सुविधाओं में विकास कर, अपनी नौसेना की शक्ति में वृद्धि करें । इस सम्बन्ध में मैंने चर्चा के दौरान एक विस्तृत वक्तव्य दिया था । हम विभिन्न स्रोतों से नौसेना बेड़े प्राप्त कर रहे हैं ।

Shri Madhu Limaye: I was asking about Russia. I was not talking about collaboration.

श्री स्वर्ण सिंह : जी, नहीं ।

Shri Bibhuti Mishra: In Shri Golvalkar's statement published in tomorrow's newspaper it has been said that we are going to give charge of Andaman island to Russia. Russian will construct its naval bases there. I want to know Government's reaction thereto?

Shri Swaran Singh: I was surprised how this thing of surrendering Andaman island to Russia arose in the mind of an Indian? I did not see it.

Shri Shashi Bhushan Bajpai: Whether Shri Golwalkar always spread a rumour?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारी हवाई सुविधाएं पर्याप्त हैं । हम नौसेना की सुविधाओं में भी विकास कर रहे हैं ।

श्री रणजीत सिंह : सरकार ने आखिर यह अनुभव किया कि कुछ द्वीपों की जिनकी सुरक्षा भारतीय नौसेना कर रही है वे हमारे ही द्वीप हैं और प्रतिरक्षा बजट पर की जा रही चर्चा पर प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा दिये गये भाषण को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि (क) क्या इन द्वीपों में गश्त की कोई आवधिकता नियत है ताकि इस बात का आश्वासन दिया जा सके कि वर्ष के दौरान किसी द्वीप को गश्त के बिना नहीं छोड़ा जाता । यदि माननीय मंत्री सुरक्षा के कारणवश गश्त की आवधिकता का उल्लेख नहीं कर सकते तो क्या वह कम से कम सभा को इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि वहां पर निर्धारित गश्त की व्यवस्था है और (ख) क्या भूवपूर्व नौसेना के अध्यक्ष के सुझाव पर वह ध्यानपूर्वक विचार कर रहे हैं जिसमें उन्होंने यह सुझाव दिया था कि भारतीय समुद्र के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर नौसेना, वायु सेना के आधार पर गश्तों की व्यवस्था होनी चाहिए । उन सुझावों के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : नौसेना की नावें और नौसेना की गश्त की नावें और दूसरे नौसेना के बेड़े इन विभिन्न द्वीपों का समय-समय पर गश्त लगाते रहते हैं । जहां तक इन पर गश्त लगाने की आवधिकता का सम्बन्ध है, इसकी जानकारी देना उचित नहीं होगा ।

भाग (ख) के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा पूर्वी और पश्चिमी तटों के इन सब क्षेत्रों में समय-समय पर गश्त लगाने की व्यवस्था है ।

श्री रणजीत सिंह : मैं वायु सेना के गश्त की बात कर रहा हूं ।

श्री स्वर्ण सिंह : हवाई टोह भी की जाती है ।

———

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

बम्बई में चलचित्रों का निर्माण स्थगित किया जाना

+

अ० सू० प्र० संख्या 19. श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : श्री हिम्मत सिंहका :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में चलचित्रों का निर्माण बन्द कर दिया गया है, जिससे 10,000 व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं ;

(ख) इस संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार इसको स्थायी रूप से हल करने के लिए चलचित्र उद्योग का तुरन्त राष्ट्रीयकरण करने का विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) से (ग). 28 मार्च, 1968 को जो समझौता हुआ था, जिसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई थी, उसके अनुसार थियेटरों के किराये या अन्य बातों का प्रश्न बाद में पूर्ण विचार-विमर्श के लिए छोड़ दिया गया था परन्तु यह स्वीकार कर लिया गया था कि किराये का प्रश्न इस प्रकार फिर से सुलझा दिया जायेगा जो निर्माताओं के लिए न्यायसंगत हो । किरायों में संशोधन 12 अप्रैल, 1968 से लागू होना था और इस संशोधन का निर्णय 30 अप्रैल, 1968 से पूर्व श्री सी० वी० देसाई और श्री रोशनलाल मलहोत्रा द्वारा घोषित किया जाना था । विचारों में मतभेद होने पर, सूचना और प्रसारण मंत्री को मध्यस्थता करनी थी । ऐसी आशा थी कि यह सिद्धान्त अन्य सरकट्स में भी लागू होगा । दुर्भाग्य से, ऐसा प्रतीत होता है कि 2 अप्रैल, 1968 को बम्बई में फिल्म निर्माताओं ने इससे पूर्व के अपने निर्णय पर, तब तक टिके रहने का फैसला किया जब तक निर्माताओं और फिल्म कलाकारों और निर्माताओं तथा प्रदर्शकों के बीच फैसला नहीं हो जाता ।

ऐसी रिपोर्ट मिली है कि बम्बई में 17 स्टूडियो, मद्रास में पांच और कलकत्ता में एक एक स्टूडियो का काम बन्द हो गया है । हिन्दी की फिल्मों को देखाने वाले थियेटरों पर इसका प्रभाव पड़ा है । ऐसा बताया गया है कि कर्मचारियों को कम नहीं किया जायेगा परन्तु कुछ कर्मचारियों ने बेरोजगारी की शिकायत की है । आजकल 60 रंगीन फिल्मों को मिलाकर, 161 फीचर फिल्में बन रही है और उनका भाग्य खटाई में पड़ा हुआ है ।

सौभाग्य से मद्रास ने हिन्दी फिल्मों का निर्माण और प्रदर्शन फिर से प्रारम्भ कर दिया है ।

निर्माता, वितरक, फिल्मी कलाकार और प्रदर्शक सूचना और प्रसारण मंत्री से मिल रहे हैं । यद्यपि फिल्मों के निर्माण का खर्चा बढ़ गया है परन्तु यह प्रश्न ऐसा नहीं जो हल न हो सके, किराये का प्रश्न अधिक कठिन है ।

स्थिति अभी भी अस्थिर है। इस दिशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयत्न जारी है और समझौते की सम्भावना को रद्द नहीं किया जा सकता। अतः अभी तक सरकार ने राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार नहीं किया है। यह कार्यवाही के निमित्त एक सुझाव है।

Shri George Fernandes : There is exchange of black money in our country and there is eviction of income-tax also. I am here quoting a letter of the Honorary Secretary, Shri Chatterjee of Bombay Film Forum which deals in reforming cinema industry.

"I am definite that if all concerned decide to stop paying black money most of the problems will solve automatically. It is not only big stars but even Smaller fry—art directors, cameramen, music directors, song writers, story writers, theatre owners, in short, everybody who is in a position to demand—get black money. The criterion : if the stars can, why not we ?

It is an important thing that :

"Strangely enough, or should I say, deliberately enough, nobody has raised his little finger against the system of black money ; neither the producer, nor the distributor nor the exhibitor, and I regret to say even representative of the workers"

I want to know, when the Film industry is in trouble due to black money, whether the Government will take some steps to nationalize it, and whether it will appoint a powerful Committee of responsible persons to investigate the conditions of the persons working in this industry.

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : It is true that cinema stars etc. are contracting a very high rate. As a result of it the cost of production has gone up. It is also true that they accept black money. Besides this, the other question that is giving trouble is that the rent of the theatre has also been increased. Producer is a loser from both the sides. I have just received a telegram from the action committee informing me that they will see me within two or three days and will find out some solution of that trouble.

Shri George Fernandes : Whether any reply has been given regarding formation of a Committee

Shri K. K. Shah : Patil Committee was formed in 1951. It has investigated all the matters.

Shri George Fernandes : This is a very serious matter. I have got a Journal in which it has mentioned regarding that agreement of 28th March. In its last sentence it has mentioned

"The decision will be announced before 30th April, 68 by Messrs C. V. Desai and R. L. Malhotra"

They have signed.

"In case of difference Mr. K. U. Shah will decide"

When the people of this industry are of the views that you should not indulge in this matter why are you trying to solve this matter unnecessarily ?

Shri K. K. Shah : On the one side the Hon. Member was expressing grief on the unemployment of 10,000 persons of film industry on the other hand he is asking me not to indulge in this matter.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : सरकार द्वारा उत्पादित फिल्मों से मैं प्रभावित नहीं हुआ हूं। मैं देश में फिल्म निर्मित करने का कार्य उन्हें नहीं सौंपना चाहता। मैं राष्ट्रीयकरण का विरोधी हूं। इस उद्योग में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या वह कुछ फिल्मों को वित्त सहायता देना बन्द करेंगे विशेषकर जबकि उन्हें 20 से 30 लाख रुपये की हानि हो चुकी है। इसके बावजूद भी वह जनता के धन को इस संदेहात्मक परियोजनाओं में लगा रहे हैं। क्या वह इसमें धन लगाना रोक देंगे और फिल्म उत्पादन के लिए पहले दिये गये धन की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री के० के० शाह : माननीय सदस्य को यह जानना चाहिये कि फिल्म फाइनेन्स कारपोरेशन नये उद्यमकर्त्ताओं को प्रोत्साहन दे रहा है। हम केवल उन्हें अधिक से अधिक 4 से 5 लाख रुपये दे रहे हैं। जबकि इन फिल्मों की लागत लगभग एक करोड़ रुपये है। अतः उन्हें फिल्म फाइनेन्स कारपोरेशन के कार्य की तुलना बड़े-बड़े फिल्म कलाकारों से नहीं करनी चाहिये जो 18 से 20 लाख रुपये तक लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप हमारी 161 फिल्में प्रभावित हुई हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : फिल्म उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग कुछ लोगों ने यह ध्यान में रखते हुए नहीं की है कि विवाद के कारण कर्मचारी बेकार हो गये हैं बल्कि राजनीतिक और व्यापारिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की गई है।

श्री जार्ज फरनेन्डीज हड़ताल द्वारा आधे लाख से अधिक व्यक्तियों का बेकार रहना पसन्द करते हैं परन्तु जब किसी और कारण से लोग अस्थायीतौर पर घट जाते हैं तो वह यह बात पसन्द नहीं करते। माननीय मंत्री मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इस विवाद का कारण मांग और सप्लाई में गम्भीर असंतुलनता है अर्थात् दिल्ली में सिनेमा हाल की आवश्यकता और उपलब्धता में असंतुलनता है। हमारे देश में 10 लाख व्यक्तियों के लिये 11 सिनेमा हाल हैं जबकि अमरीका में इतने ही व्यक्तियों के लिये 92 और जापान में 64 हैं। सिनेमा नौकरी और राजस्व का मुख्य साधन है। देश में इतने कम सिनेमा हाल होने पर भी इसमें $1\frac{1}{2}$ लाख व्यक्ति नौकरी करते हैं और केन्द्र तथा राज्य सरकार को प्रत्येक सिनेमा हाल से 75,000 रुपये की वार्षिक आय होती है। क्या माननीय मंत्री राज्य सरकारों के साथ और दूसरे सम्बद्ध प्राधिकारियों के साथ मिलकर देश में सिनेमा हाल बनाने की व्यवस्था करेंगे और यदि सम्भव हुआ तो ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा जिसके अनुसार दो वर्षों में सिनेमा हालों की संख्या दुगनी हो जायेगी।

श्री के० के० शाह : कुछ राज्य सरकारों द्वारा दिये गये लाइसेंस पूरे नहीं हुए हैं क्योंकि सिनेमा हाल की निर्माण लागत इतनी अधिक बढ़ गई है कि वे लोग और सिनेमा हाल बनाना नहीं चाहते।

श्री हिम्मतसिंहका : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान संकट फिल्म कलाकार को अधिक रुपये दिये जाने के कारण हुए भारी खर्चे के कारण उत्पन्न हुआ है क्या सरकार का

विचार बंगाल में अपनायी जाने वाली पद्धति का अनुसरण करने का है ताकि कम खर्च से अच्छी फिल्मों का निर्माण किया जा सके ? क्या वह फिल्म उत्पादकों से यह निवेदन करेंगे कि वह कम रुपये खर्च और काले धन की अनुमति न दें ताकि यह संकट उत्पन्न न हो ?

श्री के० के० शाह : यह प्रयास भी सफल हुआ है । सत्यजीत राय जैसे महान व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कुछ समय तक सफलता प्राप्त हुई है । लेकिन इस सम्बन्ध में और भी कठिनाइयां हैं । इसका सिर्फ एक तरीका यह है कि फिल्म कलाकार आय में भागीदार बनें और वे आरम्भ में ऊंची दरों की मांग न करें । इस सम्बन्ध में प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : कुछ सदस्यों ने यह दलील दी है कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर दिया जाये । यदि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो सरकार का फिल्म उद्योग पर पूर्ण नियंत्रण हो जायेगा ।

श्री के० के० शाह : मैं इसका समर्थक नहीं हूं ।

श्री हेम बरुआ : चूंकि उत्पादक संघ, कर्मचारियों के सहयोग से प्रदर्शकों को, जो करोड़ों रुपये कमा रहे हैं और फिल्मों से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं सामन्तशाही नीति का विरोध कर रहे हैं । अब चूंकि उत्पादकों और प्रदर्शकों में विवाद के कारण फिल्मों का प्रदर्शन रुक गया है । श्री शाह समस्या का हल कर सकते हैं लेकिन उनके वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि वह समस्या को हल करना नहीं चाहते । वह इस मामले को हल करने के लिये मध्यस्थ निर्णय के लिए नहीं भेजते ?

श्री के० के० शाह : यदि यह मामला मध्यस्थ निर्णय द्वारा हल किया जा सकता है तो मैं इसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सौंपने के लिये तैयार हूं । लेकिन मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि यदि इस उद्योग का, जिसमें 100 करोड़ रुपया लगा है कोई समझौता नहीं हुआ तो, सरकार चुप नहीं बैठेगी ।

श्री अमृत नाहाटा : इसको ध्यान में रखते हुए कि छोटे और बड़े उत्पादक आपस में झगड़ा कर रहे हैं और उन्होंने अब तक अपनायी जाने वाली पद्धति की असफलता को पहचान लिया है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें फिल्म कलाकारों को कम रुपया देना चाहिये और उन्हें काला धन नहीं देना चाहिये ताकि उत्पादन लागत में कमी की जा सके । तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये थियेटर लाभ का अधिक भाग ले जाते हैं, क्या सरकार फिल्म उत्पादकों में इस नई प्रणाली को प्रोत्साहन देगी और इस बात का प्रयास करेगी कि एक ओर फिल्म कलाकरों और उत्पादकों के बीच और दूसरी ओर प्रदर्शकों के साथ कोई सम्मानजनक समझौता हो जाये ?

श्री के० के० शाह : यह सच है कि प्रत्येक वर्ष सैकड़ों उत्पादकों का व्यापार बन्द हो जाने और प्रत्येक वर्ष उत्पादकों को लगभग 8 करोड़ से 10 करोड़ रुपये की हानि होने के कारण

स्थिति बहुत संकटपूर्ण है । अतः सिनेमा कलाकारों और थियेटरों के मालिकों द्वारा उत्पादन लागत में कमी करने का प्रयास करना चाहिये ।

Shri S. M. Banerjee : Our producers are not able to produce the films necessary for making the character of our youngmen due to shortage of funds.

If the Hon. Minister is not interested in nationalizing the film industry, whether he will consider to have social control on this industry ?

श्री के० के० शाह : मैंने ऐसा कोई वचन नहीं दिया था । मैंने कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो इन प्रश्नों पर विचार किया जायेगा ।

Shri Achal Singh : Whether the Hon. Minister is not aware that there has been moral degradation due to cinema ? In such circumstances whether it will not be proper to close the films industry ?

श्री के० के० शाह : मैं इससे सहमत नहीं हूं ।

Shri Maharaj Singh Bharati : Crores of rupees of the people of this country are being spent inorder to compete with foreign films. Taking this into view the Government should fix a maximum limit of expenditure on production of these films. The Government should also make legislation in this regard. The Government should also make a legislation that no work will be done in films on contract basis. All the people will work on monthly basis. This is the only way to solve the problem.

श्री के० के० शाह : राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये संकल्प के अनुसार एक समिति की नियुक्ति की गई है और वह समिति इस मामले की जांच करेगी ।

श्री रा० कृ० सिंह : भारतीय फिल्म उद्योग विश्व के बड़े उद्योगों में से एक है और देश के मनोरंज़न में इसका एकाधिपत्य है । अतः यह देश के युवकों और विद्यार्थियों के दिमाग को उन्नत तथा भ्रष्ट करने में समर्थ है । इसके स्तर में सामान्यता गिरावट आई है । सरकार के लिए भी यह एक आय का साधन है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आयकर के अपवंचन और काले धन के कारण फिल्म उद्योग भ्रष्टाचार का गढ़ हो गया है, क्या सरकार का यह विचार है कि फिल्म उद्योग की जांच की जाये और एक ऐसा हल निकाला जाय जो देश के युवकों और विद्यार्थियों के लिये सहायक हो ?

श्री के० के० शाह : तथ्यों की पहले ही जानकारी है । जिन नये तथ्यों का पता लगेगा उनकी जांच समिति करेगी ।

Shri Prakash Vir Shastri : Whether the Minister is aware that some Indian films and Indian songs are popular in Arabian countries, but some people purchase those films at very cheap rates and earn profit in crores of rupees ? Taking it into consideration, whether the Government will take this industry into its own hand so that the Government may earn foreign exchange for the country.

श्री के० के० शाह : जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है इण्डियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसियेशन की व्यवस्था है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने की है और इसके सम्बन्ध में सब प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : हाल ही में चेकोस्लोवाकिया का एक फिल्म प्रतिनिधिमंडल हमारे देश में आया था उनमें अभिनेत्री थी जिसने बहुत-सी मुख्य भूमिकाओं में काम किया था लेकिन उसने बताया कि उसे किसी फिल्म में काम करने के लिये 5500 रुपये से अधिक नहीं मिलते। क्या माननीय मंत्री इन फिल्मी कलाकारों की आय पर नियंत्रण करेंगे ताकि कुछ बचा हुआ धन फिल्म उद्योग के उन कर्मचारियों को भी दिया जा सके जो दूसरे, तीसरे या चौथे वर्ग के हैं।

श्री के० के० शाह : यह कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव है।

Shri Kanwar Lal Gupta : I am not in favour of nationalization of film industry. Producers produce such type of films which give them more profit. They are not producing such films which are essential for building the character of the nation. Whether the Government will produce its own film in order to build the character of the nation.

Shri K. K. Shah : So far as the first question is concerned, a Committee has been formed for it. It will make inquiry in this matter. We are also thinking of producing a feature film.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अफ्रीकी देशों में बसे हुए भारतीयों से प्रार्थना-पत्र

*1142. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी देशों में बसे हुए बड़ी संख्या में भारतीयों ने उस धन के साथ जो उन्होंने उन देशों में कमाया है, भारत आने की अनुमति के सम्बन्ध में सरकार को प्रार्थना-पत्र भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन आवेदकों की संख्या कितनी है और इसमें यह कुल कितनी राशि का मामला है तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). अभी तक भारत सरकार को यू० के० एवं उपनिवेश पासपोर्टधारी एक भारतमूलक व्यक्ति से केवल एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें उसने अपनी वित्तीय आस्तियों सहित भारत में आने की अनुमति मांगी है। यह मालूम पड़ा है कि कीनिया के सेन्ट्रल बैंक ने इस व्यक्ति को यह अनुमति दी है कि वह सबसे पहले 100,000 पूर्व अफ्रीकी शिलिंगों की धनराशि भेज सकता है जो रु० 105,000 के बराबर बैठती है। उक्त आप्रवासी ने जो अनुरोध किया था उस पर भारत सरकार विचार कर रही है।

अधिकारियों की पेंशन

*1143. **श्री उमानाथ :**

श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीचे के पदों से पदोन्नत अधिकारियों तथा स्थायी नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् किस-किस दर से पेंशन मिलती हैं ;

(ख) यदि उनकी पेंशन की दरों में कोई अन्तर है, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सभी अधिकारियों की पेंशन को नियमित करने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-827/68]

अधिकारी संवर्ग में रिक्त स्थान

*1144. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

श्री अनिरुद्धन :

श्री नायनार :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकारी संवर्ग में कुछ प्रतिशत रिक्त स्थान सेना में नीचे के पदों पर काम करने वाले अधिकारियों को पदोन्नत करने के लिए आरक्षित रखे जाते थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या आपातकाल की स्थिति समाप्त किये जाने के पश्चात् सरकार ने नीचे के पदों के अधिकारियों को पदोन्नत करना बन्द कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या "रैंकों" से पदोन्नत करके स्थायी नियमित कमीशन देने का सरकार का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ङ). विशेषकर अन्य श्रेणी सैनिकों के अफसर पद को उन्नति के लिये दो रास्ते खुले हैं। एक है, आर्मीकैडेट कालिज में चुने हुए अन्य श्रेणी सैनिकों के आरम्भिक प्रशिक्षण के पश्चात्, भारतीय सैनिक अकादमी में तदोपरान्त प्रशिक्षण द्वारा रिक्त स्थानों के अधिकाधिक कोटा के विरुद्ध अफसरों के तौर पर उन के लिए वार्षिक लिए जाने की योजना, और दूसरा है, साल बसाल प्राप्य रिक्त स्थानों के विरुद्ध रिकार्ड अफसरों, क्वार्टर, मास्टरों, तकनीकी अफसरों इत्यादि के लिए विशिष्ट सूची काडर में

चुने हुए अन्य श्रेणी सैनिकों को स्थायी कमीशन देने की योजना । आपात स्थिति की घोषणा या उसके हटा लेने का इन दोनों योजनाओं पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

योजना के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

*1145. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री देवराव पाटिल :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री लोबो प्रभु :**

क्या **प्रधान मंत्री** 20 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 744 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है और उनको किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). यह प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है । प्रतिवेदन की विस्तार से जांच की जा रही है। इस जांच में कुछ समय लगेगा क्योंकि इसमें केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से भी विचार-विमर्श करना पड़ेगा । इसके बाद, निर्णयों का प्रश्न उठेगा ।

नागा लोगों द्वारा लाये गये शस्त्रास्त्र

*1146. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन और / अथवा पाकिस्तान में प्रशिक्षण लेकर भारत वापिस आने वाले नागा अपने साथ कौन से और कितनी मात्रा में शास्त्रास्त्र लाये हैं ;

(ख) क्या ऐसे कुछ शास्त्रास्त्र पकड़े भी गये हैं ; और

(ग) ऐसे नागाओं की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). यह सूचना गोपनीय है । इसलिए, इस प्रकार की सूचना देना जन हित में नहीं होगा ।

(ग) जैसा कि सदन में बार-बार कहा जा चुका है, भारत सरकार छिपे नागाओं की गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाती रही है और उठा रही है ।

'Soviet Stand on Kashmir'

*1147. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Soviet stand in regard to Kashmir has changed or is changing gradually after the Tashkent Agreement ;

(b) if not, whether the Soviet stand in regard to Kashmir is the same as heretofore; and

(c) whether a change in the Soviet policy towards Pakistan has been noticed recently?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Government of India have no reason to believe that such changes as might take place in the relationship between the Soviet Union and Pakistan would be detrimental to the extremely warm and cordial relations between the Soviet Union and India.

समाचार-पत्रों के स्वामित्व के बारे में एकाधिकार

*1148. **श्री एस्थोस :**

श्री चक्रपणि :

श्री पी० राममूर्ति :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस परिषद् ने उन कारणों का अध्ययन करने के मामले में क्या प्रगति की है जिनमें समाचार-पत्रों के स्वामित्व के मामले में एकाधिकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या सरकार ने प्रतिवेदन दिये जाने के लिये कोई समयसीमा सुनिश्चित की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) प्रेस परिषद आजकल उस प्रश्नावली के उत्तरों की जांच पड़ताल कर रहा है जो उसने देश के समाचार-पत्रों के स्वस्थ विकास में रुचि रखने वाले विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों के विचारों को जानने के लिये जारी की थी।

(ख) से (घ). अधिनियम के अन्तर्गत परिषद को इस विषय पर सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं देनी है, परन्तु परिषद समस्या के महत्व को समझती है और ज्योंही वह अपने अध्ययन के परिणामस्वरूप किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचेगी, वह निस्सन्देह अपने विचारों से सरकार को अवगत करायेगी।

पाथेट लाओ द्वारा की गई शिकायतें

*1150. **श्री श्रीधरन :**

श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाओस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के भारतीय तथा

कनैडियन सदस्यों के विरुद्ध पायेट लाओ ने कुछ शिकायतें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या शिकायतें की गई हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). हाल में, लाओस में अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग ने बढ़ते हुए कथित तनाव का अध्ययन करने के लिए, किसी क्षेत्र का दौरा करने का निर्णय किया। नियो लाओ हकसत का यह दृष्टिकोण रहा कि आयोग की यह कार्रवाई लाओस की तटस्थता सम्बन्धी घोषणा के प्रोतोकोल के अनुच्छेद 19 के विरुद्ध थी। बहरहाल, आयोग के अधिकांश सदस्यों का मत यह था कि आयोग द्वारा लिया गया निर्णय लाओस-सम्बन्धी 1962 के जेनेवा प्रोतोकोल के अनुसार था। भारत सरकार इस मत को स्वीकार करती है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार

*1151. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को 25 फरवरी, 1968 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में जानकारी है जिसमें केन्द्रीय सरकार पर राज्यों के बीच भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मुख्य मंत्री ने विदेशी सहायता तथा उस पर ब्याज के बारे में तथा विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता निर्धारित करने के तरीके के बारे में ब्योरा मांगा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) केन्द्रीय सहायता निर्धारित करने की प्रणाली, आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को स्पष्ट कर दी गई थी। सरकार का विचार है कि केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार से किसी प्रकार के भेदभाव का व्यवहार नहीं किया गया है। बहरहाल, आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जो विभिन्न प्रश्न उठाये हैं, उन पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की आगामी बैठक में विचार किया जायेगा।

अखबारी कागज का आयात

*1152. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 के लिये कुल कितने अखबारी कागज की आवश्यकता होगी और क्या

1,32,000 टन अखबारी कागज का आयात करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य देशों से यह आयात किया जायेगा तथा प्रत्येक देश से कितना आयात किया जायगा ;

(ग) इनमें से कितना आयात रुपये में भुगतान के आधार पर होगा ; और

(घ) इस आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). 1968-69 के लिये निर्धारित नीति के अनुसार अखबारी कागज की आवश्यकता लगभग 2 लाख मीटरी टन है। नीचे दिये गये ब्योरे के अनुसार 1,32,000 मीटरी टन अखबारी कागज आयात करने के लिए कदम उठाए गए हैं, परन्तु वास्तविक आयात 1,20,000 मीटरी टन कागज का होगा जिसके लिए अभी तक विदेशी मुद्रा उपलब्ध की गई है ।

1. केनेडा	...	41,000 मीटरी टन
2. स्केन्डीनेवियन देश	...	11,500 मीटरी टन
3. सोवियत संघ	...	52,500 मीटरी टन
4. पोलैंड		4,000 मीटरी टन
5. चेकोस्लोवाकिया	...	6,000 मीटरी टन
6. अमरीका	...	17,000 मीटरी टन
	कुल :	1,32,000

(ग) 62,500 मीटरी टन ।

(घ) लगभग 13 करोड़ 75 लाख रुपये ।

Public Undertakings Under Department of Atomic Energy

*1153. **Shri Molahu Prasad :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the names of industrial undertakings, State-wise, which are functioning under the control of her Ministry and the amount invested in each ;

(b) the names of industrial undertakings proposed to be set up in each State during the Fourth Plan period and the estimated outlay in respect of each of them ; and

(c) whether Government propose to set up any industrial undertakings in Uttar Pradesh with a view to remove unemployment in the State and to bring at par with other States the backward economy of Uttar Pradesh ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) The public sector undertakings under the control of the Department of Atomic Energy include Indian Rare Earths Ltd. set up in Kerala and Madras with an invested capital of Rs. 1 crore (equity) and Rs. 90 lakhs

(loan) ; Electronics Corporation of India Limited, in Andhra Pradesh, with an invested capital of Rs. 1.2 crores (equity) ; and Uranium Corporation of India Limited, in Bihar, with an invested capital of Rs. 5·85 crores (equity) and Rs. 4.71 crores (loan).

(b) and (c). Fourth Plan proposals for the setting up of future public sector undertakings have not yet been finalised.

सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर

*1154. **श्री स० कुन्डू** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनता से ऐसी याचिकाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें भुवनेश्वर स्थित सैनिक स्कूल में कुप्रबन्ध की शिकायतें की गई हैं ;

(ख) क्या इन आरोपों की जांच करने और इस सैनिक स्कूल का प्रबन्ध बिगाड़ने के लिये व्यक्तियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी ;

(ग) क्या इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) भुवनेश्वर स्थित सैनिक स्कूल में स्वच्छतर प्रशासन लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) उड़ीसा के समाचार-पत्रों में अप्रैल 1967 में ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिनमें स्कूल चलाए जाने के ढंग के विषय में विभिन्न शिकायतें की गई थीं । उन पर सैनिक स्कूली समिति के अध्यक्ष द्वारा जांच की गई थी और वह प्राय: निराधार पाई गई थी ।

(ख) से (घ). उपरोक्त आरोपों की छानबीन के लिए किसी समिति को नहीं कहा गया था। तदपि, एक सेवा अफसर की अध्यक्षता में नवम्बर, दिसम्बर 1967 में एक बोर्ड आफ इन्क्वायरी ने कई घटनाओं की जांच की थी, जो भुवनेश्वर सैनिक स्कूल में छात्रों के दो दलों में हुई थी । बोर्ड आफ इन्क्वायरी की रिपोर्ट के फलस्वरूप कुछ छात्र हटा दिये गये थे, और वरिष्ठ नियुक्तियों में कुछ परिवर्तन करने के लिये और सामान्य तौर पर प्रबन्ध का स्तर ऊंचा करने के लिये उपाय किये गये हैं ।

राजनैतिक शरण देने के बारे में परिपत्र

*1155. **श्री रमानी** :

श्री विश्वनाथ मेनन :

श्री अब्राहम :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 14 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं० 360 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 30 दिसम्बर, 1967 के उस परिपत्र पर विदेशी मिशनों की प्रतिक्रिया

प्राप्त हो गई है जिसमें उन्हें सूचना दी गई थी कि सरकार विदेशी मिशनों के ऐसे किसी अधिकार को मान्यता नहीं देती है कि वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अपने अहाते में शरण दे सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और किन-किन विदेशी मिशनों ने अपनी प्रतिक्रिया भेज दी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं। तथापि हमारे गश्ती-पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हुए, कुछ विदेशी राजनयिक मिशनों और कोंसली केन्द्रों ने इस ओर संकेत किया था कि उन्होंने उस गश्ती-पत्र में उल्लिखित बातों की सूचना अपनी-अपनी सरकारों को भेज दी थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रूसी जहाजों की भारतीय पत्तनों की सद्भावना यात्रा

*1156. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी नौसेना के जहाज सद्भावना यात्रा पर भारतीय पत्तनों में आये हुए हैं;

(ख) क्या यह अपनी किस्म की पहली यात्रा है; और

(ग) क्या हिन्द महासागर में अमरीका/ब्रिटेन की उपस्थिति को दृष्टि में रखते हुए भारत तथा रूस के बीच नौसैनिक सहयोग बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यू० एस० एस० आर० नौसेना के तीन पोतों ने हाल ही में मद्रास और बम्बई के सद्भावना भ्रमण किए थे।

(ख) जी हां। यह पहला अवसर है कि सोवियत पोतों ने भारत का भ्रमण किया।

(ग) यू० एस० एस० आर० समेत मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ हम सहयोग करते रहे हैं। ऐसे सहयोग का हिन्द सागर में किसी देश की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई संबंध नहीं है।

Requisitioning of Private Vehicles During Indo-Pak Conflict

*1158. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have not yet made full payment in respect of private motor vehicles which were requisitioned during the last Indo-Pak conflict ;

(b) if so, the amount paid so far and the amount still to be paid in this regard ; and

(c) the time by which the payment is likely to be made ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). Out of a total estimated amount of Rs. 12,19,409.46 due as compensation in respect of 1208 motor vehicles requisitioned

during the last Indo-Pak conflict, an amount of Rs. 11,22,387.98 has been disbursed by the State Governments. The State Governments have already been requested to expedite disbursement of the balance amount of Rs. 97,021.48.

योजना आंयोग सचिवालय में बचत

*1159. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि 77 पद समाप्त किये जाने के फलस्वरूप योजना आयोग के काम को सुव्यवस्थित किये जाने से 11 लाख रुपये तथा बचत के अन्य उपायों से 4 लाख रुपये की बचत हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो कितने पद समाप्त किये जायेंगे तथा बचत के कौन से अन्य उपाय करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 77 पदों को समाप्त करने तथा अन्य किफायत के उपाय अपनाने के परिणामस्वरूप कुल बचत लगभग 11 लाख रुपये की होगी ।

(ख) समाप्त किये जाने वाले पदों को दर्शाते हुए एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है । अन्य किफायतें परिवहन सम्बन्धी संयुक्त तकनीकी दल तथा लखनऊ और पटना के योजना सलाहकारों के कार्यालयों को समाप्त करके की जा रही हैं ।

विवरण

पद	संख्या
सलाहकार/संयुक्त सचिव ...	3
सदस्य सचिव	
अनुसंधान कार्यक्रम समिति/प्रमुख ...	2
निदेशक/संयुक्त निदेशक	7
वरिष्ठ अर्थशास्त्री/कनिष्ठ अर्थशास्त्री ...	10
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी/सहायक सम्पादक ...	12
निजी सचिव/सहायक निजी सचिव/ स्टेनोग्राफर ग्रेड-1	14
अन्वेषक	10
क्लर्क	10
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9
कुल	77

वियतनाम तथा मध्य-पूर्व स्थिति पर शांति वार्ता के लिये गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन

*1160. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति ने गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की ओर से वियतनाम तथा मध्य पूर्व पर शांति वार्ता के लिये पहल की है और गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन पुन: बुलाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति से भारत सरकार को कोई सूचना प्राप्त हुई है या हमारे राजदूत या यूगोस्लाविया की सरकार द्वारा भेजे गये दूत से इस संबंध में कोई विचार-विमर्श हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत के प्रधान मंत्री के नाम जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने गुटों से अलग देशों का एक सम्मेलन बुलाने की संभावनाओं का पता लगाने का सुझाव दिया था। अपने उत्तर में प्रधान मंत्री ने इस विचार का स्वागत किया है और कहा है कि इस प्रकार के सम्मेलन के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी करने की और ब्योरेवार सलाह-मशवरा करने की जरूरत है।

Haj Pilgrims

*1161. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that passports to Haj Pilgrims are issued on the recommendations of the Haj Committee ;

(b) whether it is aslo a fact that the antecedents of Haj Pilgrims are not verified ;

(c) whether the Customs authorities have recovered some smuggled goods from some of the Haj Pilgrims as reported in the "Blitz" of 6th January, 1968 ; and

(d) if so, whether Government propose to verify the antecedents of the Haj Pilgrims before issuing them passports ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir, persons proceeding on Haj pilgrimage are issued Pilgrim Passes by the Haj Committee, Bombay. These passes are issued only to those persons whose applications are found to be in order and who are successful in the draw of lots in securing a passage for Jeddah. The Haj Pilgrim Passes are valid for visiting Saudi Arabia only.

(b) The antecedents, as such, of the intending Haj Pilgrims are not verified. However, certain restrictions have been imposed. If, on scrutiny of the applications, it is found that the pilgrims do not come within the scope of these restrictions, they are allowed to go.

(c) During the last few years the Customs authorities have reported only a few cases of suspected smuggling.

(d) In view of the position stated in (c) above, Government do not propose to change the existing procedure.

लड़ाकू सेनाएं

*1162. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी लड़ाकू सेनाओं की विभिन्न-शाखाओं के बीच पूर्ण समन्वय है;

(ख) यदि हां, तो क्या समन्वयन व्यवस्था की कारगरता की जांच करने के लिये वे कभी कोई अभ्यास करते हैं; और

(ग) क्या उन्होंने कभी ये अभ्यास देखे हैं और क्या वह उनके कार्य से सन्तुष्ट हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

प्रतिरक्षा संस्थानों के मैसों/क्लबों/संस्थाओं में वातावरण

*1163. **श्री बलराज मधोक :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा संस्थानों में, विशेषकर प्रतिरक्षा अधिकारी मैसों, क्लबों तथा संस्थाओं में वातावरण ऐसा है जो भारतीय होने की अपेक्षा अंग्रेजों जैसा अधिक है जैसा कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के पहले था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रतिरक्षा-अधिकारियों के मैसों में लगाये गये चित्रों के मामले में भी भारतीय सैनिक सूरमाओं के चित्रों को कोई स्थान नहीं दिया जाता;

(ग) क्या ऐसी स्थिति के परिणामस्वरूप प्रतिरक्षा सेनाओं के अधिकारियों तथा अन्य दर्जों के सैनिक कर्मचारियों के बीच एक मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी हो जाती है जो न तो कार्यकुशलता के लिये लाभदायक है और न ही उससे अधिकारियों तथा अन्य दर्जों के सैनिक कर्मचारियों के बीच साथी वाली भावना पैदा होती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Ordnance Factories

*1164. **Shri Kanwar Lal Gupta**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is sufficient idle capacity in our Ordnance Factories;

(b) if so, the details of idle capacity in each Ordnance Factory and the amount of loss being sustained annually by the country as a result thereof; and

(c) the action being taken by Government to avoid this loss?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). The capacities for Clothing and General Stores, were augmented to meet the increased needs of Defence Services after the declaration of Emergency. The bulk of the deficiencies in Clothing items having been met by 1964, the requirements of the services for subsequent years have been considerably less which has resulted in some surplus capacity in these factories.

To utilise available capacity and to avoid making "Idle Time Payments" the following steps have been taken:—

(i) Stoppage of overtime working.

(ii) Adjustment of surplus workers by transfers to other trades and other factories.

(iii) Diversification of workload and taking on items of production like tents, durries etc.

(iv) Securing orders from Central Government/State Governments' Departments for certain items.

In view of the above no loss on account of idle capacity is being sustained in the Ordnance Factories.

Supply by Mohan Meakin Breweries of XXX Rum to Armed Forces

*1165. **Shri Nihal Singh**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that XXX Rum produced by Mohan Meakin Breweries Ltd., Mohan Nagar for the Armed Forces is adulterated and is of inferior quality;

(b) whether Government have held any enquiry in this regard and taken any action against the firm and the officers involved in this deal, if any; and

(c) the amount of payment made by Government to the said Company during the last three years and the quantity of Rum supplied by them to the Ministry of Defence per annum and the value thereof?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) Purchases of Rum for free issue to troops are not made according to brands but as conforming to A.S.C. specifications. Purchases are however made by the Canteen Stores Department (India) for payment issues according to brands and no complaint of adulteration or inferior quality has been received regarding XXX Rum so purchased from M/s. Mohan Meakin Breweries Ltd.

(b) Does not arise.

(c) The quantity of Rum supplied by and the payment made therefor to M/s. Dyers Meakin Breweries Ltd. during each of the last three years are indicated below :—

Year	Quantity supplied		Amount	
	A.S.C. (litres)	C.S.D. (1) (litres)	A.S.C. Rs.	C.S.D. (1) Rs.
1965	23,75,909	6,57,000	52,79,798/-	14,40,000/-
1966	16,86,457	9,09,000	37,47,882/-	19,80,000/-
1967	Nil	6,03,000	Nil	12,30,000/-

चलचित्रों को सेंसर किया जाना

6800. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966 से 1968 तक की अवधि में सेंसरकर्ताओं द्वारा काट-छांट के बाद पास की गई किसी विदेशी फिल्म को जो प्रमाण-पत्र दिया गया था उस पर त्रिकोण नहीं लगी हुई थी जिसका सामान्यत: यह अर्थ होता है कि उसमें कुछ काट-छांट की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण अंग्रेजी में सदन की मेज पर रखा जाता है जिसमें उन विदेशी फिल्मों के नाम दिए हुए हैं जो 1966–68 की अवधि में बोर्ड द्वारा काट-छांट के बाद बिना त्रिकोण के निशान के, जो काट-छांट का सूचक है, प्रमाणित की गईं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०**-822/68] सरकार मामले में सचेत है और केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपयुक्त कार्रवाई करने पर विचार करेगी ।

सैनिकों के लिए पत्र-पत्रिकायें

6801. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 6 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3078 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पत्र-पत्रिकाओं के नाम क्या हैं, जिन्हें 'प्रादेशिक तथा राष्ट्र-विरोधी, भावनाओं का प्रचार करने वाला' माना जाता है और जिनको सैनिकों द्वारा पढ़ा जाना बन्द किया जा रहा है;

(ख) उस अमुक पत्र-पत्रिका को किस आधार पर 'प्रादेशिक तथा राष्ट्र-विरोधी भावनाओं का प्रचार करने वाला' माना जाता है और इस संबंध में निर्णय करने वाला अधिकारी कौन होता है;

(ग) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने मुख्यालय, पूना सब-एरिया के इस निष्कर्ष पर कि अमुक पत्र 'राष्ट्र-विरोधी' भावनाओं का प्रचार कर रहा था, यह मामला समुचित कार्यवाही के लिये गृह-कार्य मंत्रालय को भेजा था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अन्य मुख्यालयों अथवा सेना कार्यालयों द्वारा ऐसी कार्यवाही न की जाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) मुरासोली ।

(ख) से (ङ). इस मामले में निर्णय उपयुक्त सैनिक अधिकरण द्वारा लिया गया था। उस निर्णय के संबंध में अधिक विस्तार देना लोकहित में नहीं है ।

आकाशवाणी के संवाददाता

6802. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1967 को भारत में तथा विदेशों में आकाशवाणी के संवाददाताओं की संख्या कितनी थी, उनके नाम, पदनाम, वेतन तथा उपलब्धियां क्या-क्या थीं तथा वे कहां-कहां नियुक्त हैं;

(ख) वे क्या तथा कितना काम करते हैं और वे प्रतिदिन कितने शब्द तार द्वारा भेजते हैं तथा प्रत्येक सम्वाददाता द्वारा तार पर एक वर्ष में कितना व्यय किया जाता है;

(ग) आकाशवाणी के इन संवाददाताओं द्वारा भेजे गये समाचार आदि में से कितने प्रतिशत सामग्री का प्रयोग दैनिक प्रसारणों में किया जाता है; और

(घ) कुछ देशों में नये संवाददाता नियुक्त करने के प्रस्ताव के बारे में क्या प्रगति हुई है और 31 अक्तूबर, 1967 तक कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये, उनके नाम क्या हैं, वे किन स्थानों में नियुक्त हैं, उनके वेतन तथा उपलब्धियां क्या हैं तथा ऐसी प्रत्येक नियुक्ति पर कितना व्यय हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ख) सम्वाददाताओं का काम आकाशवाणी के प्रादेशिक केन्द्रों तथा दिल्ली के न्यूज रूम को खबरें भेजना और 'स्पाट लाईट' 'स्पोर्ट्स राउण्ड अप' आदि न्यूजरीलों के लिए सामग्री प्रदान करना है । सम्वाददाताओं द्वारा किए जाने वाले काम और उन द्वारा प्रति वर्ष तारों पर किए

जाने वाले व्यय के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(घ) बेरूट तथा सिंगापुर में एक-एक विशेष संवाददाता पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं।

भारतीय फिल्म संस्था, पूना

6803. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना स्थित भारतीय फिल्म संस्था वहां पर अध्ययन प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से प्राप्त होने वाले राजस्व से अपना कार्य-संचालन व्यय पूरा करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो पूंजी निवेश के रूप में कितनी राशि व्यय की गई है और प्रतिवर्ष कार्य-संचालन के लिये कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है;

(ग) प्रतिवर्ष कितना राजस्व प्राप्त होता है;

(घ) कितना ऋण मंजूर किया गया है;

(ङ) प्रतिवर्ष कितने विद्यार्थी अर्हता प्राप्त करते हैं; और

(च) अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् औसतन कितने विद्यार्थियों को रोजगार मिल जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिसाब रखने की वर्तमान पद्धति के अन्तर्गत भारतीय फिल्म संस्थान अपने राजस्व में से खर्चा नहीं कर सकती, परन्तु राजस्व को देखते हुए यह सच है कि आय से खर्च अधिक है।

(ख) (1) केन्द्रीय निर्माण विभाग ने एक स्टूडियो के वातानुकूलन पर जो खर्चा किया, उसको छोड़कर, 1960 से जबसे संस्थान बना है, उसकी भूमि, भवन और सामान पर पूंजी निवेश के रूप में जो खर्चा हुआ वह 36.20 लाख रुपये (अनुमानतः) है।

(2) फिल्म संस्थान का वार्षिक व्यय 14 लाख रुपये है। इसमें लगभग 2 लाख रुपये की वह पूंजी सम्मिलित है जो सामान आदि पर खर्च होती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में औसतन लगभग 57,000 रुपये।

(घ) कुछ नहीं।

(ङ)

1963	21
1964	31
1965	51
1966	44
1967	47

(च) फिल्म संस्थान ने अब तक जिन 194 व्यक्तियों को डिप्लोमा दिया था उनमें से 147 को नौकरी मिल गई है। 6 व्यक्ति, जो विदेशों से आये थे, अपने घरों को लौट गये हैं।

आकाशवाणी केन्द्र, श्रीनगर में एक मैकेनिक की मृत्यु

6804. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी केन्द्र, श्रीनगर के ट्रांसमीटर पर कार्य करने वाले एक मैकेनिक की 25 मार्च, 1968 को बिजली के झटके लगने के कारण मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना का ब्योरा क्या है;

(ग) मृत व्यक्ति के संतप्त परिवार को क्या सुविधायें तथा प्रतिकर आदि दिया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उन्हें सुविधा तथा प्रतिकर न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) 25 मार्च, 1968 को अन्य तकनीकी कर्मचारियों के साथ स्वर्गीय श्री काकापोरी मैकेनिक श्रीनगर रेडियो ट्रांसमीटर पर सुबह की शिफ्ट पर थे। प्लांट कम इन्सपेक्टोरेट डिवीजन, कश्मीर राज्य श्रीनगर के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और आकाशवाणी के उप मुख्य इंजीनियर द्वारा की गई जांच के अनुसार, श्री काकापोरी को उनकी असावधानी से 110 वाल्ट के ए० सी० करंट का झटका लग गया जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

(ग) और (घ). श्री काकापोरी के परिवार को नियमों के अन्तर्गत देय सभी सुविधाएं दी जाएंगी। तथापि, उनके परिवार को तत्काल राहत देने के लिए रेडियो कश्मीर के स्टाफ के सदस्यों ने 1200 रुपये इकट्ठे किए। इसके अतिरिक्त, केन्द्र निदेशक ने अंत्येष्टि खर्चों और अन्य तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 150 रुपए दिए। परिवार को अन्य संभव सहायता भी दी जाएगी।

आकाशवाणी के विद्युत् विभाग में अनर्ह कर्मचारी

6805. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में मैकेनिकों को बिजली विभाग से क्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना ही हाईटेंशन का काम करने के लिये लगा दिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिजली के काम में अनर्ह व्यक्तियों को सुरक्षा उपकरण दिये बिना तथा सुरक्षा संबंधी अन्य उपाय किये बिना ही काम पर लगा दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सुधार करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) जी, नहीं । इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्ज 1956 के नियम 3 के अन्तर्गत योग्यता प्रमाण-पत्र रखने वाले मैकेनिक के अलावा मालिक किसी भी मैकेनिक को उसके अनुभव के आधार पर हाईटेन्शन का काम करने को कह सकता है और आकाशवाणी में केवल ऐसे ही मैकेनिकों को सुपरवायजरी तकनीकी स्टाफ की देखरेख में बिजली के उपकरणों का काम करने के लिये कहा जाता है । काम करने वाले व्यक्तियों के बचाव के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपकरण और उपायों की व्यवस्था की जाती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अधिक वोल्ट की बिजली के काम करने के लिए सक्षम कर्मचारी

6806. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय श्रेणी के तकनीकी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने अधिक वोल्ट की बिजली के काम करने की क्षमता के बिना किसी व्यक्ति को उस काम में लगाने की प्रथा को समाप्त करने के लिये अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी के श्रीनगर ट्रांसमीटर केन्द्र में 21 मार्च, 1968 को एक मैकेनिक के मर जाने की जैसी घटना हुई थी, वैसी घटनाएं आकाशवाणी केन्द्रों में न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) आकाशवाणी की टेकनिकल एम्पलाईज एसोसियेशन, नई दिल्ली ने हाल में ही यह प्रार्थना की है कि उन व्यक्तियों को, जिनके पास किसी विशेष काम को करने का लाइसेन्स आदि नहीं है, अधिक वोल्ट की बिजली के काम करने को न कहा जाए ।

(ख) आकाशवाणी में सभी मैकैनिक, जिनको उपकरणों पर काम करना पड़ता है, सुपर-वायजरी टेकनिकल स्टाफ के मार्गदर्शन में काम करते हैं और उनको इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्ज (1956) की सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत काम करने के लिये कहा जाता है । काम करने वाले व्यक्तियों के बचाव के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपकरण और उपायों की व्यवस्था की जाती है ।

25 मार्च, 1968 को आकाशवाणी के श्रीनगर के ट्रांसमीटर में जो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई, उसकी जांच काश्मीर राज्य श्रीनगर के प्लान्ट-कम-इन्सपेक्टोरेट डिवीजन के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर और आकाशवाणी के एक डिप्टी चीफ इन्जीनियर ने की है । वे इस नतीजे पर पहुंचे

हैं कि यह दुर्घटना पूर्णतः आकस्मिक है जिसके परिणामस्वरूप श्री शामलाल काकापोरी, मैकेनिक, रेडियो कश्मीर, श्रीनगर की मृत्यु हुई और जिसके लिये उनको या अन्य किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। श्री शाम लाल काकापोरी को इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्ज, 1956 के नियम 3 के अन्तर्गत 1962 में केन्द्र इन्जीनियर (मालिक) द्वारा काम करने का अधिकार प्रमाण-पत्र दिया गया था।

समाचार पत्र संवाददाताओं को मान्यता देना

6807. **श्री जुगल मण्डल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्र संवाददाताओं तथा समाचार अधिकरणों को मान्यता देने के बारे में कोई नियम बनाये गये हैं अथवा नियमों का पुनरीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) 1 अप्रैल, 1968 को विभिन्न श्रेणियों के भारतीय अथवा विदेशी समाचार-पत्रों तथा समाचार अभिकरणों को दी गई मान्यता का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) भारत सरकार के मुख्यालयों पर समाचार-पत्रों या समाचार एजेन्सियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सम्वाददाताओं को मान्यता देने के लिये नियम कई वर्षों से लागू हैं। इन नियमों में 1956 में प्रेस आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद, केन्द्रीय प्रेस प्रमाण-पत्र समिति की सलाह से, संशोधन किया गया था।

(ख) नियमों और केन्द्रीय प्रेस प्रमाण-पत्र समिति द्वारा अपनाई गई प्रथाओं की प्रतियां संलग्न हैं।

(ग) एक अप्रैल, 1968 को, विभिन्न भारतीय और विदेशी समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मान्यता-प्राप्त संवाददाताओं की एक सूची अंग्रेजी में संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-823/68]**

Prime Minister's Tours During the Last General Elections

6808. **Shri Shri Chand Goel :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the names of the States toured by her during the last General Elections ;

(b) the number of tours, out of them, conducted in aeroplanes and by train ;

(c) the total expenditure incurred in the form of fare by air and by train ;

(d) the manner in which the expenditure was shared by the State Governments and the Central Government ; and

(e) the nature of expenditure borne by the Central Government during the said tours ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Prime Minister visited the following States during the period of some six weeks preceding the last General Election :—

1. Assam.
2. Uttar Pradesh.
3. Andhra Pradesh.
4. Madras.
5. Mysore.
6. Maharashtra.
7. Kerala.
8. Rajasthan.
9. Madhya Pradesh.
10. Orissa.
11. West Bengal.
12. Bihar.

(b) Nine Journeys were undertaken by air and two were performed by train.

(c) to (e). The prescribed charges due on account of the air and train journeys amounted to Rs. 14,702.86, and were paid into Government account on behalf of the Prime Minister. No expenditure was incurred by the Central or State Governments.

Facilities to Pilgrims to Pakistan

6809. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government provide many facilities to the Haj Pilgrims ;

(b) if so, the nature thereof ;

(c) whether such facilities are provided to Sikh pilgrims as well who go to Pakistan to participate in the festivals held in the Gurdwaras there ; and

(d) if so, the nature thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Yes, Sir. The facilities provided to the Haj pilgrims are as under :—

(i) Government of India permit issue of foreign exchange worth Rs. 1,575/- per adult to the Haj pilgrims.

(ii) Foodgrains and Sugar are supplied to the pilgrims at the controlled rates and they can carry these upto a prescribed quantity for their consumption during their stay in Saudi Arabia.

(iii) A Medical Mission is deputed to Saudi Arabia to render medical assistance to Indian pilgrims who go to Saudi Arabia during Haj.

(iv) Small Dispensaries are opened at various places to cater to the needs of the pilgrims.

(v) Shabeels are installed in various places in Saudi Arabia for providing cold drinking water to the pilgrims.

(vi) The Officers and Staff of the Indian Embassy in Jeddah render all possible help to the pilgrims in Jeddah.

(vii) The Railway authorities open temporary offices in Saboo Siddique Musafirkhana, Bombay for issuing tickets to Hajis for their home-ward journeys.

(c) and (d). Government also provide facilities, as may be required, to the Sikh pilgrims going to Pakistan to participate in the festivals held in the Gurdwaras there. The facilities include :—

(i) Expeditious issue of passports.

(ii) Issue of foreign exchange worth Rs. 100/- per pilgrims.

राष्ट्र मण्डल के साथ भारत का सम्बन्ध

6810. **श्री हो० ना० मुकर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या संविधान में कोई ऐसा उपबन्ध है जो राष्ट्रमण्डल के साथ भारत के सम्बन्ध और ब्रिटेन के सम्राट/साम्राज्ञी को अपना सांकेतिक 'अध्यक्ष' मानने पर बल देता है ;

(ख) क्या कोई सांविधिक या अन्य प्रकार की कोई विधि है जो राष्ट्रमण्डल में भारत के सदस्यता की वैधता को ठीक मानती है ; और

(ग) क्या स्पष्टतः विषम स्थिति के अधिकृत रूप से स्पष्टीकरण के बिना गम्भीर संवैधानिक मामले तथा परिणामतः व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं। "राष्ट्रमण्डल" के साथ भारत के सम्बन्ध संविधान की किसी व्यवस्था पर आधारित नहीं हैं।

(ख) जी नहीं। किसी संवैधानिक अथवा अन्य कानूनी व्यवस्था की जरूरत नहीं।

(ग) कोई विषम स्थिति नहीं है। न तो कोई संवैधानिक विवाद खड़ा हुआ है और न कोई व्यावहारिक समस्या खड़ी हुई है और न ही इसके खड़े होने की कोई आशंका ही है।

ईरान के सेनाध्यक्ष की भारत यात्रा

6811. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1968 में ईरान के सेनाध्यक्ष और ईरान के सर्वोच्च कमाण्डर ने ईरान की सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नाथूला का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो सीमा क्षेत्र के इस दौरे के वास्तविक कारण क्या थे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सद्भावना भ्रमणों में विदेशी महान विभूतियों को सशस्त्र सेनाओं के प्रशिक्षण और कृत्य की झलक पाने का अवसर प्रदान करने का व्यवहार है। तदनुसार ईरानी दल के लिये नाथूला के भ्रमण की व्यवस्था की गई थी।

Paper Imported by Embassies of U. S. A. and U. S. S. R.

6812. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the quantity of paper imported by the Embassies of U. S. S. R. and United States

of America from foriegn countries during 1967 ; and

(b) whether the said Embassies purchased some paper in India also and if so, the quantity thereof?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) Quantity of paper imported by U. S. S. R. and U. S. A. during the year 1967 is as follows:

U. S. S. R. Embassy

Quantity		Value
2,54,523 kgs.		Rs. 5,16,221
5,411 cases		Rs. 11,80,566
433 reels		Rs. 6,16,314
945 bales		Rs. 3,70,300
	Total	Rs. 26,83,401

U. S. A. Embassy

90,926 kgs.		Rs. 1,87,920
831 cases		Rs. 2,50,948
868 rolls		Rs. 2,92,515
7 Pkgs.		Rs. 2,02,544
2 Cartons		Rs. 1,200
2 Boxes		Rs. 2,939
Bond Paper		Rs. 4,155
	Total	Rs. 9,42,221

(b) We are not aware of their purchases in India.

पश्चिम एशिया की स्थिति

6813. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया में स्थिति पुन: बिगड़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) इसराइल ने सुरक्षा परिषद द्वारा लागू किये युद्ध-विराम का उल्लंघन करके जोर्डन के प्रदेश पर जो आक्रमण किया है उसकी वजह से यह स्थिति बिगड़ी है ।

(ग) सरकार ने एक राय से स्वीकृत सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का समर्थन किया है जो इस प्रकार है :

सुरक्षा परिषद :

जोर्डन और इसराइल के प्रतिनिधियों के बयान सुनने के बाद, प्रलेख सं० एस/8470, एस/8475, एस/8478, एस/8483, एस/8484 में जोर्डन और इसराइल के स्थायी प्रतिनिधियों के पत्रों की सामग्री पर ध्यान देने के बाद,

प्रलेख सं० एस/7930, एड/64 और एड/65 में "अंटसो" के सेनाध्यक्ष द्वारा दी गई पूरक सूचना पर भी ध्यान कर लेने के बाद,

प्रस्ताव सं० 236(1967) का स्मरण करते हुए जिसके द्वारा सुरक्षा परिषद ने युद्ध-विराम के किसी भी और प्रत्येक उल्लंघन की निंदा की थी,

यह देखते हुए कि जोर्डन के प्रदेश पर इसराइल की सशस्त्र सेना की सैनिक कार्रवाई बड़े पैमाने की सुविचारित थी,

इस बात पर विचार करते हुए कि सभी हिंसात्मक घटनाएं और युद्ध विराम के अन्य उल्लंघन रोके जाने चाहिए और इस प्रकार की विगत की घटनाओं को अनदेखा किये बिना,

प्रस्ताव सं० 237 (1967) का भी स्मरण करते हुए जिसमें कि इसराइल की सरकार से उन इलाकों के निवासियों की हिफाजत, कल्याण और सुरक्षा का सुनिश्चय करने को कहा गया था जहां कि सैनिक कार्रवाई हुई थी,

1. जान और माल के भारी नुकसान की निंदा करती है ;
2. संयुक्त राष्ट्र चार्टर और युद्ध-विराम विषयक प्रस्तावों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन करके सैनिक कार्रवाई करने की निंदा करती है ;
3. युद्ध-विराम का उल्लंघन करके की जाने वाली सभी हिंसात्मक घटनाओं की निंदा करती है और घोषणा करती है कि सैनिक प्रतिहिंसा की ऐसी कार्रवाइयों को और युद्ध-विराम के गम्भीर उल्लंघनों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और सुरक्षा परिषद को इस प्रकार की कार्रवाईयों को रोकने का सुनिश्चय करने के लिये संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित अन्य और अधिक कारगर उपायों पर विचार करना होगा ;
4. इसराइल से कहती है कि वह प्रस्ताव 237 (1967) की अवहेलना करके कोई काम न करे,
5. प्रधान सचिव से निवेदन करती है कि स्थिति पर निगाह रखें और जब जैसे ठीक समझें सुरक्षा परिषद को इसकी रिपोर्ट दें ।

वियतनाम के सम्बन्ध में डा० अलेक्स बेबलर की योजना

6814. **श्री शिवचन्द्र झा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री शारदा नन्द :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री रवि राय :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री टी० पी० सिंह :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के विश्व संघ के प्रेसीडेंट डा० अलेक्स बेबलर ने वियतनाम समस्या के हल के लिये एक योजना पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). डा० बेबलर ने दो सह-अध्यक्षों और तीन कमीशन देशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक के लिये अपने विचारों के सम्बन्ध में हमको तथा अन्य सम्बन्धित सरकारों को सूचित कर दिया है ।

(ग) चूंकि वह बातचीत गोपनीय प्रकृति की है और इसका सम्बन्ध अन्य देशों की सरकारों से है ; इसलिए इस स्थिति में ब्योरों को प्रकाशित करना उचित नहीं होगा ।

प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्पादन में आत्म-निर्भरता

6815. **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अब भी प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्पादन के मामले में आत्म-निर्भर नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भारत इस मामले में कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा ; और

(ग) भारत को प्रतिरक्षा सम्बन्धी किन विशेष वस्तुओं के मामले में विदेशो पर निर्भर रहना पड़ता है और किन-किन देशों पर और उन पर प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). आत्म-निर्भरता प्रगतिशीलता से प्राप्त की जा रही है, और रक्षा उत्पादन के कई

पहलुओं में प्राप्त की भी जा चुकी है। तदपि, विकास और टेकनालोजीकल प्रगति की वर्तमान प्रावस्था में, उच्चस्तरीय साफिस्टिकेटिड मदों के सम्बन्ध में पूर्ण आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में कुछ परिसीमाएं हैं।

(ग) यह सूचना देना लोकहित में नहीं है।

आकाशवाणी के कलाकारों सम्बन्धी मसानी समिति का प्रतिवेदन

6816. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री अब्राहम :**
श्री चक्रपाणि : **श्री नायनार :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कलाकारों सम्बन्धी मसानी समिति की सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). यह समिति एक विभागीय ग्रुप समिति थी जिसने इस मंत्रालय के विचारार्थ एक अंतरिम रिपोर्ट दे दी है। उसके सुझावों पर मन्त्रालय में विचार हो रहा है। मन्त्रालय द्वारा अपने विचारों को अंतिम रूप दिये जाने के बाद स्वीकृत सिफारिशों पर कई मंत्रालयों और शायद संघ लोक सेवा आयोग से भी विचार-विमर्श करना पड़ेगा और अंतिम निर्णय में समय लगेगा।

ग्रामीण कार्यक्रम

6817. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिये कोई मूल्यांकन किया गया है कि कृषकों के लिये रेडियो तथा टेलीविजन से किये जाने वाले प्रसारण से कृषकों को कहां तक लाभ पहुंचा है और उनका जो मार्ग दर्शन किया गया है उसे वे कहां तक अमल में ला सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और इसे और अधिक कारगर तथा लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या सरकार का विचार ऐसा मूल्यांकन करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां। दो अध्ययन किये गये थे, एक जलंधर में रेडियो से कृषि सम्बन्धी प्रसारणों पर और दूसरा दिल्ली में टेलीविजन पर 'कृषि दर्शन' कार्यक्रमों पर।

(ख) जलंधर में किये गये अध्ययन से पता लगा कि किसानों के भारी बहुमत की राय में ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी रहे हैं। दिल्ली में किये गये सर्वेक्षण से पता लगा कि टेलीविजन पर 'कृषि दर्शन' कार्यक्रम किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। किसानों की जरूरतों के अनुसार कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों को अनुस्थापित करने के लिए पूरा प्रयत्न किया जाता है और समय-सारणी के आधार पर कृषि-कार्यक्रम तय किये जाते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी के कार्यक्रमों के श्रोताओं की प्रतिक्रिया

6818. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी अपने कार्यक्रमों के बारे में श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं का किन-किन तरीकों से पता लगाती रहती है ;

(ख) क्या प्राप्त सुझाओं पर विचार करने के लिये कोई व्यवस्था है ;

(ग) यदि हां, तो श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप कार्यक्रम में क्या विशिष्ट परिवर्तन किये गये हैं ; और

(घ) पिछले 6 महीने में कितने सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) श्रोता अनुसन्धान, प्रादेशिक कार्यक्रम सलाहकार समितियों, विशेष पैनेल समितियों, केन्द्रीय सलाहकार समितियों, समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं की समीक्षा की प्रतिक्रियाओं, संसद् और विधान सभा में दिये गये भाषणों, मन्त्रालयों तथा राज्य सरकारों और विभिन्न भाषाओं में श्रोताओं से प्राप्त अनेक पत्रों के द्वारा।

(ख) जी, हां। यह आकाशवाणी के स्टाफ का काम है कि वे सभी सुझावों के प्रति जागरूक रहें।

(ग) और (घ). सूची जो कि काफी लम्बी है, संकलित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

दक्षिण अफ्रीकी शरणार्थियों के लिये धन के लिये संयुक्त राष्ट्रसंघ की अपील

6819. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ ने दक्षिण अफ्रीकी विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिए सदस्य देशों से धन देने की अपील की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत से भी ऐसा अनुरोध किया गया है ; और

(ग) इस निधि में भारत कितनी राशि देने के लिये सहमत हुआ है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) पिछले वर्ष भारत का अंशदान रु० 25,000/- था । और अधिक अंशदान देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

विदेशों में भारतीय चलचित्र

6820. **श्री राम चरण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों में विदेशों में तैयार किये गये कुछ भारतीय चलचित्रों के बारे में कुछ व्यक्तियों/संस्थाओं की ओर से कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). जी, हां । 'इवनिंग इन पैरिस' नामक फिल्म के विरुद्ध 15 शिकायतें, 'अराउंड दि वर्ल्ड' नामक फिल्म के विरुद्ध 4 और 'स्पाई इन रोम' नामक फिल्म के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी ।

(ग) फिल्म 'इवनिंग इन पैरिस' सरकार द्वारा प्रिव्यू की गई थी और मामला सिनेमेटोग्राफ (सेंसरशिप) रूल्ज, 1958 के नियम 33 के अन्तर्गत कार्रवाई के हेतु केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को भेज दिया गया था । बोर्ड द्वारा गठित पुनर्विलोकन समिति ने इस फिल्म में चार कट के निदेश दिए जिनका फिल्म के निर्माता द्वारा पालन किया जा चुका है । फिल्म 'स्पाई इन रोम' के विरुद्ध कोई कार्यवाई करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई । फिल्म 'अराउंड दि वर्ल्ड' सम्बन्धी मामला अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री बीजू पटनायक का पारपत्र

6821. **श्री राम चरण** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 13 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3882 के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री बीजू पटनायक के पास राजनयिक पारपत्र है न कि सामान्य पारपत्र; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें राजनयिक पारपत्र दिये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं । श्री बीजू पटनायक के पास साधारण पासपोर्ट है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Advertisements in Language Newspapers

6822. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the total number of language newspapers in the country and the number of those out of them as are given advertisement and the reason for which Government are liberal to give advertisements to English newspapers ; and

(b) the steps being taken to encourage the language newspapers ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) (a) Out of 6,797 newspapers, published in Indian languages, dealing with news and current affairs and subjects such as literary and cultural, religion, philosophy, commerce and industry, 922 are being used by the Directorate of Advertising and Visual Publicity for Government advertisements. Advertisements are not being given liberally to newspapers published in English.

(b) The following steps have been taken to make increasing use of Indian language newspapers :—

(1) Confining mass campaigns like family planning to regional language papers.

(2) Release of advertisements in bigger size to language papers and in smaller size to English papers.

(3) The media lists of campaigns for small savings and Unit Trust of India have been diversified with a view to covering more regional language newspapers.

(4) Advertisements of U. P. S. C., Indian Council of Agricultural Research, etc. are now inserted in smaller space without impairing the visual impact and the savings effected thereby are being utilised for release of more advertisemens to small and medium newspapers, mostly in the regional languages.

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति

6824. **श्री श्रीधरन :**

श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की प्रधान कार्यालय तथा विदेशों में नियुक्ति के बारे में सरकार ने कोई सिद्धांत बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या;

(ग) क्या इन सिद्धांतों का उल्लंघन करके कुछ अधिकारियों को दिल्ली में ही बने रहने की अनुमति दी गई है ;

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जी, हां ।

(ख) मुख्यालय पर एवं विदेश स्थित भारतीय मिशनों में, भारतीय विदेश सेवा, सूचना सेवा और भारतीय विदेश सेवा शाखा (बी) के अधिकारियों की नियुक्तियां समुचित रूप से गठित बोर्डों द्वारा नियमित होती हैं। ये बोर्ड इन बातों का ध्यान रखते हैं : किसी स्थान विशेष पर ड्यूटी की अवधि, अनुभव, पिछली नियुक्तियां, भाषा-संबंधी प्रवीणता, समय-समय पर पदों की संख्या और सेवाओं के लिए समग्र अपेक्षाएं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली में चीन के कार्यवाहक राजदूत के विरुद्ध कार्यवाही

6825. **श्री श्रीधरन :**

श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली में चीन के दूतावास में एक भारतीय पुलिस कांस्टेबल को अवैध रूप से अवरुद्ध किये जाने के कारण दिल्ली में चीन के कार्यवाहक राजदूत के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही की है।

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). यह मामला न्यायालय में निलंबित पड़ा हुआ है। न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है। फिलहाल चीनी कार्यनायक को यह चेतावनी दे दी गई है कि इस प्रकार का कृत्य अनुचित था और वह राजनयिक व्यवहार के अनुकूल नहीं था।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों के साथ टेलेक्स सम्बन्ध

6826. **श्री श्रीधरन :**

श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि वैदेशिक-कार्य मुख्यालय विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों के साथ दो-तरफा टेलेक्स सम्बन्ध रखता है;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन भारतीय मिशनों के साथ टेलेक्स सम्बन्ध स्थापित किये गये हैं ; और

(ग) विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों के साथ टेलेक्स सम्बन्ध स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) लंदन, न्यूयार्क, वाशिंगटन, काठमांडू और मैंगतोक स्थित अपने मिशनों से सीधा टैलेक्स टेलीप्रिन्टर संपर्क और लंदन के जरिए सामान्य रास्तों से पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों के साथ संपर्क स्थापित हो गया है। मास्को, टोकियो और ओटावा स्थित अपने मिशनों के साथ टेलेक्स/टेलीप्रिंटर संपर्क स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) अन्य भारतीय मिशनों के साथ टेलेक्स/टेलीप्रिन्टर संपर्क करने में मुख्य रूप से जो बात ध्यान में रखी जाती है वह है खर्च को निगाह में रखते हुए संचार की दक्षता और गति बढ़ाना । अगर संवाद भेजने-मंगाने का भार इतना हो कि टेलेक्स/टेलीप्रिन्टर संपर्क स्थापित करना सामान्य वाणिज्यिक सूत्रों से संचार प्रेषण करने के मुकाबले लाभदायक हो तो हमेशा ही इस तरह का संपर्क स्थापित किया जाता है ।

टेलीविजन का विस्तार

6827. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड से टेलीविजन ट्रांसमिशन उपकरण प्राप्त करने के लिये वित्तीय मंजूरी दे दी गई है;

(ख) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड को कितने ऐसे उपकरण खरीदने का क्रयादेश दिया गया है ;

(ग) क्या छः अन्य केन्द्रों में टेलीविजन की व्यवस्था करने की योजना के अन्तर्गत यह काम किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस योजना को कार्यान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ). देश में टेलीविजन का विस्तार चरणों में करने का प्रस्ताव है । पहले चरण में, सीमित सुविधाओं के अन्तर्गत दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र को विस्तार करने के अतिरिक्त बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है । ये प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन हैं । मैसर्स भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर को सरकार द्वारा देश में टेलीविजन स्टूडियो और ट्रांसमीटर उपकरण बनाने में सहयोग के लिये विदेशी निर्माण संगठनों से कोटेशन आमंत्रित करने का अधिकार दे दिया गया था । उनके प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, और भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का जापान की एक फर्म के साथ सहयोग, सिद्धांतः स्वीकार कर लिया गया बशर्ते कि टेलीविजन विस्तार के लिये निर्माण कार्यक्रम की स्वीकृति, स्रोतों का ध्यान रखते हुए दी जाए। टेलीविजन विस्तार के प्रस्तावों को अन्तिम रूप से मन्जूर किये जाने के उपरान्त भारत इलेक्ट्रो-

निक्स लि० से टेलीविजन ट्रांसमिशन उपकरण प्राप्त करने के लिये वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी ।

अफ्रीकी देशों से एशियाई लोगों का निष्कासन

6828. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या बहुत से एशियाई लोगों को कई अफ्रीकी देशों से चले जाने के आदेश दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक देश से भारत मूलक कितने व्यक्तियों को ऐसे आदेश मिल चुके हैं ; और

(ग) उनकी स्वदेश वापसी के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और उनमें कितने भारतीय नागरिक हैं और कितने व्यक्तियों ने ब्रिटिश नागरिकता ग्रहण कर ली है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अफ्रीकी देशों से एशिया मूलक व्यक्तियों के निष्कासन समय-समय पर विभिन्न कारणों से होते रहे हैं ।

(ख) हाल में 400 एशिया मूलक व्यक्तियों को, जिनमें से अधिकांश ब्रिटिश पासपोर्ट-धारी थे, उगांडा से निकल जाने का आदेश हुआ था परंतु बाद में इन आदेशों को वापस ले लिया गया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बर्मा में भारतीय लोगों की आस्तियों को छुड़ाना

6829. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) उनके मंत्रालय के सचिव की जनवरी, 1968 में भारतीय लोगों की आस्तियों को छुड़ाने के बारे में बर्मा के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के संदर्भ में अग्रेतर कार्यवाही क्या की गई है ; और

(ख) उस समय सरकार द्वारा जब्त की गई आस्तियां कुल कितने मूल्य की थीं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) बर्मा सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिये और इसे जल्दी निपटाने के लिये एक समिति बनाई है ।

(ख) ठीक-ठीक अनुमान सुलभ नहीं हैं क्योंकि जिन लोगों की आस्तियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था उनकी संख्या बहुत है; आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं ।

Industrial Undertakings in Uttar Pradesh

6830. **Shri Molahu Prasad :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the names of industrial undertakings proposed to be set up in each State during the Fourth Plan period and the estimated outlay in respect of each of them ;

(b) whether Government propose to set up any industrial undertakings in Uttar Pradesh with a view to remove unemployment in the State and to bring at par with other States the backward economy of Uttar Pradesh : and

(c) if so, the details in regard to all the above parts ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (c). The industrial undertakings to be established in different States during the Fourth Plan period will be decided when the Fourth Plan is finalised.

(b) The following Central industrial undertakings have been set up or are being set up in Uttar Pradesh :

(1) Diesel Loco Factory, Varanasi.

(2) Antibiotic Factory, Rishikesh.

(3) Gorakhpur Fertilizers, Gorakhpur.

(4) Heavy Electricals Equipment Factory, Hardwar.

(5) Heavy Structural Project, Allahabad.

The investment on these projects up to 1967-68 is estimated at Rs. 147.9 crores.

Industrial Undertakings Under Defence Ministry

6831. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state

(a) the names of industrial undertakings, State-wise which are functioning under the control of his Ministry and the amount invested in each ;

(b) the names of industrial undertakings proposed to be set up in each State during the Fourth Plan period and the estimated outlay in respect of each of them ;

(c) whether Government propose to set up any industrial undertakings in Uttar Pradesh with a view to remove unemployment in the State and to bring at par with other States the backward economy of Uttar Pradesh ; and

(d) if so, the details in regard thereto ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) A statement showing the names of industrial undertakings is attached. Information regarding the amount invested is being collected and will be laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-824/68]**

(b) During the Fourth Plan period Hindustan Aeronautics Ltd. and Bharat Electronics Ltd. are likely to establish a new sub-unit each. The location of these units has not been decided yet. The tentative estimate of investment in the sub-unit of H. A. L. is Rs. 4.83 crores and of B. E. L. Rs. 12 crores, but these estimates have yet to be finalised.

(c) and (d) . As stated in answer to part (b) the location of two new units has not been decided yet. All relevant factors will be taken into account before reaching a decision.

Undertakings under the control of Ministry of I. and B.

6832. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of industrial undertakings, State-wise, which are functioning under the control of his Ministry and the amount invested in each ;

(b) the names of industrial undertakings proposed to be set up in each State during the Fourth Plan period and the estimated outlay in respect of each of them ;

(c) whether Government propose to set up any industrial undertakings in Uttar Pradesh with a view to remove unemployment in the State and to bring at par with other States the backward economy of Uttar Pradesh ; and

(d) if so, the details in regard to all the above parts ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) to (d) . There is no Industrial Undertaking under the conrtol of Ministry of Information and Broadcasting nor there is any proposal to set up one. There are institutions like Film Finanee, Corporation, Children Film Society, etc.

विदेशों में नियुक्त भारतीय राजदूतों के बारे में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

6833. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को 25 जनवरी, 1968 को कलकत्ता में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की जानकारी है, जिसमें उन्होंने कहा था "विदेशों में भेजे गये हमारे राजदूतों को, जिनसे यह आशा की जाती है कि वे हमारे देश तथा देशवासियों का प्रतिनिधित्व करें, देश तथा देशवासियों के बारे में बहुत ही कम ज्ञान है । हमारे बीच, शिक्षित व्यक्तियों और तथाकथित अछूतों के बीच अभी तक बहुत अन्तर रखा जा रहा है";

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) विदेशों में नियुक्त हमारे राजदूतों को हमारे देश तथा देशवासियों के बारे में ज्ञान प्रदान के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) शिक्षा मंत्री ने कोई इस प्रकार व्यापक वक्तव्य नहीं दिया था ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

अफ्रीकी-एशियाई गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन की योजना

6834. **श्री स० कुण्डू** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अफ्रीकी-एशियाई गुट-निरपेक्ष देशों का एक सम्मेलन आयोजित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस संबंध में जो कुछ पहल की गई है सरकार उसकी प्रगति का निरीक्षण कर रही है ।

एरो-इंजन फैक्टरी, सनवेदरा

6835. **श्री स० कुण्डू :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सनवेदरा, कोरापुट, उड़ीसा में एरो-इंजन फैक्टरी का भवन निर्माण कार्य उड़ीसा सरकार से अपने हाथ में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को उड़ीसा विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित एक संकल्प की जानकारी है जिसमें केन्द्रीय सरकार की ऐसी कार्यवाही का अनुमोदन किया गया है; और

(घ) क्या उड़ीसा की जनता की मांग को देखते हुए सरकार अपना दृष्टिकोण बदलने के संबंध में विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इसकी ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है।

(घ) ऐसा प्रस्ताव था कि एच० ए० एल० असैनिक निर्माण-कार्य हस्तगत करे, परन्तु फिल्हाल विद्यमान व्यवस्था में कोई तबदीली न करने का फैसला किया गया है ।

उड़ीसा रेजीमेंट

6836. **श्री स० कुण्डू** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा से सशस्त्र सेना का एक रेजीमेंट बनाने और उसका नाम उड़ीसा रेजीमेंट रखने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जाति, विश्वास, सम्प्रदाय, धर्म, प्रदेश या रहाईश के क्षेत्र के भेदभाव के बिना, भर्ती सभी श्रेणियों के लिये खुली है । सरकार की नीति है भर्ती में उदारता, कि सशस्त्र सेना के राष्ट्रीय चरित्र की रक्षा के लिये उसमें (देश का) प्रतिनिधि बनाया जा सके, और जहां संभव हो सके जातीयता का क्रमशः निर्मूलन किया जा सके । उड़ीसा रेजिमेंट की स्थापना न तो आवश्यक है, और न सरकार की विद्यमान नीति के अनुरूप ही होगी ।

Transmitter in Nagaland

6837. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the capacity of the transmitter installed inNagaland ; and

(b) whether it is a fact that the reception of the Chinese broadcasting in Nagaland is better as compared to the Indian broadcast, Chinese transmitters, being more powerful ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) and (b). At present there are two low power transmitters—one a medium wave and the other a short wave —in Nagaland. It is possible that in certain areas reception of the Chinese broadcasts is better as compared to reception from these two low power transmitters. However, many other transmitters elsewhere in the country are heard well in Ngaland. In order to improve the service, a high power medium wave transmitter is being installed in this region.

Lighting Arrangements on Prime Minister's son's Marriage

6838. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the arrangement of flood-lighting was made by the Song and Drama Division of his Ministry on the occasion of the marriage of the Prime Minister's son ;

(b) if so, the expenditure incurred on lighting arrangements ; and

(c) the reasons as to why the services of Government employees were utilised for making the said arrangements ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

I. and B. Ministry Cameramen Attending Prime Minister's Son's Marriage

6839. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two cameramen of the Photo Division of his Ministry, had attended the betrothal ceremony of the Prime Minister's son to take photographs ;

(b) if so, the reasons for which the above photographers were assigned and do a private work ; and

(c) the number of photographs taken on that day and the expenditure incurred thereon ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) to (c). No Photographic Officer of the Photo Division was officially assigned to cover the function. Government have not incurred any expenditure in this regard.

बाल चलचित्र समिति

6840. **श्रीमती तारा सप्रे**

श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में बाल चलचित्र समिति ने कितने चलचित्र तैयार किये; और

(ख) वर्ष 1967 में इस समिति को अनुदान के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) 1967 में एक बाल फीचर फिल्म पूरी की गई थी । इसके अतिरिक्त चार अन्य बन रही थीं ।

(ख) 7,93,803 रुपए 12 पैसे ।

कच्छ न्यायाधिकरण के लिए अभिवचन

6841. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने कच्छ न्यायाधिकरण के लिए पहले अभिवचन तैयार किए थे;

(ख) भारतीय दावे को मानचित्रों द्वारा सर्वोत्तम ढंग से पेश करने के लिए क्या कार्यवाही की गई थी ;

(ग) क्या सरकार ने कच्छ मामले से संबंधित अभिवचन तथा कार्यवाही का शब्दशः वृत्तान्त प्राप्त कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) भारत द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनो का मसौदा तैयार करने से निम्नलिखित व्यक्ति संबंधित थे।

1.	श्री सी० के० दफ्तरी, भारत के महान्यायवादी।	प्रमुख परामर्शदाता
2.	श्री एन० सी० चटर्जी, संसत्सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय।	परामर्शदाता
3.	श्री एन० ए० पालकीवाला, वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय।	परामर्शदाता
4.	श्री बी० एन० लोकुर, सचिव, विधि मंत्रालय, विधि-कार्य विभाग।	एजेंट
5.	डॉ० के० कृष्ण राव, संयुक्त सचिव एवं कानूनी सलाहकार, विधि एवं संधि प्रभाग, विदेश मंत्रालय	डिप्टी-एजेंट
6.	कर्नल एस० के० एस० मुदलियार सेवानिवृत्त निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण।	
7.	श्री आर० एन० दुग्गल, उप-निदेशक, इतिहास प्रभाग, विदेश मंत्रालय।	
8.	श्री पी० के० कर्था, सहायक कानूनी सलाहकार, विधि एवं संधि प्रभाग, विदेश मंत्रालय।	
9.	ले० कर्नल पी० राउट, उप-निदेशक, उत्तरी निदेशालय, भारतीय सर्वेक्षण।	
10.	श्री के० वी० भट्ट, उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, गुजरात सरकार।	
11.	श्री के० एच० पटेल, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, इतिहास प्रभाग, विदेश मंत्रालय।	

(ख) निम्नलिखित कार्रवाई की गई थी :

1. भारतीय सर्वेक्षण विभाग तथा उक्त विभाग के अधिकारियों की सहायता से भारत में विभिन्न स्रोतों से संबद्ध सर्वेक्षण-अभिलेख और मानचित्र एकत्र किए गये ।

2. संबद्ध अभिलेख और मानचित्र लंदन में विभिन्न स्रोतों से एकत्र किये गये ।

3. एकत्र सामग्री की भारत के महान्यायवादी के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन के अधीन जांच-पड़ताल की गई । इस कार्य में कर्नल एस० के० एस० मुदलियार, सेवानिवृत्त निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण, और ले० कर्नल पी० राउट, उप-निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण ने उनकी सहायता की ।

4. इन अभ्यावेदनों को परामर्शदाता ने चुनी हुई सामग्री के अनुसार अंतिम रूप प्रदान किया ।

5. सुनवाई के दौरान, पाकिस्तान की दलीलों को देखते हुए भारत और लंदन से कुछ और सामग्री एकत्र की गई ।

6. भारत के महा-न्यायवादी और श्री एन० ए० पालकीवाला ने न्यायाधिकरण के समक्ष भारत के पक्ष को प्रस्तुत किया ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रिटेन के पारपत्र-धारियों पर मलयेशिया द्वारा लगाई गयी रोक

6842. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि मलयेशिया सरकार ने ब्रिटेन के पारपत्र-धारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है ;

(ख) क्या इसे ब्रिटेन के पारपत्र-धारी एशियाई लोगों को, जिनमें भारतीय लोग भी शामिल हैं, कठिनाइयां नहीं बढ़ेंगी; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) मलयेशिया सरकार ने ऐसे ब्रिटिश पासपोर्ट-धारियों के प्रवेश पर नियन्त्रण लगा दिया है जो कतिपय वर्गों के अंतर्गत नहीं आते ।

(ख) इन उपायों का ब्रिटिश पासपोर्ट-धारी भारत मूलक कुछ व्यक्तियों पर असर पड़ सकता है।

(ग) चूंकि इन व्यक्तियों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं, इसलिए उनकी देखभाल करना यू० के० सरकार का काम है।

उत्तरी वियतनाम को माल की सप्लाई पर प्रतिबन्ध

6843. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उत्तरी वियतनाम को माल की सप्लाई पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) और (ख). उत्तर वियतनाम को माल निर्यात करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि भारतीय निर्यातकों से एक अर्से से इस प्रकार के निर्यात की कोई अर्जी ही नहीं मिली है।

Hindus in Pakistan

6844. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No, 282 on the 27th November, 1967 and state:

(a) the number of Hindus at present in West Pakistan and East Pakistan separately;

(b) the number of Hindus living in West Pakistan and East Pakistan separately at the time of Partition according to Government's estimate; and

(c) whether Government have taken appropriate action for the safety of these Hindu minorities in Pakistan and, if so, the nature thereof?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) According to the 1961 Census of Pakistan, there were 621,805 Hindus in West Pakistan and 9,379,669 Hindus in East Pakistan. The exact number of Hindus living there at present is not known.

(b) The number of Hindus living in West Pakistan at the time of Partition was estimated to be 5.59 million and in East Pakistan 12.50 million.

(c) The Government have repeatedly reminded the Government of Pakistan of their obligations towards their minorities under the Nehru-Liaquat Pact of 1950.

आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा

6845. **श्री बलराज मधोक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता को पढ़ाने के लिए आकाशवाणी से अंग्रेजी में पाठ प्रसारित किये जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जनता को हिन्दी पढ़ाने के लिए आकाशवाणी का उपयोग करने के लिए ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आकाशवाणी से हिन्दी पाठ प्रसारित करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) साधारण जनता के लिए अंग्रेजी में कोई पाठ प्रसारित नहीं किये जाते, किन्तु अंग्रेजी स्कूलों के लिए किये जाने वाले प्रसारणों में, आकाशवाणी के कुछ केन्द्र औसतन एक या दो पाठ प्रति सप्ताह अंग्रेजी में पाठ दे रहे हैं।

(ख) और (ग). जी, नहीं। विजयवाड़ा, त्रिवेन्द्रम और इमफाल केन्द्र अपने सामान्य कार्यक्रमों में हिन्दी पाठ प्रसारित कर रहे हैं और कटक, अहमदाबाद, राजकोट, बम्बई और पूना केन्द्र अपने स्कूल प्रसारणों में हिन्दी भाषा में पाठ और साहित्य प्रसारित कर रहे हैं। अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के कुछ और केन्द्रों से हिन्दी पाठों के प्रसारण का प्रश्न विचाराधीन है और इस पर निर्णय लेने में स्थानीय आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाएगा।

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी के कार्यालय को मधुबनी से अन्यत्र ले जाया जाना

6846. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 13 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3875 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी के कार्यालय को जयनगर से हटाकर मधुबनी ले जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कार्यालय को पुनः जयनगर वापस लाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) जयनगर का क्षेत्रीय प्रचार एकक कार्य विस्तार और राज्य अधिकारियों से और अधिक तालमेल रखने के लिए मधुबनी ले जाया गया।

(ख) जी नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक पाई गई।

श्री लंका में मद्रास के मुख्य मंत्री के चित्र वाले बैजों का पकड़ा जाना

6847. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 13 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3876 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या श्री लंका के सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा मद्रास के मुख्य मंत्री के चित्र वाले बैजों के पकड़े जाने के समाचार के बारे में जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख). श्रीलंका के प्राधिकारियों ने हमारे हाई कमीशन को बताया है कि श्रीलंका में चोरी छिपे जो सामान ले जाया जा रहा था उसमें मद्रास के मुख्य मंत्री के चित्र वाले कुछ बिल्ले भी थे। कस्टम अधिकारियों ने निषिद्ध माल को जब्त कर लिया और सामान्य नियमों के अनुसार कार्रवाई की। भारत सरकार ने इस मामले को नहीं उठाया है क्योंकि यह श्रीलंका का अंदरूनी मामला है।

भारत-चीन संघर्ष

6848. **श्री ओंकार लाल बोहरा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत भारत-चीन संघर्ष में नेफा में हमारे सैनिकों के लिए भेजी गई युद्ध सामग्री तथा अन्य सामान अपने गन्तव्य स्थान की बजाय अन्यत्र पहुंच गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और क्या जानकारी प्राप्त हुई है; और

(ग) कुल कितना सामान भेजा गया था और वहां पर जो सामान पहुंचा उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) सरकार या सेना मुख्यालयों को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि गत भारत-चीन युद्ध के दौरान उत्तर-पूर्वी सीमा एजेंसी में अपने सैनिकों के लिए उदिष्ट यौद्ध सामग्री और अन्य सामान अपने लक्ष्य तक पहुंचने के स्थान कहीं और पहुंच गए थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगी।

Civilian Employees of Hindon Airport

6849. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that housing, medical and children's education facilities are not being provided to the civilian employees of the Hindon airport, Ghaziabad ;

(b) whether it is also a fact that these employees have to come to Delhi for medical treatment involving wastage of considerable amount of money and time ;

(c) whether any memorandum has been received by Government from the Civilian Employees Association of India Air Force Unit in this regard ; and

(d) if so, the action taken thereon ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) 56 houses have been built for civilian employees of Hindon airport. 110 more quarters are under construction. Those who are not provided with Government accommodation make their own arrangements in surrounding villages or at Delhi and draw house rent allowance.

Authorised Medical Attendants are available at Ghaziabad and Delhi to civilian employees, who are also entitled to reimbursement of medical expenses. Emergency treatment under special circumstances is also available to them.

A school is run from Station Resources which is open to all, including the children of civilian employees.

(b) Employees residing at Ghaziabad need not come to Delhi for medical treatment ; they can approach the Authorised Medical Attendants at Ghaziabad.

(c) Yes, Sir.

(d) The points raised, **vide** (c) above, are under consideration.

Mess at Hindon Airport

6851. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the civilian employees working in the Mess at Hindon Airport in Ghaziabad have to work on Gazetted holidays also and they are not paid any over-time allowance for that ;

(b) whether it is also a fact that the said employees are not provided with liveries ; and

(c) if so, the reasons therefor and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) Mess Staff work in the various messes in shifts ; hence they have to work on Gazetted holidays also. They are not given overtime allowance but are given 'Off' in lieu, on the next or other day, thereafter.

(b) Mess staff get aprons and caps (not liveries) provided through service sources.

(c) Does not arise.

New Radio-Stations

6852. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of Radio Stations set up by Government during the last three years and the expenditure incurred thereon ; and

(b) the number of Radio Stations set up in border areas and other places out of the aforesaid Radio Stations ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Fifteen new broadcasting centres, were set up on which an expenditure of about Rs. 90·47 lakhs, was incurred during the 3 year period ending March, 1968. Of these eight are programme originating stations and the remaining seven only auxiliary centres relaying programmes.

(b) Of the 15 centres, 6 were set up in the border areas and the rest at other places in the country.

गुजराती भाषा के दैनिक समाचार-पत्रों के लिए विज्ञापन

6853. **श्री मधु लिमये :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और बड़ौदा में अंग्रेजी और गुजराती भाषा के दैनिक समाचार-पत्रों को विज्ञापन दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितने दैनिक समाचार-पत्रों को ;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने गुजरात राज्य में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक समाचार-पत्र को दिये गये विज्ञापनों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की ;

(घ) पिछले तीन वर्षों में इनमें से प्रत्येक समाचार-पत्र का, जिनको केन्द्रीय विज्ञापन दिये गये, परिचालन कितना था; और

(ङ) ये विज्ञापन देने की कसौटी क्या है, जैसे समाचार-पत्र का परिचालन, समाचार-पत्र का महत्व, समाचार-पत्रों के मालिकों का प्रभाव, सरकारी नीति का समर्थन आदि ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) जी, हां ।

(ख) दस ।

(ग) अलग-अलग समाचार पत्रों को रिलीज किये गये विज्ञापनों और उनको दिये गए धन का विवरण विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय तथा सम्बन्धित पत्र के बीच गोपनीय रखा जाता है । अच्छी व्यापारिक नैतिकता को ध्यान में रखते हुए, तत्संबंधी सूचना एकतरफा तौर पर प्रगट करना वांछनीय नहीं होगा ।

(घ) गुजरात तथा अन्य राज्यों से प्रकाशित होने वाले विभिन्न पत्रों की खपत संख्या भारत में समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार की 'भारत के समाचारपत्र-1967' नामक रिपोर्ट में दी गई हैं । इस रिपोर्ट की एक प्रति 14 दिसम्बर, 1967 को सदन की मेज पर रखी गई थी ।

(ङ) समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन देने के लिए चयन करते हुए इन बातों का ध्यान रखा जाता है :

(1) प्रभावशाली खपत संख्या (सामान्यतः ऐसे समाचार-पत्र, जिन की खपत संख्या 1000 से कम हो, विज्ञापनों के लिए उपयोग नहीं किये जाते) ।

(2) प्रकाशन में नियमितता पत्र का बिना रुकावट के 6 महीने तक प्रकाशित होते रहना आवश्यक है)।

(3) किस प्रकार के पाठक पढ़ते हैं ।

(4) पत्रकारिता के सर्वमान्य नियमों का पालन तथा अन्य बात जैसे उत्पादन स्तर; भाषायें और उपलब्ध धन के अन्दर-अन्दर कवर किया जाने वाला क्षेत्र ।

सरकारी विज्ञापन देते समय इस बात पर विचार नहीं किया जाता कि वह पत्र किस राजनीतिक दल से सम्बद्ध है। सरकारी विज्ञापन सभी राजनीतिक दलों और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्रों को दिये जाते हैं। अलबत्ता, इतना जरूर है कि ऐसे समाचारपत्रों को विज्ञापन नहीं दिये जाते, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा विषैला प्रचार करते हों जिससे साम्प्रदायिक भेद-भाव और हिंसा को उकसावा मिलता हो या जो सामाजिक जीवन की आचार संहिता और नैतिकता का उल्लंघन करते हों या जिन पत्रों का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचाना हो।

रोडेशिया में अफ्रीकी लोगों को फांसी देने के बारे में विरोध

6854. **श्री मधु लिमये :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत सरकार ने रोडेशिया में अफ्रीकी लोगों को फांसी दिये जाने के बारे में ब्रिटिश सरकार से विरोध प्रकट किया है;

(ख) क्या उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कहा है कि वह वहां की गोरी सरकार के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करें ;

(ग) यदि हां, तो ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रमण्डल से अलग होने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख). रोडेशिया में स्वतंत्रता-सेनानियों को प्राणदण्ड दिए जाने पर सरकार इस सदन में पहले ही अपनी चिन्ता और शोक व्यक्त कर चुकी है और राष्ट्रमण्डल प्रतिबन्ध समिति की बैठक और पिछले महीने सुरक्षा परिषद् की बैठक में भी हमारे प्रतिनिधियों ने यह बात उठाई है कि अल्पसंख्यक सरकार को खत्म कर देने के लिए ब्रिटिश सरकार को बल प्रयोग का आश्रय लेना चाहिए क्योंकि रोडेशिया में कानून और व्यवस्था की स्थिति भंग हो गई है।

(ग) से (ङ). रोडेशिया के सवाल के ऊपर राष्ट्रमण्डल छोड़ने के बारे में श्री जॉर्ज फरनेन्डीज द्वारा प्रस्तुत संकल्प के सम्बन्ध में, इन सभी प्रश्नों का पूरा-पूरा उत्तर इस सदन में 5-4-1968 को दिया गया था।

न्यू प्रभात पब्लिसिटी कम्पनी को अखबारी कागज का कोटा

6855. **श्री मधु लिमये :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अहमदाबाद की न्यू प्रभात पब्लिसिटी कम्पनी को दिये गये अखबारी कागज के कोटे और उस कम्पनी द्वारा की गई गड़बड़ के बारे में प्राप्त हुई शिकायतों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस बीच उसे अखबारी कागज देना बन्द कर दिया गया है ; और

(ग) पिछले 10 वर्षों में (इसके सब पत्र-पत्रिकाओं के लिए) इस कम्पनी को कुल कितना कोटा मिला है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । अहमदाबाद की "न्यू प्रभात पब्लिसिटी कम्पनी" द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले पत्रों के लिए अखबारी कागज के कोटे का आवंटन समय-समय पर 1962, 1965 और 1967 के दौरान भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार के दलों द्वारा की गई जांच के अनुसार उनकी खपत के आधार पर कम और समंजित किया गया ।

(ग) अखबारी कागज के आवंटन के बारे में जानकारी केवल 1961-62 से उपलब्ध हैं । 1961-62 से 1967-68 तक की अवधि में इस पत्र को कुल मिलाकर 732.26 मीटरी टन अखबारी कागज अलाट किया गया ।

Destruction of Pests by Atomic Rays

6858. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the tests carried out successfully in USA and U. S. S. R. regarding the destruction of pests and locusts by using atomic rays ;

(b) whether any such tests are being conducted in India also ; and

(c) if so, the result thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Laboratory scale studies on the possible uses of radiations for the control of insect pests of agricultural crops and products are being carried out at the Bhabha Atomic Research Centre.

हरियाणा में चुनाव के लिए राजनैतिक प्रसारण

6859. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के मध्यावधि चुनाव के लिये अखिल भारतीय राजनैतिक दलों का आकाशवाणी से अपने-अपने घोषणा-पत्रों का प्रचार करने की अनुमति देने का सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं । यह तब तक सम्भव नहीं जब तक सभी दल एक ऐसा फारमूला स्वीकार नहीं कर लेते जो सभी को मंजूर हो ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Ordnance Factories

6860. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) when the Ordnance Factories being set up at Ambazari and Chanda would go into production ;

(b) whether some difficulties have arisen in setting up these factories ; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) A beginning is expected to be made at both these Ordnance Factories in the latter half of 1968.

(b) and (c). These factories were planned to be established with assistance from the Government of USA for the Ambazari factory and from the Government of the U. K. for the Chanda factory. Consequent on the suspension of military assistance in September, 1965 by these Governments ; measures for procurement of plant and machinery with our own foreign exchange resources had to be adopted and in the case of the Ambazari some replanning had to be undertaken. This caused delay in their establishment.

Ordnance Factories in Maharashtra

6861. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the quantum of war material produced by the Ordnance Factories established in Maharashtra and the amount of foreign exchange so saved ;

(b) whether this production is commensurate with the target fixed ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) It is not in the public interest to disclose the quantum of war material produced in individual Ordnance Factories, or sector wise.

(b) and (c). By and large, production in the Ordnance Factories is commensurate with the targets fixed except for new factories recently commissioned where production has to be gradually stepped up to target level.

Hindi Knowing Gazetted Officers

6863. **Shri R. S. Vidyarthi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of officers in Grade I, II and III in his Ministry as on the 15th March, 1968 and the number of those among them who know Hindi ;

(b) the number of persons among the non-Hindi knowing Officers who are learning Hindi at present under the Hindi Training Scheme ;

(c) the time by which the remaining Officers are to be taught Hindi ; and

(d) whether any roster for teaching them Hindi has been proposed ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) to (c). The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) Instructions have already been issued to maintain a roster for the purpose.

Hindi Knowing Officers and Staff in Defence Ministry

6864. **Shri R. S. Vidyarthi**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of Gazetted Officers and other employees in different grades in his Ministry as on 15th March, 1968 and the number of those among them who know Hindi;

(b) the number of persons among the non-Hindi knowing officers who are learning Hindi at present under the Hindi Training Scheme; and

(c) the time by which the remaining officers are to be taught Hindi and whether any roster for the purpose has been prepared?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) The number of gazetted officers and other employees in the Ministry of Defence as on 15-3-1968 is as follows:—

Class I	Gazetted	..	93
Class II	Gazetted	..	94
Class II	Non-gazetted	..	305
Class III		..	343

Information in regard to the number among them who know Hindi is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

(c) No time, within which officers not knowing Hindi should be taught Hindi, has been prescribed, nor has any roster been prescribed for this purpose.

नागाओं द्वारा शान्ति वार्ता का प्रस्ताव

6865. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं ने केन्द्रीय सरकार के साथ शांति वार्ता का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Pak Attempt to Acquire Jet Planes from France

6866. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pakistan is making fresh attempts to purchase fighter jet planes from France; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) According to our information Pakistan has contracted with France to buy a few Mirage III jet fighters.

(b) The Government of India are fully alive to the danger posed by indiscriminate acquisition of arms by Pakistan. Appropriate steps are being taken to safeguard India's security.

वित्तीय पत्रकारों तथा समाचार-पत्र सम्वाददाताओं की गोष्ठी

6867. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने नये आय-व्ययक की व्याख्या करने के लिये प्रमुख वित्तीय पत्रकारों तथा समाचार-पत्र सम्वाददाताओं की गोष्ठी आयोजित की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस लोक सम्पर्क कार्यक्रम पर कितना धन व्यय हुआ ; और

(ग) इस सम्मेलन में किन-किन व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया और किन-किन पत्रकारों ने वास्तव में इसमें भाग लिया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) पत्र सूचना कार्यालय ने गोष्ठी का आयोजन नहीं किया परन्तु देश की वर्तमान आर्थिक समस्याओं तथा इनसे सम्बन्धित सरकारी नीतियों पर विचार विनिमय करने तथा उन्हें अच्छी तरह समझने के लिए आर्थिक मामलों पर लिखने वाले सम्पादकों और केमेन्टेटरों तथा आर्थिक मामलों सम्बन्धी, जिनमें बजट प्रस्ताव भी शामिल है, मंत्रालयों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श की व्यवस्था की गई थी ।

(ख) आम स्वागत पर जो खर्च होता है उसके अतिरिक्त कोई अन्य खर्च नहीं हुआ ।

(ग) एक सूची (अंग्रेजी में) नत्थी करदी गई है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-825/68**]

अणु-शक्ति द्वारा उर्वरकों का उत्पादन

6868. **श्री लोबो प्रभु :**

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

श्री शिवचन्द्र झा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के उत्पादन के लिये अणु शक्ति का उपयोग करने के बारे में डा० विक्रम साराभाई द्वारा कुछ समय पहिले दिये गये सुझाव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला है और क्या सरकार का विचार उर्वरकों के उत्पादन के लिये अणु-शक्ति का प्रयोग करने का है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). सस्ती परमाणु बिजली पैदा करने वाले स्टेशनों के इर्द-गिर्द एक कृषि-औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने से सम्बद्ध तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं का अध्ययन परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा नियुक्त एक अध्ययन दल इस समय कर रहा है। यह अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ है।

नागा तथा मिजो नेताओं की पेकिंग में प्रस्तावित बैठक

6869. **श्री मुहम्मद इमाम :**
श्री अजमल खां :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :
श्री शिवप्पा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या छिपे हुए नागाओं, अवैध मिजो नेशनल फ्रण्ट, विद्रोही कराना और बर्मा के नागाओं के नेता अप्रैल के प्रथम सप्ताह में पेकिंग में मिलेंगे जिसका समाचार 22 मार्च, 1968 को 'स्टेट्समैन' में छपा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारत सरकार का ध्यान उन रिपोर्टों की ओर आकृष्ट हुआ है जो छिपे नागाओं, गैर-कानूनी मिजो नेशनल फ्रण्ट इत्यादि की पीकिंग में प्रस्तावित बैठक के सम्बन्ध में कुछ अखबारों में प्रकाशित हुई हैं। बहरहाल, सरकार को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। जहां तक चीन के साथ छिपे नागाओं के सम्पर्क का सवाल है, सदन को समय-समय पर जानकारी दी जाती रही है—पिछले बार इस प्रकार की जानकारी 20-3-68 को एक ध्यानाकर्षण नोटिस के जवाब में दी गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजनैतिक प्रसारण

6870. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के राजनैतिक वातावरण को सुधारने के लिये दल-बदलुओं के विरुद्ध रेडियो पर वार्ता प्रसारित करने के लिए देश के प्रसिद्ध राजनैतिक नेताओं को आमन्त्रित करके कुछ रूपकों का आयोजन करने के बारे में सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

समाचार एजेंसियों को भुगतान

6871. **श्री जुगल मंडल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 तथा 1967-68 में समाचार प्राप्त करने के लिये प्रत्येक समाचार एजेंसी को सरकार ने कितनी राशि दी है ;

(ख) उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). एक विवरण (अंग्रेजी में) जिसमें सन् 1965-66 के बारे में अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन की मेज पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-826/68**] सन् 1967-68 के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास के प्रचार बुलेटिनों पर प्रतिबंध

6872. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन में भारतीय दूतावास के बुलेटिनों के प्रचार पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) चीन में भारतीय राजदूतावास द्वारा प्रचार बुलेटिनें प्रकाशित करने पर कोई औपचारिक प्रतिबन्ध तो नहीं है, तथापि शासन-सत्ता के स्वरूप और भारत के प्रति चीन की सरकार के शत्रुतापूर्ण रुख के कारण चीन में प्रचार का क्षेत्र काफी सीमित हो जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी फर्मों में वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों द्वारा सेवा किया जाना

6873. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे वरिष्ठ सेना अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने फरवरी 1968 को समाप्त होने वाले दो वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय की अनुमति लेकर व्यापारिक फर्मों में नौकरी कर ली है तथा तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

सेना		
	मेजर जनरल	5
	ब्रिगेडियर	28
	कर्नल	17
नौसेना		
	कमॉडोर	1
	कैप्टेन	3
वायु सेना		
	एयर-कमॉडोर	5
	ग्रुप कैप्टेन	6
चिकित्सा सेवाएं		
	लेफ्टिनेंट जनरल	1
	एयर वाईस मार्शल	1

हिन्दी समाचार अभिकरण

6874. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने तथा कौन-कौन से हिन्दी समाचार अभिकरण इस समय हिन्दी समाचार पत्रों को सूचना दे रहे हैं ;

(ख) क्या हिन्दी समाचार-पत्रों की आवश्यकता वर्तमान समाचार अभिकरणों से पूर्णतः पूरी हो जाती है ; और

(ग) क्या हिन्दी समाचारों की सप्लाई के लिये एक और समाचार अभिकरण स्थापित करने का अनुरोध सरकार से किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). अखिल भारतीय स्वरूप की दो प्रमुख नई समाचार एजेन्सियां, जो भारतीय भाषाओं में समाचार सप्लाई करती हैं वे हैं : हिन्दुस्तान समाचार तथा समाचार भारती। ये दोनों समाचर एजेन्सियां बहुभाषीय एजेन्सियां हैं और ये हिन्दी में भी समाचार सप्लाई करती हैं। कुछ दूसरी छोटी समाचार एजेन्सियां और फीचर सिंडीकेट भी हैं जिनका नाम डाक-तार विभाग के पास समाचार सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये दर्ज है।

भारतीय समाचार एजेन्सियां और समाचार-पत्र सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठन हैं। समाचार-पत्रों द्वारा अतिरिक्त हिन्दी समाचार एजेन्सियों की मांग के अभाव में यह समाचार जा रहा है कि वर्तमान एजेन्सियां पर्याप्त हैं। और अधिक देवनागरी टूरमुद्रक

मशीनों के उपलब्ध होने पर ये एजेन्सियां समाचार भेजने के अपने कार्य-क्षेत्र में और अधिक विस्तार कर पायेंगी और समाचार-पत्रों की और अच्छी सेवा कर सकेंगी ।

(ग) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है और न ही सरकार ऐसी कोई समाचार एजेन्सी स्थापित करने का विचार रखती है जो सरकार की नीति के विरुद्ध हो ।

कीनिया द्वारा भारत में उच्चायोग की स्थापना

6875. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कीनिया सरकार ने भारत में अभी तक अपना उच्चायोग स्थापित नहीं किया है जब कि उसने पिछले वर्ष ऐसा करने का वचन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). भारत में हाई कमीशन खोलने के निर्णय की औपचारिक घोषणा 11 दिसम्बर, 1967 को कीनिया की राष्ट्रीय असेम्बली में की गई थी । उम्मीद है कि यह मिशन निकट भविष्य में खुल जायगा ।

मद्रास में ट्रांसमीटर

6876. **श्री चित्ति बाबू :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के मद्रास केन्द्र का ट्रांसमीटर बहुत कमजोर है ;

(ख) क्या वहां पर नया शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) मद्रास राज्य का प्रसारण क्षेत्र देश के अन्य राज्यों के प्रसारण क्षेत्र से अधिक है । मद्रास में फिलहाल कोई अतिरिक्त उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव नहीं है, न ही वहां के वर्तमान ट्रांसमीटरों की शक्ति अपर्याप्त समझी जाती है ।

नये आयुध कारखाने

6877. **श्री चित्तिबाबू :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन के हमले के बाद प्रतिरक्षा उपकरणों के निर्माण के लिये देश में 6 नये आयुध कारखाने स्थापित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये कारखाने कहां-कहां स्थापित किये गये हैं ;

(ग) इन कारखानों का वार्षिक उत्पादन कितना है ; और

(घ) ये कारखाने किस प्रकार के उपकरणों का निर्माण करते हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (**श्री ल० ना० मिश्र**) : (क) जी हां ।

(ख) दो-दो फैक्टरियां महाराष्ट्र और मद्रास में हैं, और एक-एक पश्चिमी बंगाल और चंडीगढ़ के संघीय क्षेत्र में ।

(ग) यह सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

(घ) ये फैक्टरियां मझोले हथियार, मझोले हथियारों के लिए एम्यूनीशन, विस्फोटक टैंक, केबल और मशीनी हथियारों के लिए फालतू पुर्जों का उत्पादन करती हैं । एक फैक्टरी मशीनों की मरम्मत भी हस्तगत करती है ।

टेलिविजन

6879. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री लोबो प्रभु :**
श्री गिरिराज सरन सिंह : **श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन पर कितनी पूंजी लगी हुई है और उसे चालू रखने पर वार्षिक व्यय कितना है ;

(ख) स्कूलों, सामुदायिक केन्द्रों तथा निजी व्यक्तियों के पास कितने-कितने टेलीविजन सेट हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन तीन वर्गों में टेलीविजन सेटों के उपयोग तथा लाभ के बारे में पता लगाया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या अन्य नगरों में टेलीविजन का विस्तार करने के पूर्व सूचना प्राप्त करने हेतु कोई प्रश्नावली जारी करने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क). दिल्ली टेलीविजन केन्द्र विभिन्न सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से 1959 के बाद, उपहारों के रूप में समय-समय पर प्राप्त उपकरणों की सहायता से स्थापित किया गया था। इस केन्द्र में उपलब्ध मालमत्ते की कुल कीमत 56·9 लाख रुपये है जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा खर्च किए गये 28·4 लाख रुपए भी शामिल हैं। यह केन्द्र आकाशवाणी आडिटोरियम और आकाशवाणी भवन में उपलब्ध सुविधाओं का भी उपयोग करता है।

पिछले तीन वर्षों में दिल्ली टेलीविजन पर हुआ वार्षिक आवर्ती व्यय (फोर्ड फाउंडेशन द्वारा दी गई सहायता को छोड़कर) इस प्रकार है :

वर्ष	रुपए (लाखों में)
1965-66	14·48
1966-67	24.23
1967-68	28·62 (लगभग)

(ख) 31 दिसम्बर, 1967 तक, स्कूलों, सामुदायिक केन्द्रों और गैर-सरकारी व्यक्तियों को दिये गये सेटों का विवरण लगभग इस प्रकार था :

(1) घरेलू इस्तेमाल के लिये	5419
(2) वाणिज्यिक	51
(3) स्कूल*	597
(4) अस्पताल	6
(5) सामुदायिक केन्द्र	81
(6) डीलर	6
(7) जो डीलर नहीं हैं	1
(8) बम्बई क्षेत्र में घरेलू इस्तेमाल के लिये+	23
कुल :	6184

(ग) टेलीविजन से विभिन्न वर्गों के दर्शकों को क्या लाभ हुये हैं, इसका मूल्यांकन करने के लिये अभी तक चार सर्वे किये गये हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Narcondam Island

6880. **Shri Mrityunjay Prasad**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the officials of the Public Works Department who went to Narcondam Island near Port Blair to erect pillars indicating Indian territory found that

*स्कूलों में लगे कुछ सेट आम जनता को दिखाने के लिए भी इस्तेमाल किये जाते हैं।

+क्योंकि बम्बई में कोई टेलीविजन केन्द्र नहीं है अतः ये केवल आधिपत्य लाइसेन्स हैं।

pillars indicating that territory in Burmese possession were already constructed there and consequently they have come back ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Narcondam Island belongs to us and is in our possession. There are no pillars on the Island indicating any other possession nor have the Burmese Government made any claim to it.

हिन्दी फिल्मों का निर्माण

6881. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में हिन्दी फिल्मों के और बम्बई में तमिल फिल्मों के प्रदर्शन को रोके जाने के कारण मद्रास और बम्बई में फिल्म उद्योग में गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप फिल्म उद्योग से सम्बद्ध हजारों तकनीशियन, कलाकार तथा अन्य व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं ; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां, किन्तु सूचना मिली है कि मद्रास में 8 अप्रैल, 1968 से फिर से फिल्मों का प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है ।

(ख) क्योंकि सिनेमागृहों में अन्य भाषाओं की फिल्में दिखाई जा रही हैं, अतः तकनीशियनों, कलाकारों आदि की बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दोनों राज्यों के प्रदर्शकों को सम्बन्धित राज्य सरकारों ने पुलिस सुरक्षा का विश्वास दिलाया है ताकि वे फिल्मों का दिखाना जारी रख सकें ।

श्रीनगर में टेलीविजन

6882. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रीनगर (काश्मीर) में टेलीविजन चालू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राजधानी में टेलीविजन सेवा प्रारम्भ कर दी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े शहरों में शीघ्र ही टेलीविजन चालू करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो श्रीनगर में टेलीविजन सेवा को प्राथमिकता देने के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) श्रीनगर में एक टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) भारत में टेलीविजन के प्रस्तावित विकास का पहला चरण, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में सीमित सुविधाओं सहित टेलीविजन केन्द्रों के स्थापित करने के अतिरिक्त दिल्ली की टेलीविजन सेवा में विस्तार करना भी है ।

(घ) फिलहाल प्रश्न नहीं उठता ।

परमाणु संयंत्रों का निर्यात

6883. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार विदेशों को विशेषकर सुदूर-पूर्व और अफ्रीकी विकासशील देशों को परमाणु संयंत्रों का निर्यात करने और वैज्ञानिक तथा तकनीशियन भेजने के बारे में एक योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय वायुसेना द्वारा इटली से हिसपानों कारतूसों की खरीद

6884. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री 27 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5472 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 20 एम० एम० हिसपानों कारतूसों की खरीद से सम्बन्धित परिस्थितियों की जांच करने के क्या कारण थे ;

(ख) इस विषय पर बाद में नियुक्त की गई समिति की उपपत्तियां क्या हैं ;

(ग) जांच समिति ने क्या सिफारिशें की थीं ; और

(घ) उन अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं जिनके विरुद्ध आरोप लगाये गये थे और ये आरोप किस प्रकार के थे ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). एक इन्क्वायरी की गई थी क्योंकि एम्यूनीशन की उपयोगिता के सम्बन्ध में कुछ सन्देह हो गया था। इस विषय की कमेटी के मुख्य निष्कर्ष और उसकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही उस विवरण में दी गई थी, जो 21 अप्रैल, 1961 को उत्तर दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 1682 के उत्तर में दिए गए आश्वासन की पूर्ति में 8 दिसम्बर, 1961 को सभा के पटल पर रखा गया था। ऐसा माना गया था कि इस सौदे के सम्बन्ध में किसी अफसर के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही आवश्यक नहीं थी।

फिल्म उद्योग के संकट

6885. **श्री दामानी** :

श्री रवि राय :

श्री काशी नाथ पाण्डे :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म उद्योग के सामने अभूतपूर्व संकट है और फिल्म निर्माताओं ने 31 मार्च, 1968 से फिल्मों का निर्माण स्थागित कर दिया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में फिल्म निर्माताओं, वितरकों और फिल्म प्रदर्शन कर्त्ताओं के बीच कोई बातचीत हुई है ; और

(ग) स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). 28 मार्च, 1968 को हुये समझौते में, जिसकी प्रतियां सभा-पटल पर भी रखी गई थीं, थियेटरों के किराये के प्रश्न पर सविस्तार चर्चा नहीं हुई थी किन्तु यह स्वीकार कर लिया गया था कि किराये का ऐसे ढंग से समंजन किया जायेगा जिसमें निर्माताओं के साथ न्याय हो। किराये में परिवर्तन 12 अप्रैल, 1968 से लागू होना था और परिवर्तन के बारे में घोषणा श्री सी० वी० देसाई और श्री रोशन लाल मलहोत्रा द्वारा 30 अप्रैल, 1968 से पहले की जानी थी। कोई मतभेद होने पर फैसला सूचना तथा प्रसारण मंत्री को करना था। यह अपेक्षा की गई थी कि अन्तर्निहित सिद्धान्त दूसरे सरकारों में भी लागू होंगे। दुर्भाग्यवश, ऐसा लगता है कि 2 अप्रैल, 1968 को बम्बई के फिल्म निर्माताओं ने यह निर्णय किया कि जब तक निर्माताओं और फिल्म कलाकारों तथा निर्माताओं और प्रदर्शकों के बीच एक समझौता नहीं हो जाता तब तक वे अपने मूल निर्णय पर ही डटे रहेंगे।

बम्बई के 17 स्टूडियों में, मद्रास के 5 स्टूडियों में और कलकत्ता के एक स्टूडियों में काम ठप्प हो गया है और हिन्दी फिल्म दिखाने वाले थियेटरों पर इसका प्रभाव पड़ा है। यह दावा किया गया है कि कर्मचारियों को जबरदस्ती नौकरी से अलग नहीं किया जायेगा किन्तु

कुछ कर्मचारी बेरोजगारी की शिकायत करते हैं। इस समय 161 फीचर फिल्म जिनमें 60 रंगीन फिल्म भी शामिल हैं, निर्माणाधीन हैं और उनका क्या होगा, यह कुछ निश्चित नहीं है।

सौभाग्य से मद्रास ने हिन्दी फिल्मों का निर्माण और प्रदर्शन पुनः आरम्भ कर दिया है।

निर्माता, वितरक, फिल्म कलाकार और प्रदर्शक सूचना तथा प्रसारण मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। यद्यपि निर्माण की ऊंची लागत के प्रश्न को और नहीं टाला जा सकता तथापि किराये का प्रश्न और भी अधिक मुश्किल है।

स्थिति अभी भी अनिश्चित है। सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है और समझौता हो सकता है। सरकार ने अभी तक राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार नहीं किया है। यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है।

चीनी सैनिक का भारतीय राज्य-क्षेत्र में प्रवेश

6886. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** **श्री अ० दीपा :**
श्री मुहम्मद इमाम : **श्री स्वैल :**
श्री अजमल खां :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक साम्यवादी चीनी सैनिक ने हाल में सिक्किम-तिब्बत सीमा के पास भारतीय राज्य-क्षेत्र में प्रवेश किया था ;

(ख) क्या उसने हमारे देश में राजनैतिक शरण ली है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि यह सैनिक हमारे देश में जासूसी करने के लिये तो नहीं आया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) एक चीनी सैनिक सिक्किम-तिब्बत से सिक्किम में अतिलंघन कर आया था, और उसे पकड़ लिया गया था।

(ख) और (ग). यह एक समयपूर्व प्रश्न है, और मांगी गई सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

Order for Supply of Goods Placed on Dhanda Engineers (P) Ltd., Faridabad

6887. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Molahu Prasad :**
Shri Hardayal Devgun : **Shri Jyotirmoy Basu :**
Shri Kanwar Lal Gupta : **Shri R. S. Vidyarthi :**
Shri Sharda Nand : **Shri Ram Charan :**
Shri Shiv Kumar Shastri : **Shri O. P. Tyagi :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an order was placed by the Defence Supply Department on

the Dhanda Engineers (P) Ltd., Faridabad for the supply of goods worth about Rs. 25 lakhs;

(b) whether it is a fact that the time-limit fixed for the supply of these goods is being extended repeatedly;

(c) whether it is also a fact that a proposal to place another order to manufacture goods worth about Rs. 28 lakhs to the same firm has been sent to Government for consideration;

(d) whether it is also a fact that the capital of this firm is not worth even one lakh of rupees; and

(e) whether the names of other firms were suggested by the Director General, Technical Department for placing such supply orders and if so, the reasons for not placing orders with other firms?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) Yes, Sir.

(b) The time-limit for supply has been extended once.

(c) The quotations of this firm along with those of other firms are under consideration.

(d) No, Sir. The assets of the firm are much in excess of this sum.

(e) Some firms were suggested and their offers along with that of Messrs. Dhanda are under consideration.

श्री ब० रा० भगत की कीनिया यात्रा

6888. **श्री स्वैल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नैरोबी के 'डेली नेशन' नामक समाचार पत्र में 'दि भगत अफ्यर' शीर्षक के अन्तर्गत छपे लेख की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि श्री ब० रा० भगत ने कीनिया के नयाचार का उल्लंघन किया था ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान कीनिया के वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के राज्य-मंत्री के इस आशय के वक्तव्य की ओर भी दिलाया गया है कि समाचार-पत्रों में श्री भगत की यात्रा के बारे में सचाई को तोड़मोड़ कर पेश किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस समूचे काण्ड के तथ्य क्या हैं ?

प्रधान-मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) विदेश मंत्रालय में राज्य-मंत्री ने 25 मार्च, 1968 को इस सदन में जो वक्तव्य दिया था उसमें तथ्य बताये थे ।

भारत-वर्मा सीमा पर सुरक्षा पट्टी

6889. **श्री स्वैल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और वर्मा का साझी सीमा पर एक सुरक्षा पट्टी

बनाने के लिये भारत और वर्मा के बीच समझौता हुआ है और इसके अन्तर्गत दोनों देशों की सेनाओं द्वारा सीमा पर गश्त लगाने में निकट सम्पर्क और तालमेल रखा जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो दोनों ओर यह पट्टी कितनी चौड़ी और लम्बी होगी ?

प्रधान-मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं। अपनी-अपनी ओर की स्थिति के अनुसार प्रत्येक देश अपनी सीमा पर गश्त लगा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नेपाल में 'फर्ज' फिल्म पर प्रतिबन्ध

6890. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने 'फर्ज' फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगा दिया था ;

(ख) यदि हां, तो नेपाल सरकार ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण बताये थे ; और

(ग) क्या किसी अन्य देश ने भी इस फिल्म पर प्रतिबन्ध लगाया है और यदि हां, तो उस देश का नाम क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). हमारी जानकारी के अनुसार फिल्मों को बन्द करने के लिये कोई आदेश पास नहीं किये गये थे यद्यपि कुछ समाचार-पत्रों में अलग-अलग समाचार छपे थे। यह फिल्म काठमण्डू में 5 सप्ताह और बीरगंज में 11 दिन चली और मालूम होता है कि उसके बाद इसे वापिस ले लिया गया।

(ग) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

विदेशों को सद्भावना शिष्टमंडल

6891. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 13 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 602 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन सद्भावना शिष्टमंडलों पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ख) आगामी वर्ष (1968-69) में इन शिष्टमंडलों के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है और किन योजनाओं के लिये ऐसे शिष्टमंडल अन्तिम रूप से बनाये गये हैं और यह शिष्टमंडल किन देशों को भेजे जायेंगे ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ सद्भावना शिष्ठमंडलों को, जिन्हें हाल ही में विदेश भेजने का विचार था, रद्द कर दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उन्हें रद्द करने के क्या कारण हैं ?

प्रधान-मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

(ख) इस मंत्रालय के बजट में सद्भावना मिशनों के लिये कोई अलग उपबन्ध नहीं रखा जाता । विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित मिशनों पर जो खर्चा होता है उसको विदेशों के लिये सभी प्रतिनिधिमंडलों/प्रतिनियुक्तियों के लिये उपबंधित राशि में से पूरा किया जाता है । इस प्रकार के तो कोई कार्यक्रम नहीं हैं और आवश्यकता पड़ने पर सद्भावना मिशन भेजे जाते हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रपति केन्याटा का वक्तव्य

6893. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 27 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5475 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कीनिया में नियुक्त भारतीय उच्चायुक्त द्वारा कीनिया के राष्ट्रपति केन्याटा के वक्तव्य के अधिकृत संस्करण के लिये प्रार्थना किये जाने के फलस्वरूप उनको राष्ट्रपति केन्याटा द्वारा कही गई बातों का सही संस्करण उपलब्ध किया गया था अथवा उनको इस आशय का साधारण उत्तर दे दिया गया था कि इस प्रकार का वक्तव्य नहीं दिया गया था ;

(ख) क्या भारतीय उच्चायुक्त ने इस मामले के ठीक तथ्यों के बारे में स्वयं कोई जांच की थी ;

(ग) क्या कीनिया सरकार ने प्रकाशित हुये भाषण का प्रतिवाद जारी किया है ; और

(घ) क्या हमारे उच्चायुक्त ने ऐसा प्रतिवाद जारी किये जाने का सुझाव दिया था और क्या हमारे उच्चायुक्त ने स्वयं इस मामले में कोई स्पष्टीकरण जारी किया था ?

प्रधान-मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 23 फरवरी, 1968 के एक नोट में कीनिया के विदेश कार्यालय ने हमारे हाई कमीशन को सूचित किया था कि सुझाये गये रूप में कोई वक्तव्य नहीं दिया गया था परन्तु उन्होंने सरकारी प्रति उपलब्ध नहीं कराई ।

(ख) से (घ). हमारे हाई कमिश्नर ने इस मामले में आगे और कार्यवाही की और कीनिया के विदेश कार्यालय को यह सुझाव दिया कि वह भारत-कीनिया संबंधों के हित में दैनिक समाचार-पत्र 'नेशन' में प्रकाशित राष्ट्रपति केन्याटा के शब्दों का सरकारी तौर से खंडन करते हुए एक वक्तव्य जारी करने की बात पर विचार करे क्योंकि उक्त शब्दों का कीनिया और भारत में व्यापक प्रचार हुआ है । बहरहाल, अभी तक कीनिया के विदेश कार्यालय ने इन शब्दों का खण्डन करते हुए कोई वक्तव्य प्रकाशित नहीं किया है ।

प्रादेशिक सेना, दिल्ली के वायु प्रतिरक्षा रेजिमेंट में घटी घटना

6894. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में आनन्द पर्वत पर प्रादेशिक सेना के वायु प्रतिरक्षा रेजिमेंट के क्वार्टर गार्ड पर तैनात संतरी से एक 303 वाली भरी हुई राइफल छीनकर कुछ अपराधी व्यक्ति साफ बच निकले ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य सैनिक कर्मचारियों ने इन अपराधियों को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया और उस टैक्सी का भी कोई पीछा नहीं किया गया जिसमें वे लोग जा रहे थे ;

(ग) क्या इस टैक्सी का पंजीकृत प्लेट नम्बर अन्य व्यक्तियों ने लिख लिया था और पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बारे में कुछ सुराग मिले हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस राइफल के कब तक बरामद हो जाने की आशा है ; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटना न होने पाये, इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ङ). यह सच नहीं है कि एक भरी हुई राइफल छीन ली गई थी । तदपि 21 मार्च, 1968 को लगभग साढ़े दस बजे रात को किसी शरारती द्वारा, जो एक टैक्सी में आया था (प्रा० सेना की) एयर डिफैंस रेजिमेंट के क्वार्टर गार्ड के एक सन्तरी से राइफल छीन लेने का असफल यत्न किया गया था । सन्तरी द्वारा सावधान किये जाने पर गार्ड कमांडर टैक्सी के ड्राइबर से भिड़ गया, जो लौटने के लिये मुड़ रही थी, और ड्राइबर से तब तक भी चमटा रहा, कि जब तक वह गति पकड़ते चल दी, और गाड़ी के अन्दर वालों ने उस पर प्रहार कर कुछ दूर गिरा नहीं दिया । गार्ड कमांडर और सन्तरी ने गाड़ी का नम्बर नोट कर लिया था, और पुलिस को बता दिया गया था, जिन्होंने जांच हस्तगत कर ली है, जो जारी है । इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है ।

एशिया फाउंडेशन से सहायता प्राप्त करने वाली संस्थायें

6895. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार द्वारा एशिया फाउंडेशन को दी जाने वाली सहायता के बन्द कर दिये जाने के कारण गांधी साहित्य अध्ययन संस्थान बनारस की नव शिक्षा फाउंडेशन, युवक किसान संस्था, भारतीय लोक प्रशासन संस्था, ऐतिहासिक अध्ययन संस्था (कलकत्ता) और राजस्थान विश्वविद्यालय जैसे संगठनों को जिन्हें एशिया फांउडेशन से सहायता मिलती है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या फांउडेशन को समाप्त करने के सरकारी निर्णय को पहिले फांउडेडन ने इन संगठनों की 400,000 डालर की सहायता की प्रार्थनाओं को केन्द्रिय सरकार को भेजा था ; और

(ग) इन संस्थाओं को सहाययता देने के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

प्रधान-मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) केवल गांधी अध्ययन संस्था ने ही कुछ ऐसी कठिनाइयों की ओर संकेत किया है जिनका वह सामना कर रही है। सरकार को दूसरी संस्थाओं से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जीं हां।

(ग) उन उपयोगी परियोजनाओं को सहायता देने की वैकल्पिक व्यवस्था का प्रश्न विचाराधीन है जिनको पहले एशिया फांउडेशन से सहायता मिल रही थी।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उप-प्रधान मंत्री की सिक्किम, भूटान और अग्रिम क्षेत्रों की यात्रा

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : श्रीमान्, मैं उप-प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में वक्तव्य दें :

"उनकी सिक्किम, भूटान और अग्रिम क्षेत्रों की यात्रा"

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अपनी हाल की दिल्ली यात्रा के दौरान भूतान नरेश ने और सिक्किम के चोग्याल ने अपने देशों की यात्रा का मुझे व्यक्तिगत निमन्त्रण दिया था। इन दोनों में से किसी भी देश में मैं पहले नहीं गया था और भारत सरकार की इन दोनों मित्र राज्यों के साथ निकट सम्बन्ध रखने की नीति को ध्यान में रखते हुए ये निमन्त्रण स्वीकार कर लिये गये। भूतान में यह सद्भावना यात्रा 23 से 25 मार्च तक और सिक्किम में 26 से 28 मार्च तक हुई।

भूतान में मैंने महामहिम भूतान नरेश, राजकीय सलाहकार परिषद् के सदस्यों और अन्य प्रमुख भूतानी अधिकारियों के साथ तथा भूतान सरकार को इस समय प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये भारतीय अधिकारियों के साथ भी चर्चाएं कीं। ये चर्चाएं सामान्यतः, देश के आर्थिक विकास की समस्याओं तथा 1960-61 से भारतीय सहायता से चल रही योजनाओं के कार्यचालन के सम्बन्ध में थीं। महामहिम ने भारत सरकार द्वारा दी गई तकनीकी और वित्तीय सहायता की प्रशंसा की।

महामहिम भूतान नरेश की प्रार्थना पर मैंने पारो हवाई क्षेत्र का उद्घाटन किया, जो भूतान की सीमा में पहला नियमित हवाई क्षेत्र है। वहां पर कई औपचारिक समारोह भी हुए जिनमें मठों, स्थानीय संस्थाओं और थिम्पू स्थित जलविद्युत कारखाना देखने जाना भी शामिल है। दोनों ओर से दिये गये सभी वक्तव्यों में दोनों देशों के हितों की पूर्ण समानता और सम्बन्धों की निकटता अभिव्यक्त हुई। अनौपचारिक चर्चाएं भी निष्कपट तथा मैत्रीपूर्ण ढंग से हुई।

इसी प्रकार सिक्किम की यात्रा भी पूर्णतः सद्भावना यात्रा थी। जैसा कि स्वाभाविक ही था, इस अवसर पर श्री चोग्याल और उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, सिक्किम में 1956 में भारतीय सहायता योजनाओं के प्रारम्भ से लेकर अब तक की प्रगति के बारे में चर्चा हुई। भूतान की भांति यहां भी यह देखा गया कि जहां एक तरफ विकास कार्य को अधिक गति देने पर आग्रह है, वहां दूसरी तरफ स्थानीय साधनों पर निर्भरता बढ़ाने पर भी जोर दिया जाता है।

सिक्किम के समारोहों में, सिक्किम सरकार की मालिकी के सिक्किम खनन निगम की खानों, तिब्बत-विद्या संस्थान, स्थानीय कुटीर उद्योगों, गंगतोक के मुख्य अस्पताल और एक हाई स्कूल देखने जाना भी शामिल है। विभिन्न संस्थाओं के कार्य काफी प्रभावशाली प्रतीत हुए।

28 मार्च, 1968 को सिक्किम से लौटते समय मैं थोड़ी देर के लिए सिक्किम-तिब्बत सीमा के निकट अपनी सीमा के अग्रिम क्षेत्रों को भी देखने गया। इसका उद्देश्य उन परिस्थितियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना था जिनमें हमारी सशस्त्र सेनाएं सिक्किम-तिब्बत सीमा के बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में रहती और कार्य करती हैं। जिस सतर्कता और मनोबल के साथ हमारी सेनाएं अपना काम अंजाम दे रही हैं, वह वास्तव में प्रशंसनीय है।

भूतान, सिक्किम और भारत के बीच वर्तमान पूर्ण-सद्भाव तथा परस्पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के कारण इन राज्यों की जनता तथा शासक अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के मामलों में भारत से सहायता की अपेक्षा करते हैं। इन पड़ोसियों के प्रति अपने कर्त्तव्य की स्वीकृति के रूप में भारत सरकार ने अब कुछ समय से इन दोनों राज्यों को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता देना शुरू कर दिया है। मैंने न केवल इस बात को दोहराया कि भूतान तथा सिक्किम की जनता के आर्थिक विकास तथा कल्याण में भारत सरकार की गहरी रुचि है अपितु फिर से यह आश्वासन दिया कि तीव्रतर प्रगति तथा आन्तरिक साधनों का प्रचुर विकास करने के हेतु आवश्यक व्यवस्था का प्रबन्ध करने में हम सहयोग देने को प्रस्तुत हैं। इस बात की खुशी है कि दोनों शासकों के व्यवहार में यथार्थ की अनुभूति तथा सद्भाव होने से काम में सरलता रही।

इन यात्राओं का कोई राजनीतिक अथवा सुरक्षा सम्बन्धी महत्व नहीं था और ये मात्र सद्भावना यात्रा के रूप में थीं। मेरे लिये यात्रा बहुत सुखद और अनुभव उपयोगी रहा है।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं जानता चाहता हूं कि क्या भारत सरकार सिक्किम और भूटान को दी जाने वाली आर्थिक तथा प्रतिरक्षा सहायता बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री मोरारजी देसाई : जैसाकि मैं कह चुका हूं, हमने इन दोनों पड़ोसी देशों को आश्वासन दिया है कि अपने साधनों को ध्यान में रखकर हम आवश्यक सहायता देने के लिये तैयार हैं।

Shri S. C. Jha (Madhubani) : May I know the pace of progress of the development works, transport works and defence work undertaken there with the help of Indian loans and grants ? How far they have been completed and when they are likely to be completed ? What is the reaction of the local people and how high is their morale regarding external aggression ?

Shri Morarji Desai : Indian personnel are sent there as per the requisition made by the two countries. We have told them to train the local people so that may take over the responsibility on themselves. They also prefer it and they are working on these lines. The transport position is also improving. Everything is being done but it will take time. Whatever assistance can be provided, is being given by us.

Shri S. C. Jha : What about the morale of the people ?

Shri Morarji Desai : Their morale is higher than that of my Hon. friend.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

पांडे समिति आदि की सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में प्रतिवेदन

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के विषय में पाण्डे समिति के प्रतिवेदन के बारे में आधे घण्टे की चर्चा के दौरान 21 जुलाई, 1968 को दिए गए एक आश्वासन के अनुसरण में, दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र के विषय में पाण्डे समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-792/68]**

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिए बोकारो स्टील लिमिटेड के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बोकारो स्टील लिमिटेड के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-793/68]

(3) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिये हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता, के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता, के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-794/68]

खनिज तथा धातु व्यापार निगम आदि के कार्य की समीक्षा

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं श्री दिनेश सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिए मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली, के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष, 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-795/68]

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिए स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-796/68]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

सत्ताइसवां प्रतिवेदन

श्री र० के० खाडिलकर (खेड) मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सत्ताइसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

बयालिसवां प्रतिवेदन

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : मैं खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय (कृषि विभाग)—भारत-नार्वे परियोजना एरणाकुलम—के बारे में प्राक्कलन समिति का 42वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

दसवां प्रतिवेदन

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : मैं नेशनल कोल डेवेलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड—लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1967 के सेक्शन III में लेखापरीक्षा पैराग्राफों के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अनुदानों की मांगें, 1968-69—जारी
DEMANDS FOR GRANTS, 1968-69—Contd.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय—जारी

श्री शिवप्पा (हसन) : मुझे समझ नहीं आता कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को वसूली प्रणाली आरम्भ करने की कैसे अनुमति दी है, जिसके अन्तर्गत राज्य उसके द्वारा नियत मूल्य पर अनिवार्य रूप से कृषि उपज का एक भाग अर्जित कर सकती है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

मैं जानना चाहता हूं कि संविधान के किस उपबन्ध के अन्तर्गत राज्य सरकारों को किसानों से उनके द्वारा अपनी भूमि में पैदा की गई उपज का कुछ भाग लेने का अधिकार दिया गया है। इस वसूली का औचित्य क्या है? यदि आप किसी उद्योगपति से कहें कि वह अपने उत्पादन का 25 प्रतिशत निश्चित दर पर नियत सरकार को दे, तो क्या यह योजना सफल होगी? नहीं। फिर किसानों से इस वसूली का संवैधानिक औचित्य क्या है? मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। बामपंथी दलों के मेरे विद्वान मंत्री श्रमिक वर्ग के हिमायती बनते हैं। लेकिन उन्होंने भी 66 प्रतिशत किसानों की ओर ध्यान नहीं दिया है। मेरे माननीय मित्र समाजवाद की लम्बी चौड़ी बातें करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिये किसी दूसरे व्यक्ति का सब कुछ छीन लेना समाजवाद है? केन्द्रीय सरकार कैसे चुप रह सकती है जबकि संविधान में प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता की गारन्टी है?

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि हाल में कुछ संसद् सदस्य मूल्यों के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये पंजाब गये थे। एक एकड़ भूमि में खेती की लागत 71 रुपए है, जिसमें किसान और उसके परिवार के सदस्यों का दिन-रात का श्रम शामिल नहीं है। परन्तु सरकार ने केवल 71 से 81 रुपए का मूल्य निर्धारित किया है। सरकार को किसान के हितों को ध्यान में रखकर मूल्य-निर्धारण के प्रश्न पर पुनर्विचार करना चाहिए। यदि किसान को 5 अथवा 10 रुपए की आय दी जाती है, तो वह जीवित कैसे रहेगा और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार

के विभिन्न करों का भुगतान करेगा ? कृषि एक राज्य विषय है परन्तु तकनीकी जानकारी तथा उद्योग—ट्रैक्टर आदि—से केन्द्रीय मंत्रालय का सम्बन्ध है। केन्द्रीय सरकार को कृषि वस्तुओं का मूल्य बढ़ाना चाहिए। अमरीका, पश्चिम जर्मनी और जापान में बुवाई से लेकर उपज के मंडी में बेचे जाने तक सरकार राज-सहायता देती है। मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि वे किसानों द्वारा पैदा की जाने वाली सभी वस्तुओं के मूल्य घोषित करें।

खाद्यान्नों के लाने-ले जाने पर प्रतिबन्धों के कारण किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा है। राजस्थान में एक किलो चने का मूल्य 50 पैसे है जबकि इसका मूल्य मैसूर, आन्ध्र तथा अन्य दक्षिणी राज्यों में प्रति किलो 2 रुपए है। किसान काफी पूंजी लगाकर अच्छी फसल पैदा करता है लेकिन सरकार उस समय उचित मूल्य पर उसकी उपज नहीं खरीदती, अभाव के समय सरकार वसूली योजना लागू कर देगी। किसान अशिक्षित और भोला होने के कारण चुप रहता है और उनका कोई संगठन नहीं है। भारत सेवक समाज उनका संगठन रहा भी है परन्तु वह वोट आकर्षित करने और कुछ राजनीतिक नेताओं अथवा एजेंटों के लिए धन इकट्ठा करने का साधन रहा है। लेकिन अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बदल रहा है। किसान हमें सबक सिखा देगा। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि क्षेत्रीय प्रणाली को तुरन्त उदार बनाया जाये अथवा बिलकुल समाप्त कर दिया जाये। यदि राजस्थान से चना मैसूर भेजा जाए, तो वहां 80 पैसे अथवा 1 रुपया 20 पैसे मूल्य मिल सकता है जिससे किसान और उपभोक्ता दोनों को लाभ होगा। राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की परवाह नहीं करती हैं, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। 28 मार्च, को मुख्य मंत्री सम्मेलन में क्षेत्राधिकार बढ़ाने और निर्यात की अनुमति देने के बारे में सहमति हुई थी परन्तु 29 मार्च को राजस्थान से भेजी गई विभिन्न वस्तुओं से भरे हुए 160 ट्रकों को मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र सीमा पर सिधवा के निकट बिसांसी चुंगी पर रोक लिया गया। तबसे ये ट्रक वहीं पर हैं। केन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार से भी कोई लाभ नहीं हुआ। इतनी अधिक मात्रा बेकार हो रही है। देश में पर्याप्त मात्रा में अनाज है जिसके लाने-ले जाने की छूट होनी चाहिए। इससे जनता और उत्पादकों, दोनों को ही लाभ होगा।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की हमारे अधिकांश मित्र अनेक वर्षों से आलोचना करते रहे हैं। उन्हें आलोचना करने का कोई शौक नहीं है, वे चाहते हैं कि हमारे देश का भला हो, हमारी जनता का भला हो, हमारा लोकतन्त्र अधिक सुरक्षित हो तथा हम समृद्धशाली हों। एक समाचार-पत्र में सामुदायिक विकास को भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पक्षपात का मल-कुण्ड बताया गया है। इसे सत्तारूढ़ दल के लिए वोट प्राप्त करने का साधन कहा गया है। क्या इस बारे में जांच करने के लिए प्रत्येक राज्य में वे एक उच्च स्तरीय समिति बनाने के लिए सहमत हैं ? मैं यह सिद्ध करने के लिए तैयार हूं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए दिया गया 2 प्रतिशत धन भी किसानों के पास नहीं पहुंचा है।

कृषि विभाग छोटे पैमाने की सिंचाई के मामले में हर संभव कार्यवाही नहीं कर रहा है। सामुदायिक विकास विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। राज्यों को सामुदायिक विकास के लिए केन्द्र द्वारा दिये गये अनुदानों का दुरुपयोग किया गया है और व्यक्तिगत कामों में खर्च कर लिया गया है।

जिन्हें हम भूमि सुधार कानून कहते हैं उनसे समाज की समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो जानी चाहिए थी, पर वास्तव में उनसे ग्रामीण जनता की दशा सुधरी नहीं है। इनसे किसानों में मुकदमे बाजी की प्रवृत्ति बढ़ गई है। देश में ऐसे भूमि सुधार कानून की जरूरत है कि जिनसे भूमि मालिकों की कानूनी स्थिति और खेतिहरों के अधिकार स्पष्ट हो जाएं। पर अब तक के भूमि सुधार कानून से भूमि मालिक और किसानों के सम्बन्धों में कटुता पैदा हुई है। भूमि सुधार का काम राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बल्कि केन्द्रीय स्तर पर एक समिति गठित की जानी चाहिए और यह समिति ऐसे भूमि सुधार कानूनों को लागू करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करे जोकि देश के विभिन्न भागों और किसानों के लिए उपयोगी लगें।

देश में अनेक अनुसंधान संस्थाएं स्थापित की हुई हैं और इनमें अनुसंधान के सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं पर हमें सोचना यह है कि इन अनुसंधान कार्यों का लाभ जनसाधारण को कहाँ तक मिल रहा है।

शिक्षा मंत्रालय और कृषि विभाग में कोई समन्वय और सहयोग नहीं है। जर्मनी में प्रत्येक स्कूल में कृषि को विशेष विषय रखा गया है। भारत में भी इसकी अत्यधिक आवश्यकता है और यदि किसानों को इसी तरह शिक्षित कर दिया जाए तो खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाना बहुत सरल हो जाये।

श्री ब्रह्म प्रकाश (बाह्य दिल्ली): सामुदादिक विकास विभाग और सहकारिता विभाग ही देश में ऐसे हैं जिनका देश की ग्रामीण जनता से थोड़ा बहुत सम्बन्ध है। पर खेद की बात है कि इन विभागों पर बहुत कम धन खर्च किया गया है।

यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि सामुदायिक विकास विभाग को तोड़ देना चाहिए क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। वास्तव में यह विभाग रहना अत्यावश्यक है और इसे मजबूत बनाया जाना चाहिए।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री ब्रह्म प्रकाश : मैं बता रहा था कि सामुदायिक विकास और सहकारिता का कृषि क्षेत्र में क्या महत्व है। खेद की बात है कि प्रधानमंत्री नेहरू के स्वर्गवास हो जाने के बाद इन दोनों विभागों का रुतबा कम कर दिया गया है और उनको आवंटित की जाने वाली रकमों में कटौती कर दी गई है। पहले सामुदायिक विकास विभाग में एक अतिरिक्त सचिव होता था। सहकारिता

विभाग की देखभाल के लिए भी एक सचिव था। ये पद या तो समाप्त कर दिये गये हैं या इन पदों पर किसी को नियुक्त नहीं किया गया है। इसी प्रकार अन्य अधिकारियों की संख्या भी कम कर दी गई है। केवल इन दोनों विभागों में ही मितव्ययिता करने के उपाय किये जा रहे हैं जबकि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये विभाग अति महत्वपूर्ण हैं।

हमने पिछली तीन योजनाओं के दौरान खेती के प्रति उदासीनता दिखाई है। पर अब हर सम्बन्धित व्यक्ति इसके महत्व को अनुभव कर रहा है क्योंकि इस उदासीनता के फलस्वरूप अर्थ-व्यवस्था और औद्योगिक उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कृषि की उन्नति के लिए निरन्तर प्रयत्न करने की आवश्यकता है और उसके लिए सामग्री तथा जन-शक्ति जुटाने की दृष्टि से लगातार धन लगाया जाना चाहिए। अमरीका जैसे देश भी खेती में बहुत अधिक धन लगाते हैं पर हमने उन अर्थशास्त्रियों की सलाह मानकर जो कल्पना के जगत में ही रहते हैं, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की उपेक्षा की है।

आर्थिक मूल्य या समर्थन मूल्य की बात करना ही काफी नहीं है। हमें किसानों को प्रोत्साहन देने वाला मूल्य निर्धारित करना चाहिए। इस मामले में किसानों को आश्वासन करायें।

हमने अपनी आयोजना में यह स्वीकार किया है कि उत्पादन का मुख्य साधन सहकारिता है। पर सहकारिता आन्दोलन के प्रसार के लिए वित्तीय व्यवस्था, प्रशासन तंत्र और शिक्षा जैसी बातों की अधारभूत आवश्यकता है। उन्हें हमने अभी तक पूरा नहीं किया है। सहकारिता विकास का जो ढांचा ब्रिटिश काल में था वही अब भी बना हुआ है। इस ढांचे को बदलना जरूरी है।

जहां तक धन की व्यवस्था करने का सम्बन्ध है, कृषि और सहकारिता आन्दोलन के लिए धन जुटाने का काम रिजर्व बैंक ठीक तरह नहीं कर सकता है। यह संस्था बैंकों का बैंक है। यह इस काम में पूरी-पूरी सहायता नहीं दे सकती है। अतः कृषि और सहकारिता का एक राष्ट्रीय बैंक बनाना चाहिये जैसा कि बाहर के लगभग 25 देशों में किया गया है। जितनी भी धन की आवश्यकता पड़े वह इस राष्ट्रीय बैंक के माध्यम से दिया जाना चाहिए।

सहकारिता सम्बन्धी कानून अधिकाधिक जटिल होता जा रहा है और उससे हतोत्साह होता है। इस कानून का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए और सहकारिता आन्दोलन के मार्ग निर्देशन के लिए उसे नया रूप दिया जाना चाहिए।

सरकारी संगठनों को चाहिए कि वे सहकारी बाजार समितियों, उपभोक्ता समितियों और निर्यात तथा आयात व्यापार सम्बन्धी संगठनों के साथ घनिष्ठ सहयोग रखें पर दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा नहीं किया जा रहा है। आजकल खाद्य निगम सहकारी बाजार समितियों के साथ प्रति-योगिता कर रही है। इसी प्रकार राज्य व्यापार निगम निर्यात आयात व्यापार के क्षेत्र में सह-कारिता आन्दोलन के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता।

सहकारिता आन्दोलन के नाम पर आज अनेक सुपर बाजार बनाये जा रहे हैं और उन्हें सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किया जाता है। उनके बोर्डों के सदस्यों को अधिकारियों द्वारा नामजद किया जाता है। ये सब बातें सहकारिता आन्दोलन के सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं। नाम निर्देशित सदस्यों को लेकर इस प्रकार बोर्डों को नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि भारत सरकार सिद्धान्ततः यह स्वीकार कर चुकी है कि केवल एक तिहाई निदेशक ही सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे और अन्य निदेशक जनता द्वारा चुने जायेंगे।

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : Nature has been so kind to us that we have a good harvest this year. But this does not mean that we should slacken our efforts in the field of food production. It is to be regretted that today we are not giving due priority to agricultural production as was given in the First Plan. It should be realised that agriculture is the backbone of our economy and hence all efforts have to be made to develop this sector.

The first thing necessary is that seeds should be made available to the farmers at the appropriate time and at cheaper rates. Farmers are not in a position to purchase seeds at Rs. 40 to Rs. 50 per kilo which was the price at the time of the last sowing. Therefore, Government must see that seeds are supplied to the farmers at cheaper rates.

So far as irrigation is concerned, various projects have been undertaken but we have not yet been able to solve the problem, upto this day only about 25 per cent of land has been brought under irrigation. If we want to bring more and more land under agriculture it is necessary that minor irrigation projects are given priority. It is also necessary that all facilities are made available to the farmers so that they may be able to construct more and more wells for irrigation purpose.

We are importing a large quantity and fertilizers from abroad. There is no doubt that they are very useful for agriculture. Still we should pay more attention to the use of green manure and cowdung. If we stop using these manures, the fertility of our soil will go down in course of time. We have to be very cautious in this regard.

So far as the Co-operative organisation is concerned, it is necessary that a commission should be set up to review the work done so far in order to find out whether it has been commensurate with the money spent in this regard. It appears that these bodies have become centres of politics and are not doing the real work for which they have been set up.

It is necessary that crop insurance should be introduced in our country. If the farmer is assured of a fair return he will be encouraged to invest more and more money in agriculture. This is very necessary in border areas where enemies carry away our produce. Government should give a definite assurance in this regard.

In view of the increased food production in the country, Government should consider the question of abolition of food zones. These zones have created unnatural barriers in the country and the farmer do not get the full price of his produce.

Shri K. N. Tiwari (Bettiah) : The Government deserves to be congratulated for forming a big food zone consisting of Punjab, Haryana and Delhi. In view of the increased food production there is no justification for retaining the small zones. It is not known what difficulties the Government will have to be faced in abolishing the zones.

It is also necessary that the fair price should be ensured to farmers for their produce. As long as the farmer is not given an incentive price we will not be able to increase our food production. The Government have appointed an Agricultural Prices Commission for this purpose. But it has turned out to be a reactionary Commission; it is a consumer-oriented body which does not think of the benefit of the farmers. Government should see that the prices are so fixed that the farmers get a fair return for their produce.

As regards credit facilities to the farmers, there is no use talking of nationalisation of banks. What is more necessary is to bring about a change in their outlook. Instead of giving loans to the business houses they should help the farmers. The system should be simplified so that the farmers can get money easily and within reasonable time.

The present policy of Government in regard to sugar has benefited the farmers a lot, besides increasing sugar production. This policy should be continued till we achieve our target of sugar production.

So far as fertilizers are concerned, we have sufficient quantity of raw material in the country. But the difficulty is that they are not being fully utilized. Therefore, the Centre should take up this work and not leave it to the States.

A lot of raw-material has been found in Rajasthan but that is not being utilised fully. I suggest that the centre should take over it and the States should be told that it would benefit both the country and the States.

I want to conclude with the suggestion that the bigger projects should be completed on priority basis. If we complete the Gandak project, we will have an additional out put of 26 lakh tons which will make us not only self-sufficient but a surplus state. You please exert enough pressure on the Finance Ministry in regard to completion of these big projects by making necessary adjustment with other less important works.

श्री चित्ति बाबू (चिंगलपट)* : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदान-मांगों से सम्बन्धित चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी । परन्तु मैं अपनी मातृभाषा तमिल ही में बोलूंगा ताकि इस सदन में सभी भाषाओं के अनुवाद की व्यवस्था हो सके ।

सर्वप्रथम तो मैं यह कहूंगा कि खाद्य-समस्या एक राजनैतिक समस्या नहीं वरन् एक सामाजिक समस्या है । पिछले बीस वर्षों से सरकार यही कहकर अपने दोष छिपाती रही है कि वर्षा के अभाव के कारण खाद्य-उत्पादन में वृद्धि नहीं होती । यह बड़े दुःख की बात है । केन्द्र में फिर वही कांग्रेसी सरकार सत्तारूढ़ हो गई है और फिर वही बहाने बाजी शुरू हो गई है ।

हमारे देश में ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी आदि अनेक नदियां मैदानों से होकर समुद्र में गिरती हैं परन्तु हम उनको परस्पर जोड़कर उनसे लाभ नहीं उठा सके । यह खेद का विषय है कि इतनी नदियां होते हुए भी हम खाद्य-उत्पादन के बारे केवल वर्षा पर ही आश्रित रहें और ऐसी दुर्दशा को पहुंचें ।

*मूल तमिल के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित ।
*English translation of the speech delivered in Tamil.

विश्व भर का इतिहास साक्षी है कि खाद्य की कमी के कारण बड़ी-बड़ी क्रान्तियां हो गईं। फ्रांस में लोगों ने अपने राजाओं का बध कर डाला। खाद्य की कमी और भुखमरी के कारण ही वहां ऐसा हुआ।

भूखे आदमी की उच्च इन्द्रियां सक्रिय नहीं रहतीं। भूखे आदमी को उपदेश नहीं, भोजन चाहिये। यदि वह और उसका परिवार भूखा है तो उसे सन्तोष कैसे प्राप्त हो सकता है। परन्तु यह स्थिति केवल कांग्रेस सरकार की असफलता का परिणाम है। बीस वर्षों में उसने खाद्य उत्पादन की दिशा में कोई लाभ-प्रद कार्य नहीं किया। और आज हम खाद्य-सामग्री के लिये अमरीका जैसे देशों के सामने भीख का कटोरा लिये खड़े हैं। अमरीका ने जहां साल में नौ मास तक खेतों में बर्फ जमी रहती है, हमें अन्न देकर हमारे लाखों देशवासियों को भूखों मरने से बचाया है; परन्तु हमारे यहां जबकि ऐसी कोई कठिनाई नहीं, फिर भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। और अकाल और भुखमरी से मरते जा रहे हैं।

आज लोगों की दशा यह सिद्ध करती है कि हमारी सब योजनायें बुरी तरह असफल हुई हैं। ये सब केवल कागजी-योजनायें ही रही हैं। खाद्य-उत्पादन की वृद्धि की ओर सरकार कुछ नहीं कर पाई है बल्कि खाद्य-सामग्री के लिये सदा से अमरीका का मुंह देखती आई है।

इस सम्बन्ध में, मैं सरकार पर दोष लगाता हूं कि उसने मत्स्य-उद्योग के विकास की दिशा में कुछ भी नहीं किया है। पंचवर्षीय योजनाएं तो तीन-तीन बन गईं परन्तु मत्स्य-उद्योग की दिशा में कुछ नहीं किया गया जिससे कि देश की खाद्य सम्बन्धी मांग भी पूरी हो सकती थी तथा निर्यात द्वारा दुर्लभ विदेशी-मुद्रा भी कमाई जा सकती थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 100 लाख टन मछली पकड़ने के लक्ष्य की जगह 15 लाख टन मछली भी नहीं प्राप्त की जा सकी।

अतः मत्स्य-उद्योग के विकास के सम्बन्ध में भी सरकार कुछ आगे न बढ़ सकी।

मैं उनके दिल की बात जानता हूं। भारत का सारा दक्षिणी भाग तीनों ओर से समुद्रों से घिरा हैं तथा यदि वहां मछली पकड़ने का प्रयत्न किया जाये तो भारत का नाम कर्जदारों की सूची से मिट सकता है और खाद्य के बारे में भारत आत्म-निर्भर हो सकता है तथा मत्स्य-पालन के क्षेत्र में भारत प्रथम स्थान पा सकता है। परन्तु केन्द्र सरकार नहीं चाहती कि दक्षिण भारत प्रथम स्थान पा ले और इसीलिये इस दिशा में इसने पूरा ध्यान नहीं दिया।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उत्तर भारत में तो वह भारी-भारी कारखाने और मिलें स्थापित कर रही हैं परन्तु दक्षिण में गहरे समुद्रों में मछली पकड़ने के बारे में उसने क्या किया जबकि अमरीका ने भी इस बारे में उपदान दिया है? देश में खाद्य की कमी का ढोल पीटकर वे विदेशों से खाद्य सामग्री तो मांगते हैं परन्तु खाद्य-उत्पादन बढ़ाने के लिये स्वयं कुछ नहीं करते। हमारी भूमि के चारों ओर उपलब्ध विशाल जल-सम्पत्ति को हमें नष्ट नहीं होने देना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि खाद्य मंत्री इस बारे में ठोस कदम उठायेंगे और मुझे विश्वास है कि वह सफल होंगे।

वर्तमान खाद्य मंत्री श्री जगजीवन राम बड़े ही सहृदय व्यक्ति हैं तथा चाहते हैं कि सब राज्यों को पर्याप्त खाद्य-सामग्री मिले। परन्तु वह अपनी इस इच्छा को कार्यरूप इस कारण नहीं दे पाते क्योंकि उनके पास सिंचाई और बिजली के विभाग नहीं हैं जो कि बड़ा ही आवश्यक है। यदि ऐसा हो तो कई-कई मंत्रालयों में घूमने वाली फाइलों की प्रतीक्षा करने की बजाय वह अपनी आवश्यकतानुसार तुरन्त निर्णय ले सकेंगे।

परन्तु न जाने सरकार मत्स्य-उद्योग को विकसित करने में क्यों हिचक कर रही है। मद्रास सरकार ने केन्द्र से 10 करोड़ रुपये का उपदान मांगा था और मुख्य मंत्री श्री अन्नादुराई ने कुछ सुझाव भी माननीय खाद्य मंत्री को पेश किये थे परन्तु उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया। यदि यह उपदान दे दिया जाय तो खाद्य-समस्या के संदर्भ में देश को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। विदेशों से सामग्री खरीदने में धन व्यय करने के स्थान पर उस धन से हमें राज्यों की सहायता करनी चाहिए ताकि हमारे देश में ही उत्पादन बढ़े।

मद्रास में, एनोर तथा थीरुवट्टियार में मैसर्ज यमन एण्ड कम्पनी द्वारा जापानी सहयोग से डीजल द्वारा चलने वाली समुद्री नावें बनाने की परियोजना पर यद्यपि वर्ष 1960 से विचार किया जा रहा है परन्तु वर्ष 1967 तक भी वह पूरी नहीं हो सकी है। इसे तुरन्त ही सरकारी संरक्षण में लिया जाना चाहिए।

अन्त में मैं अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां समीप ही चीनी सामुद्रिक तो आकर मछली पकड़ते हैं परन्तु हमारी सरकार संकोच करती है क्योंकि मत्स्य-उद्योग के विकास में रुचि नहीं है। सरकार को यह डर है कि वहां चीन अपनी साम्यवादी विचारधारा फैला रहा; परन्तु यदि सरकार समुचित उपाय करे और लोगों को भुखमरी आदि से मुक्त कराकर समुचित अवसर और सुविधायें प्रदान करे तो यहां साम्यवाद नहीं टिक सकता।

मुझे आशा है कि खाद्य-मंत्री मद्रास सरकार की प्रार्थना को ठुकरायेंगे नहीं।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि मछुवों और उनके परिवारों को भी वही सुविधायें मिलें जो कि अन्य अनुसूचित वर्गों को दी जाती हैं। इनका धन्धा भी बड़ा जोखम से भरा है। मेरे चुनाव-क्षेत्र में कोषलम्, थिरुप्पोरुर, महाबलीपुरम् तथा कूवम जैसे तटीय स्थान मछली पकड़ने के केन्द्र हैं वहां नावों, जालों तथा प्रशिक्षण आदि की सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नागिरि) : आज प्रातः के समाचार-पत्रों के अनुसार राशन की दुकानों में गेहूं की अधिकता के कारण पुनः समस्या पैदा हो गई है। वस्तुस्थिति यह है कि हरियाणा और पंजाब की मंडियों में बड़ी मात्रा में गेहूं आ जाने से गेहूं के दाम नियन्त्रित दामों से भी नीचे आ गये हैं।

यह बड़े दुःख की बात है कि खाद्य के बारे में विदेशों से सहायता लेने पर बाध्य होने पर भी हम अपने प्रादेशिक मत-भेद भुलाकर तथा एक होकर एक राष्ट्रीय नीति नहीं अपना सकते।

[श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा पीठासीन हुईं
Shrimati Lakshmikanthamma in the Chair]

परन्तु केवल केन्द्र सरकार ही स्वयं सब कुछ नहीं कर सकती, राज्य सरकारों को भी अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी चाहिये ।

हमें एक ऐसी नीति बनानी चाहिये जिसमें किसान को अपने उत्पादन का उत्साहवर्द्धक मूल्य मिले । हम उद्योगपतियों को तो 30 प्रतिशत का लाभ तथा ऋण आदि की सुविधाएं देते हैं परन्तु दूसरी ओर कृषक संयोग से प्रकृति की कृपा पा लेने पर भी लाभान्वित नहीं हो पाता । जब कभी उसका उत्पादन बढ़ता है तो दाम गिर जाते हैं । उस विचारे की तो किस्मत ही खराब है । यदि उसके क्षेत्र में दाम गिर जाते हैं और दूसरे क्षेत्रों में उसी वस्तु के दाम ऊंचे हों तो भी प्रायः उसे लाभ नहीं मिल पाता । इस असंतुलन को ठीक किया जाना चाहिये । मंत्री महोदय इसे गलत मत समझें । मेरा कहना है कि खाद्यान्न के भंडारों द्वारा ही सरकार इस स्थिति पर नियंत्रण रख सकती है तथा उपभोक्ता पर भार डाले बिना ही कृषक को उत्साहवर्द्धक मूल्य दे सकती है ।

सरकार गेहूं को 75 रु० प्रति क्विंटल खरीदती है परन्तु यदि सरकार इसे पंजाब और हरियाणा से खरीदकर लायेगी तो 8-10 रुपये प्रति क्विंटल भाड़ा आदि भी खर्च होगा और इस प्रकार 10 लाख टन गेहूं पर सरकार का काफी खर्च होगा । दूसरी ओर हम राशन की दुकानों से गेहूं नहीं खरीदते । तो इस प्रकार क्या 12 या 13 करोड़ रुपये का घाटा नहीं होगा ?

जब तक हम किसान को बीज, खाद तथा मण्डी आदि की सुविधाएं देकर उसका सहयोग नहीं पाते, हम न तो विदेशी सहायता के बोझ से बच सकते और न ही स्वयं को आत्म-निर्भर बना सकते हैं । यह एक भारी समस्या है तथा इसका हल केवल भाषणों से नहीं प्रत्युत अधिक अथवा कम उत्पादन वाले राज्यों के उत्पादन से पैसा न बनाने की वृत्ति से ही निकल सकता है ।

हमने खण्ड-व्यवस्था बना रखी है परन्तु इसके अन्तर्गत अधिक उत्पादन वाले राज्य अपने अधिक उत्पादन को घटा देते हैं तथा कमी वाले राज्य अपनी कमी को बढ़ा-चढ़ा देते हैं । अतः जब तक सारे राज्य अनुशासित न होंगे केन्द्र सरकार इस व्यवस्था को सुचारु रूप से नहीं चला सकती । मैं चाहती हूं कि गेहूं की खण्ड-व्यवस्था सारे देश में हो क्योंकि केन्द्र सरकार 99% विदेशी खाद्यान्न वितरित करती है ।

पहली पंचवर्षीय योजना में तो सरकार ने कृषि को प्राथमिकता दी परन्तु दूसरी में कृषि को छोड़कर उद्योग को यह प्राथमिकता दी गई । इसके कारण हमारी आर्थिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई । जो असन्तुलन उद्योगों में अनुभव किया जा रहा है वह कृषि के क्षेत्र में भी उत्पन्न हो सकता है । इसका कारण यह है कि हम भूमि सुधार के कार्य को ठीक रूप न दे सके । वास्तव में कृषकों तथा मजदूरों के योग से एक सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित श्रम-शक्ति का प्रतिरूप नहीं बनता । आयकर से बचने वाले शहरी लोग ही अब कृषि के क्षेत्र में स्थान बनाते जा रहे हैं । सहकारिता में राजनीति का आना अथवा उस पर धनिकों का प्रभुत्व होना बड़ी

भयंकर बात है । अतः छोटे किसानों की सहायता की जाना चाहिये । उन्हें बीज, खाद, धन तथा सिंचाई आदि की पूरी सुविधाएं दी जानी चाहिये ।

मैं चीनी उद्योग के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहती हूं । माना कि गन्ना पैदा करने वालों को अब अधिक मूल्य मिलते हैं परन्तु इस उद्योग के साथ ही शराब बनाने का उद्योग भी उभरा है । हमारी अर्थ-व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है यही विचारणीय है ।

अन्त में, अपने अन्य सहयोगियों के साथ, मैं भी यही कहूंगी कि खाद्य-खण्ड समाप्त किये जाने चाहिये, किसानों को उचित दाम दिलाने के लिये तथा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये समुचित उपाय किये जाने चाहिये । वर्ष 1963 में स्थापित चावल-खण्डों का पुनर्स्थापन होना चाहिये तथा चावल को संलग्न क्षेत्रों में ले जाये जाने की सुविधा देनी चाहिये ।

यहाँ केवल खाद्य के क्षेत्र में असंतुलन का ही प्रश्न नहीं है, सम्भव है आगे यह भी समस्या उत्पन्न हो कि अधिक उत्पादन तथा कमी वाले राज्यों में परस्पर समझौते न हों । इस बारे में सरकार को निर्णयात्मक दृष्टिकोण अपनाना है । खाद्यान्न की बात राजनीति से ऊपर की चीज है और केन्द्र सरकार को ही इसको सम्भालना है अन्यथा यह समस्या आर्थिक और औद्योगिक असन्तुलनों से भी गम्भीर मामला बन जायेगी ।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : It is most ever serious problem in our country's history ; and our country is still a beggar even after twenty years of our freedom. Congress administrators, who have absolutely no plan with them, are only to be blamed for it. They do nothing except sounding slogans for family planning, meat-eating etc. etc. Their most favourite aim is to beg foodgrains under PL-480 which, originally, was to establish a foodgrains stock. But now they have made us completely dependent on this PL-480. They have done nothing worth while so far.

One of the demands of our national revolution was to provide lands to the farmers and to put a ceiling on land ownership, but that aim too has not been achieved. The purpose of land reforms has also not been met.

According to the report of Second Agriculture Commission, we have about one crore and 63 lakhs of contract labourers but none of them has adequate facilities of dwelling place, land for farming, etc. About 96,000 families do not have even a bit of land. You are not giving them any facilities of irrigation, fertilizers, loans etc. According to official figures even, only 25% of total land gets irrigation facilities. It was only owing to recent famine in U. P. and Bihar that a little attention was paid towards small irrigation projects, otherwise they make only big plans whereas the poor farmers helplessly run here and there for small tube-wells and other sources of irrigation. They do not get full loan for tube-wells. How can, thus, we attain self-sufficiency ?

We are short of fertilizers and Government invite big private capitalists of the world to manufacture fertilizers and sell them at their own prices. You have to see how far it is just.

Suratgarh Farm has surprisingly been going in loss and it incurred a loss of Rs. 5 crores during 1957-1958. The employees there are stated to be going on strike. This all is the result of bureaucracy. Government is not doing anything against foodgrains hoarders also. Black-marketing is being done in the presence of police. Government does not do anything worthwhile against them except shouting different slogans. People are hoarding foodgrains but the Government is unable to bring it out. What has been the results of forming the Food Corporation ? They say they have no money for nationalising the foodgrain trade also.

Government has spent about 3,000 crores of rupees for foodgrain import. Had that money been given to farmers and the produce sold at subsidised rates, we had not faced such a big problem.

Community Development and Planning Departments do nothing except surveying, organising meeting and then they bid farewell. They have kept a big staff but nothing is done in time.

The co-operatives were meant to help the weak sections but according to Mr. Gadgil, all the benefits are availed of by the rich and influential people only. I, therefore, suggest for an all India legislation in order to curb such corrupt practices and to help the poor people.

There is a great need to provide cheaper tractors to the farmers. We are importing tractors worth 25 thousand to 50,000 rupees each. Cheap Russian tractors are being sold in black market.

There is shortage of foodgrains in the country alround. Government cannot satisfy the masses only by slogans. Government may at least provide the farmers with adequate irrigation arrangements besides making basic changes in community development schemes.

Shri Yajnik (Ahmedabad) : We have to rightly understand what Vinobaji is saying—"I have unlimited patience but the time will not wait". We are very little attentive to what he has been doing.

We have crores of labourers and the land at our disposal is also unlimited. But still we are short of food, because labourers who have no land do not put in sincere labour on others' land. Besides this, there are several agencies viz. Central Government, State Governments and Panchayats, standing in between the land and the labourers who have been crying for land to cultivate. But the Panchayats—the ultimate agency—keep the land reserved for the rich sections of the farmers and industrialists.

Congress Government has not been able to distribute land amongst the backward classes as promised. They made several laws and reports and there had been a lot of hue and cry that the land will remain with only those who cultivate it, but nothing has so far been implemented.

As in cities, there is an economic imbalance in countryside also. Nothing came out fruitful out of the legislation regarding a ceiling on land. It was made so late that the rich farmer got the time to distribute his land among his family members. The result is that the rich farmer, who easily gets the facilities of irrigation and fertilizers, is growing richer and richer whereas the condition of poor farmers and contract-labourers, who form the major section of the rural society, is deteriorating day by day.

Mahatma Gandhi has written that if the rich people do not sacrifice or if the Government does not get it done, there will certainly be violent revolution. Vinobaji also supports it besides saying that nothing would be done even after 1972 and if that economic imbalance is not over come, the situations might go out of control.

Much is to be thought about seeds, fertilizers, irrigation and finance. There is a sense of disatisfaction alround amongst landowners, farmers and contract-labourers. There exists an explosive situation in rural areas also and it may explode anytime.

Central Government, State Governments and Panchayats, all accept whatever Vinobaji says in connection with Bhudan and Gramdan; and therefore they all should respond quickly to what he suggests. Otherwise it is very difficult to say what might happen in the country in future.

There has been a demand for the provision of fertilizers for the farmers, but an Hon. Member has warned about the harm to the soil by chemical manures. But, why is it not pointed out to the farmers that there is an ample quantity of filth, dung and other vegetable waste available in the rural areas ?

Our farmers are mostly poor. They are not in a position to purchase inorganic manure. They can use only that manure which they prepare themselves at home. We have got much land. The farmers should not remain without land and the land should not be left without cultivation. There should be a good co-ordination between the tiller and the land.

Shri J. Rampathi Rao (Karimnagar): Seventy five percent of our population depend upon agriculture. Agriculture is the basis of their lives. After independence educational facilities were extended to villagers also. But as result of this education in villages the children of the villagers after passing the High School Examination or Higher Secondary Examination started seeking jobs of teachers, Lower Division clerks or Upper Division clerks in primary schools, and offices etc. and looked at agriculture with hatred. In this way there is an imperceptible transformation of sector from agricultural sector to non-agriculture sector. It is affecting agricultural produce to a great extent. If this exodus is not checked a time will come when we will have to give scholarship for doing agricultural work as we are giving scholarships to the students for going abroad. Not only this, it will affect agricultural production to such a extent that this PL-480 will not do. The production will not increase so long the educated community continues to look at agriculture with despise.

So far as fertiliser is concerned, agriculture is very much dependent on it. To-day the position is this that our needs of fertilisers are not being met by the indigenous fertiliser and we have to import 66 per cent of fertiliser from abroad. The fertiliser factories which are being set up in this country are generally based on imported liquid ammonia. Coal-based fertiliser factories should be set up. In Ramagndam, where coal, water, electricity and transport facilities are available if a coal-based factory is set up, it will be very useful to the farmers.

So far as irrigation is concerned it is indispensable for agriculture. In this respect instead of undertaking major irrigation projects, as our Government have been doing so far, if we undertake minor irrigation projects and provide at least a well and a pumping set to each farmer, it is sure that it will go a long way in solving the problem of food shortage. The work of providing

wells, pumping sets and electricity to farmers should be given to such agencies as are in the industrial sector which provide the industrialist with house and electricity. Such agencies should be set up and more funds should be allocated for irrigation purposes.

There is a third crop also which is prepared in the month of May when there is scarcity of water. If you can provide water at that time there will be double production.

The prices of the agricultural products are so low that the farmers even do not get their cost of production. This is an alarming state of affairs. No one bothers about increasing the price of their products. In Andhra Pradesh though there is a bumper crop of groundnut, pepper and tobacco this year but the prices have gone so down that they even do not cover the cost of production. Today agriculturist is an illiterate, disorganised, does not give strike notices and does protest, that is why it has become a neglected community. But this should not be. The Press also neglects him and never writes about the fall in the prices of the agricultural products.

There are discussions about small car projects but there is no scheme for setting up of a Small Tractor Unit. So long you will not establish small tractor units in the public sector and will not provide small tractors to the farmers the agricultural production cannot increase.

While discussing the demand for agriculture it is always asked that there should be insurance of cattle and crops. I hope Hon. Minister will throw light on it while replying.

डा० कर्णीसिंह (बीकानेर) : यह हमारा सौभाग्य है कि इस वर्ष वर्षा बहुत अच्छी हुई है । लेकिन हमें यह नहीं समझ लेना चाहिये कि अगले वर्ष भी इतनी ही अच्छी वर्षा होगी । इसलिये हमें सुरक्षित भण्डार बनाने की तैयारियाँ अभी से आरम्भ कर देनी चाहिए । यदि हमने आबादी की वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा, जो कि अगले दस वर्षों में लगभग 13 करोड़ और बढ़ जायेगी तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि अच्छी फसलों, तथा अच्छी वर्षा के बावजूद भी हमें अकाल की स्थिति का सामना पड़ेगा । खाद्य मन्त्रालय तथा परिवार नियोजन विभाग को खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये तथा आबादी को कम रखने के लिये संयुक्त प्रयत्न करने चाहिये ।

यह बड़े खेद की बात है कि हम आज भी खाद्यान्न के मामले में विदेशों पर निर्भर करते हैं । जो देश खाद्यान्नों के लिये, दूसरे देश पर निर्भर रहता है उसे अपनी विदेश-नीति भी किसी सीमा तक उसी देश की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुये बनानी पड़ती है । अतः भारत को खाद्यान्न के मामले में शीघ्र ही आत्म-निर्भर हो जाना चाहिये और अपना आत्म-सम्मान प्राप्त कर लेना चाहिये ।

भारत के 80 प्रतिशत लोग खेती करते हैं लेकिन हमारी कृषि उपज बहुत कम है । राष्ट्रीय आय का 54 प्रतिशत इसी स्रोत से आता है और इसके अधिकांश का इसी क्षेत्र में उपभोग हो जाता है । हमारी प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि पर्याप्त है लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सबसे कम है । कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये कुछ अवश्य किया जाना चाहिए ।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारी 57 प्रतिशत और अधिक भूमि में सिंचाई होने

लगी है लेकिन इस सम्बन्ध में और अधिक काम किया जाना चाहिये। कुल 38 करोड़ 70 लाख एकड़ भूमि में खेती की जाती है और इसमें से केवल 8 करोड़ 80 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा है। राजस्थान नहर, नर्मदा तथा अन्य परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ताकि उर्वरकों का समुचित उपयोग करने के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। गांवों में नलकूप काफी सफल सिद्ध हुये हैं अतः जहाँ कहीं सम्भव हो, नलकूप लगाये जाने चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

उर्वरक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उस पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये, यह अच्छा है कि हमारे देश में उर्वरकों के उपयोग पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। यदि हम देश में उर्वरक के प्रति हैक्टेयर उपयोग को देखें और उसकी विश्व के अन्य देशों से तुलना करें तो हम देखेंगे कि हम इस दृष्टि से सबसे पीछे हैं, नेदरलैंड इस मामले में सबसे आगे है। नाइट्रोजन के उर्वरकों के उत्पादन के 6 कारखाने सरकारी क्षेत्र में और 4 कारखाने गैर-सरकारी क्षेत्र में चल रहे हैं। दो और परियोजनाओं को चलाया जा रहा है। कुछ और स्थानों में भी उर्वरक कारखाने स्थापित किये जाने चाहिये। उदाहरणार्थ राजस्थान में हनुमानगढ़ में, जहाँ जिप्सम, कोयला, और पानी की सुविधाएं हैं, उर्वरक कारखाना स्थापित किया जाना चाहिये।

हमें सघन खेती कार्यक्रम के द्वारा अधिक अनाज पैदा करने के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिये क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी अन्य देशों की तुलना में प्रति हैक्टेयर उत्पादन बहुत कम है।

Shri B. D. Deshmukh (Aurangabad) : To-day in our country new methods are being used in the field of agriculture and efforts are being made to base it on science. Our agricultural research Institutions are functioning very well but the Centre and State Governments have failed in providing benefits to the farmers through these research institutions. The extensive services failed in their functions. There are only 5 percent big farms where organised farming is done and where new technique and advanced methods have been introduced. This new improved technique has not still reached to the farmers in our villages who possess small land holdings. It is the need of the hour that this new technique and the improved methods of cultivation should be made available to the small farmers.

The farmers should get a profitable price of their products. The price should be more than the cost of production so that their capacity to use new technique and improved methods of cultivation may increase and they may be able to purchase new implements and improved agricultural equipments. In this respect the recommendations of the Agricultural-Price Commission were not satisfactory.

Sometimes the farmer succeeds in producing a good crop by putting in hard labour and heavy investment but due to natural calamities his crop is ruined. In such circumstances there should be a provision of crop insurance for the farmers.

The provision of credit facilities to farmers through the co-operative societies is not satisfactory because it is a dilatory process. Only the influential farmers get loan through these Co-operatives and the thousands of small farmers possessing small land holdings are deprived of this facility. The Government should take steps to remove these drawbacks.

Proper attention should be paid towards animal husbandry and the breed should be improved. The proper method of preserving semen should be adopted in veterinary dispensaries or other institutions.

There should be a proper co-ordination among the different departments of a Ministry, The farmers should get the implements, fertilisers and electricity etc. at a reasonable price and at the proper time. Our Extension officers should go in the fields and examine the soil and then advise the farmers. They should tell the farmers that what kind of seed should be used for achieving better crop.

The policy adopted by the Government about giving loan to the sugar industry in the co-operative sector in Maharashtra is very harmful. The Government is pursuing such policy inspite of the fact that there is shortage of sugar in the country. Government have refused to give loan to the sugar factory in the co-operative sector in Maharashtra. With regard to sugar industry U. P. and Bihar should do specialisation, in Punjab specialisation should be done with regard to wheat and in south specialisation should be done in the field of rice. So long we do not take such measures our problem will not be solved.

श्री भगवानदास (औसग्राम) : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के 20 वर्ष के शासन काल में खाद्यान्न के उत्पादन और वितरण का कार्य बिल्कुल असफल रहा है । कांग्रेस सरकार पर खाद्यान्न के मामले के कारण अमरीकी सामाज्यवाद का प्रभाव है । हमारी नीति के निर्माण में अमरीका का हाथ रहता है और हम अपनी स्वतंत्रता को खो रहे हैं । समाजवादी देशों से हमारे व्यापारिक सम्बन्ध टूट रहे हैं और हमें अन्य देशों से उनकी शर्तों पर घटिया किस्म का अनाज लेना पड़ता है ।

पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत सप्लाई किये गये अनाज की कीमत के रूप में अमरीका का भारत में अरबों रुपया है जिसका उपयोग हमारे प्रजातंत्र और समाजवाद को जो हमारा लक्ष्य है, तोड़ने के लिए किया जा रहा है । सरकार एक राष्ट्रीय खाद्य नीति और राष्ट्रीय खाद्य बजट बनाने की बात करती आ रही है किन्तु अब तक इस दिशा में कुछ नहीं किया गया है । इसका कारण स्पष्ट है । सरकार आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न पैदा करने वाले राज्यों पर, जिनमें कांग्रेस की सरकारें हैं, कोई बात लादना नहीं चाहती है । ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीय एकता कैसे बनी रह सकती है । दो पड़ौसी राज्यों में एक ही वस्तु के बारे में बड़ी असमानता है । विभिन्न राज्यों में एक खाद्यान्न की भिन्न-भिन्न मूल्य हैं ।

पश्चिम बंगाल, केरल आदि राज्य पटसन, चाय आदि वस्तुएं पैदा करके बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाते हैं जिसका उपयोग केन्द्रीय बजट में होता । इन वस्तुओं का उत्पादन करने के कारण वे खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं कर पाते हैं । अत: केन्द्रीय सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह इन राज्यों की खाद्यान्न सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरी करे । यदि सरकार अपने इस उत्तरदायित्व को नहीं निभा पाती है, तो इन राज्यों को विदेशों से खाद्यान्नों का आयात करने की अनुमति दी जानी चाहिये । यदि हमारी यह उचित मांग पूरी नहीं की जाती है तो हमें इसके लिये आन्दोलन करना पड़ता है ।

यदि देश में उत्पादित खाद्यान्नों का उचित वितरण किया जाये तो प्रत्येक व्यक्ति की खाद्यान्न सम्बन्धी न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो सकती है। इसके लिये जमाखोरों और चोर-बाजारी करने वाले लोगों पर नियंत्रण रखना होगा अन्यथा खाद्यान्न की निरन्तर कमी बनी रहेगी।

कांग्रेस सरकार अपने बीस वर्ष के शासन काल में भूमिहीन किसानों को भूमि नहीं दे पाई है। पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चे की सरकार ने अपने नौ महीने के अल्पकाल में इस दिशा में काफी प्रगति कर ली थी किन्तु वहां की कांग्रेस ने जमीदारों के द्वारा इसका विरोध करवाया था।

यद्यपि इस वर्ष बहुत अच्छी फसल हुई है किन्तु इस देश में, विशेषतः कमी वाले राज्यों में, सामान्य जनता को इससे कोई लाभ नहीं हुआ है।

भारतीय खाद्य निगम ने 60 लाख टन खाद्यान्न की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया था किन्तु अब तक इसका तिहाई लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाया है। इस निगम पर बहुत अधिक धन व्यय होता है, इस निगम में 11,500 कर्मचारी काम करते हैं जिनमें 20 कर्मचारियों को दो हजार रुपये मासिक से अधिक वेतन मिलता है। इस प्रकार उसके कर्मचारियों के कुल वेतन पर 2.25 करोड़ रुपये व्यय होते हैं। यह निगम 40 लाख रुपये वार्षिक गोदामों का किराया देता है। इस निगम की असफलता के कारण बड़े व्यापारी तथा जमाखोर अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इस निगम के कारण जनता को खाद्यान्न की अपेक्षा अस्पष्टता मिली है।

सरकार ने चीनी पर से आंशिक नियंत्रण हटाकर बड़े-बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाया है। इससे जनसाधारण की कठिनाइयां और बढ़ गई हैं।

देश में सिचाई व्यवस्था की योजना अव्यावहारिक है और इस पर बहुत धन व्यय हो रहा है। किसानों को सस्ते मूल्य पर उर्वरक मिलते हैं। किसानों को घटिया किस्म की खाद मिलती है।

Shri Shambhu Nath (Saidpur): Mr. Deputy Speaker, after facing two years of drought we are having a bumper crop this year. The credit for this bumper crop does not go to good monsoon alone ; there is behind it hard labour and response of the farmers also. But the most important question before us is whether sufficient facilities are now available to the farmers to enable them to face the situation if the monsoon fails again. Unfortunately, these facilities have not yet been made available to them.

The most important thing that the farmers must have is the irrigation facility. Unfortunately, the Government have not started irrigation projects in States such as U. P. and Bihar where river water is available in abundance which can bring 70 to 80 per cent cultivable land under irrigation. On the other hand, Government have executed irrigation schemes at places where only 20 or 30 per cent land can be brought under irrigation. Even if the Government have executed small irrigation schemes like tube-wells in Uttar Pradesh and Bihar, these States could have made great contribution to agricultural production.

The two essential things for increasing agricultural production are to create irrigation potential and improve the economic condition of the small farmers. So far only the upper middle class farmers have been able to take advantage of the Community Development projects and the credit facilities. Credit facilities should be given to the farmers not on the basis of their economic position but on the basis of their produce.

The economic condition of the agricultural labourers, who contribute 20 per cent of the rural population and work day and night in fields of the better-off farmers, continue to be pitiable. They will have to be made feel that they have a stake in the field and they are sharers in the fruit of their labour. Unless they are given a fair deal, real improvement in agriculture will not come.

Land has been classified in Uttar Pradesh in A, B and C categories and a ceiling of 30, 40 and 60 acres has been fixed for the respective category. In most cases, people who have no connection with agriculture have been able to grab those lands through manoeuvres and the lands are lying uncultivated. This situation must be put to an end.

The revised scheme of the Sanyukta Vidhayak Dal Government in Uttar Pradesh to give power connections for tube-well to those cultivators only who can give a particular amount meant that only the big and prosperous farmers can have the tube-wells. The old scheme should be revived so that the facility can be available to the small farmers also.

Shri Shinkre (Panjim) : Mr. Deputy-Speaker, it is not in the interest of a country to depend on imports for every need. We depend for food on America and for machinery, tractors etc. on some other countries. It would be better if foreign countries, which want to help us give us tractors and set up factories for the manufacture of tractors in our country. If we go on depending on imports for everything we may be put in a critical position one day.

Goa is very rich in the matter of minerals and metal mines. Therefore the Government should decide whether the development of Goa will be agriculture-Oriented or mineral oriented. If it is to be agriculture oriented, the Government should take steps to check damage caused by sea to the crops.

Goa and Maharastra should be included in one food zone. Restrictions on movement of rice from Mysore to Goa are only helping smugglers, middlemen and traders. Both the farmers and consumers in Goa suffer on this account. Goa is a paradise for smugglers since the Portuguese rule. They adopt various methods. The Government should pay due attention towards Goa.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की जनसंख्या का 75 प्रतिशत लोग किसान हैं और 42 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। कृषि से हमारी लगभग 60 प्रतिशत राष्ट्रीय आय होती है। किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि कृषि पर हमारे बजट का केवल 20 प्रतिशत ही व्यय किया जाता है आज हमारे देश की खेती की दशा अच्छी नहीं है और जिसके कारण खेती पर निर्भर करने वाले किसानों की दशा भी शोचनीय है।

भारत में लगभग 2,900 लाख एकड़ भूमि में खेती की जाती है। किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि इसमें से केवल लगभग 600 एकड़ भूमि में ही सिंचाई होती है। ब्रिटेन, अमरीका

और रूस की तुलना में भारत में भूमि के बहुत कम भाग में सिंचाई होती है। इसका कारण यह नहीं है कि हमारे यहां सिंचाई के लिए पानी की कमी है। कमी है केवल पानी को अब तक उपयोग में लाने की। हमारी नदियों में लगभग 13,500 लाख एकड़ फीट पानी बहता है और हम उसमें से केवल 500 लाख एकड़फीट पानी का उपयोग सिंचाई के लिये कर पाते हैं। भूमि के ऊपर का पानी जमा करके तथा भूमिगत जल को निकाल कर सिंचाई के लिये उपयोग में लाया जाना चाहिये। केवल गंगा के मैदान में संसार में सबसे अधिक भूमिगत जल है। यदि यह जल पूर्णरूप से सिंचाई के उपयोग में लाया जाय तो भारत में इतना अन्न पैदा हो सकता है कि उससे विश्व की जनसंख्या से दुगुनी जनसंख्या का पोषण हो सकता है। अतः हमें आज विलास के सामान के आयात पर धन व्यय न करके उसका उपयोग देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के यथासंभव साधन जुटाने के लिये करना चाहिये, अन्यथा हमें भविष्य में विकट संकट का सामना करना पड़ेगा।

अब मैं सामुदायिक विकास के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सामुदायिक योजनाओं की प्रगति से ऐसा लगता है कि इस सम्बन्ध में देश में कोई उत्साहवर्धक कार्य नहीं हो पाया है। हम जनता को इस बात के लिये उत्साहित करने में असफल रहे कि वह इन योजनाओं में निष्ठा-पूर्वक भाग लें। मैं समझता हूं कि इस विभाग में निश्चित रूप से कुछ कमियां हैं। केन्द्रीय सरकार को सामुदायिक विभाग सीधे अपने अन्तर्गत ले लेना चाहिये। उसके बाद सरकार को इस विभाग की कमियों के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करके उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये।

जहां तक किसानों के लिये खेती के कार्यों के हेतु ऋण व्यवस्था का सम्बन्ध है, 20 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को पंजाब नेशनल बैंक जैसे वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेना चाहिये और 20 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को सरकार से। किसानों के लिये कार्ड या कूपन की कुछ प्रणाली होनी चाहिये जिससे इन कार्डों या कूपनों से किसानों को खेती के औजार तथा अन्य अपेक्षित सामान मिल सकें। किसानों के लिए इस प्रकार की भी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे उन्हें सरकारी दुकानों या उपभोक्ता भंडारों में अपने कार्ड या कूपन दिखाकर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं, चाहे वे उर्वरक हों, कृषि औजार हों या कोई अन्य वस्तु हो, मिल सके।

सरकार इस समय नलकूप की व्यवस्था करने के लिए एक किसान को तीन चार हजार रुपया देती है। किन्तु यह रकम उसे आसानी से नहीं मिल पाती है। इस राशि को प्राप्त करने के लिये उसे अधिकारियों को एक हजार रुपये तक की घूस देनी पड़ती है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक नलकूप निगम की स्थापना की जानी चाहिए जिससे किसान को ऋण प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों के किवाड़ नहीं खटखटाने पड़ेंगे। उसे समय पर आसानी से ऋण मिल सकेगा और साथ ही किसान शोषण से बच जायेगा।

सरकार को कृषि क्षेत्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। सरकार ने उद्योगों के लिए धन की व्यवस्था करने के हेतु औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की है। किन्तु कृषि के क्षेत्र में धन की व्यवस्था करने के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि किसानों के लिये भी एक कृषि वित्त (ऋण) निगम स्थापित किया जाना चाहिये। किसानों को सदैव दूसरी श्रेणी का नागरिक समझा जाता रहा है। अब समय आ गया है कि हम किसानों के मन से यह भावना निकाल दें कि वे साधारण कोटि के व्यक्ति हैं और उनका कोई महत्व नहीं है। वास्तव में किसान को समाज में अन्य व्यक्तियों से उच्च स्थान दिया जाना चाहिए।

अब हमें पुराने परम्परागत खेती के पुराने तरीकों के साथ चिपटे नहीं रहना चाहिये। आज समय की मांग है कि हम खेती के अपने पुराने तरीकों को आधुनिक नये तरीकों में परिवर्तित कर दें। लकड़ी के हल के स्थान पर नये तरीके का लोहे के हल का उपयोग किया जाना चाहिए। लोहे के हल बनाने के लिए अधिक से अधिक गांवों में हल बनाने के छोटे-छोटे कारखाने खोले जाने चाहिये जिससे किसानों को खेती के औजारों के लिये दूसरे लोगों पर निर्भर न रहना पड़े। इस कार्य के लिये सरकार को पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि औजार बनाने के कारखाने स्थापित करने से गांवों के कारीगरों, मिस्त्रियों आदि लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे बेरोजगारी की समस्या कुछ सीमा तक हल हो सकती है।

ब्रिटेन आदि उन्नत देशों की भांति किसानों को उर्वरक आदि खरीदने के लिए राजसहायता दी जानी चाहिये। ब्रिटेन में उर्वरक के 40 प्रतिशत मूल्य तक के लिए किसान को राजसहायता मिलती है। हमारे देश में उर्वरक बहुत महंगा है। अतः किसान को उर्वरक खरीदने के लिए राजसहायता देने से बहुत अधिक लाभ होगा।

भारत में किसानों को उन्नत बीज नहीं मिल पाते हैं। अधिकतर बीजों में कोई न कोई खराबी अवश्य होती है। दूसरी बात यह है कि किसानों को बीज देने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हमें ऐसे उन्नत बीज पैदा करने चाहिये जिनमें किसी प्रकार की खराबी न हो। बीजों के वितरण के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे किसानों को उचित मूल्य पर अपेक्षित मात्रा में उन्नत बीज मिल सकें। अन्य देशों की तुलना में साधारण खाद्यान्न तथा उन्नत बीज का अनुपात कम है। अमरीका में यह अनुपात 1 : का है जबकि भारत में केवल 1 : $1\frac{1}{4}$ है। सरकार को इस पहलू पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

चूहों, कीड़ों और टिड्डियों से फसलों की रक्षा करने का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय हमारी फसलों का एक-चौथाई भाग चूहों, कीड़ों, टिड्डियों आदि द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। अतः पौध-संरक्षण कार्यक्रम को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये। हमें टिड्डियों, चूहों, रोगों आदि से बचाव के ही नहीं, अपितु उन्हें समूल नष्ट करने का कार्यक्रम बनाना चाहिये।

हमें देश के प्रत्येक भाग की मिट्टी की किस्म का परीक्षण करना चाहिये और मिट्टी के अनुरूप ही किसी भूमि में खाद्य का प्रयोग करना चाहिए। विभिन्न भौगोलिक और जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए मिट्टी उत्पादकता मानचित्र होने चाहिये और उसी के अनुसार उर्वरकों के प्रयोग के बारे में सिफारिशें की जानी चाहिये।

पंजाब, हरियाणा आदि कई स्थानों में भूमि में पानी भर जाता है। इससे फसलों को भारी हानि होती है। यदि इन स्थानों पर तंग दीवार वाली पतली सतह के नलकूप लगाए जायें तो यह समस्या हल हो सकती है।

किसानों को विभिन्न स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल भारत का ही नहीं अपितु विदेशों का भ्रमण भी करना चाहिये। इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। यदि इस समय विदेशी मुद्रा की कमी के कारण विदेश भ्रमण नहीं भी हो सकता है तो उनके लिए कम से कम देश के अन्दर भ्रमण की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे वे देश के विभिन्न भागों में खेती के विभिन्न तरीकों को देख सकें।

श्री दीवीकन (कल्लाकुरिच्च) : कांग्रेस सरकार के बीस वर्ष के शासनकाल में देश में सदैव खाद्यान्नों की कमी रही है। सरकार खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर होने का तो आश्वासन सदैव देती रहती है किन्तु इस दिशा में अभी तक कुछ हो ही नहीं पाया है। हमने स्थायी रूप से पी० एल० 480 के अनाज पर निर्भर करना सीख लिया है। कांग्रेस सरकार पी० एल० 480 को अनाज की कमी पूरी करने का एक अनिवार्य साधन मान बैठी है। पी० एल० 480 का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम आयातित अनाज के मूल्य की अदायगी रुपये में करते हैं। अमरीकी सरकार ने जिन कुछ सौदों की अदायगी डालर में करनी थी उनकी अदायगी भी उसने रुपयों में की, इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब हमें अदायगी डालरों में की जानी थी तब भी हमें हमारी अपनी मुद्रा ही लौटायी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि हम महत्वपूर्ण तथा अत्यन्त आवश्यक विदेशी मुद्रा की हानि उठा रहे हैं। जब तक हम कृषि व्यवस्था में सुधार करके आत्मनिर्भर नहीं हो जाते और हम अमरीका से अनाज मंगाते रहेंगे, पी० एल० 480 हमारे जीवन का एक स्थायी अंग रहेगा और हम अमरीका के संकेतों पर ही नाचते रहेंगे।

सरकार हमारे देश के किसानों की सदैव उपेक्षा करती रही है। उसने किसानों की समस्याओं की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। यदि सरकार देश के इन किसानों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करती तो देश में अनाज का उत्पादन काफी बढ़ जाता और आज हमें अनाज के लिए दूसरे देशों का मुंह नहीं ताकना पड़ता। सरकार को समय की मांग को पहचानना चाहिये और उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। आज समय की मांग यह है कि किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए कृषि विशेषज्ञों और संसद सदस्यों का एक कृषि आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। किसानों के कार्य की परिस्थितियां अधिक अच्छी बनायी जानी चाहिए। कृषि इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में किसानों के लड़कों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अब मैं देश में खेती योग्य अप्रयुक्त भूमि के बारे में कुछ कहूंगा। सरकार ने इस दिशा में कोई संतोषजनक कार्य नहीं किया है। देश में अब तक हजारों एकड़ भूमि बंजर पड़ी है जिसमें क्रमबद्ध कार्यक्रम द्वारा खेती की जा सकती है। सरकार को गांवों में ट्रैक्टरों आदि की व्यवस्था करने के लिए पंचायत यूनियनों को ट्रैक्टर देने चाहिए जिससे सामूहिक रूप से किसान ट्रैक्टरों का उपयोग कर सकें। सरकार को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि अधिक से अधिक संख्या में किसान इन ट्रैक्टरों का उपयोग करें।

मत्स्यपालन के लिए बजट में धन नियतन में कटौती कर दी गई है। वर्ष 1966-67 में इस कार्य पर 166 लाख रुपए का वास्तविक व्यय हुआ था किन्तु यह दुख की बात है कि चालू वर्ष में इसके लिए केवल 20 लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है। देश की खाद्यान्न की समस्या के हल करने के लिए अन्य जिन क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है उनमें मत्स्यपालन भी एक है। यदि सरकार वास्तव में निष्ठापूर्वक मत्स्यपालन का विकास करना चाहती है तो इस प्रयोजन के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिये। सरकार को उन स्वीकृत योजनाओं पर जिनके लिए बजट में व्यवस्था की गई है, शीघ्र ही कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : माननीय सदस्य मांगों पर चर्चा करते समय मांगों की राशियों आदि के बारे में बहुत कम चर्चा कर रहे हैं और मंत्रालय की आलोचना करते जा रहे हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्यों से मांगों के बारे में ही अधिक जोर देने के लिये कहा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह महसूस करता हूं कि माननीय सदस्यों को मांगों के बारे में ही अधिक बोलना चाहिये। किन्तु अपने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि माननीय सदस्यों को अपनी सभी प्रकार की समस्याओं को सभा के सामने रखने का अवसर मांगों पर बोलने के समय ही मिल पाता है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : माननीय सदस्य के दल के सदस्य श्री शिवप्पा ने भी सामान्य भाषण ही दिया है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : हम मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा के समय पिछली सब शिकायतों और कमियों का उल्लेख करके उन्हें दूर करने के लिये सुझाव देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को अपनी-अपनी कठिनाइयां हैं। प्रत्येक सदस्य प्रत्येक मांग के बारे में विस्तार पूर्वक नहीं बोल सकते हैं। माननीय सदस्य अपने अनुभव के आधार पर सुझाव देकर हमारा मार्ग-दर्शन कर सकते हैं।

Shri V. N. Jadhav (Jalna): Mr. Deputy Speaker, I rise to support the Demand of the Food and Agriculture Ministry. It is a matter regret that even after twenty years of our independence we could not solve our food problem and we have still to import foodgrains in large quantity every year. It is absolutely necessary to give a serious thought to this problem and find out some ways to solve this problem and get rid of these imports.

[श्री गु० सि० ढिल्लों पीठसीन हुए
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

Our population is increasing at very fast rate and this increase in population is making the already difficult food situation more difficult but we could not make proportionate progress in the field of agriculture with result that we are still dependent on foreign countries in the matter of foodgrains.

Agriculture is the main industry of our country in which a vast majority of our population is engaged. The farmer has still to depend on nature in the matter of irrigation. We are not able to produce food enough for our country. Japan, America, Israel and Farmosa have made great progress in agriculture and the farmer in these countries have got all the facilities required for agriculture and they are very prosperous. Although only a small per centage of population of these countries is engaged in agriculture, they are in a position to produce much more foodgrain than the requirements of their respective countries. These countries export foodgrains to other countries.

The Government have not given due priority to agriculture in our planning. It was given priority in the First Five Year Plan but in the Second Five Year Plan industrial sector was given priority. The result is that we are facing difficult food situation.

The position in the matter of fertilizers is also not satisfactory. Fertilizers in our country are very costly. The farmers do not get required input at cheap rates. He is not, therefore, in a position to increase the production. Till we are able to supply various inputs to farmers at reasonable rates, we will have to depend upon food imports. It will not be possible for us to achieve self-sufficiency in foodgrains by 1971-72 as was estimated by the Government earlier. We are importing chemical fertilizers. We should set up more fertilizer factories in the country to produce chemical fertilizers. At present cow-dung is being used as fuel in villages. Similarly sewage is also being wasted. Both cow-dung and sewage should be used as manure.

Geographical conditions in different part of the country vary: Research laboratories should be set up in different parts to conduct research work keeping in view the Geographical conditions in these particular areas of the country. Laboratories in science colleges should be assigned a specific research project each for ridding the country of such pests as rodents and worms.

While concluding I beg to submit that hail storm caused a great damage to crops in Maharashtra in the month of March. Therefore I request the Central Government to help Maharashtra to meet their food deficiency.

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : Mr. Chairman, all the schemes formulated for increasing our agricultural production have not been implemented properly by our officers and these have failed to improve our agriculture. The reason for this failure is that Government officials are not honest and they are always busy in merry making. Our Five Year Plans have proved utter failure. These were not drawn properly and their implementation has always been faulty. There is no coordination among the various departments connected with our planning. Our plans have been prepared city oriented and rural areas have been neglected in our Plans. Government should pay more attention to the development of rural areas in order to attain self-sufficiency in the food front and to make the country prosperous.

The plight of agriculture labour is miserable. He is still exploited by the big land owners. The fact is that land is owned by those who are not actually engaged in agriculture. People prefer to adopt some other profession because agriculture is no more a profitable profession. The agriculture labour does not show any interest in his work because he is not paid his due. That is why we are not able to increase our food production. I, therefore, submit that the land should be given to the actual tiller of the land.

Government have imposed ceiling on rural property while there is no ceiling on urban property. There should also be a ceiling on urban income just there is a ceiling on rural holding.

Dr. Susbila Nayar (Jhansi) : An unanimous voice has been raised that we should be self-sufficient in foodgrains and we must not depend on imports. It was as back as in 1949 that Shri Jawahar Lal Nehru while on tour in America stated that India expected to be self sufficient in foodgrains by the next year. On being asked if India could not achieve self sufficiency by that time, he told that they would prefer to die with hunger than to beg. Now it is 1968 and though we had a bumper crop this year, even then we are required to import foodgrains to the tune of 7 to 8 million tonnes.

Now if we analyse the reasons for our failure in achieving self sufficiency in foodgrains, we come to the conclusion that though we talked much about achieving self sufficieney in foodgrains, we had not given due importance to agriculture in our Plans. From the figures it is evident that our total agricultural expenditure was 15% in the First Plan, 12% in the second Plan and then 15% in the Third Plan. It is on a very low side, as compared to the income we have from agricultural sector. While our income from agriculture has always been above 50%, we had been very miser so far as the expenditure on agriculture was concerned. Moreover whatever money was meant for helping the farmer did not reach him. The Programme Evolution Organisation has observed that case studies indicate that no single agency, Panchayat Samiti, Co-operative society or the department concerned seems to be effective in meeting the various types of credit needed by the cultivator. Distribution of loan funds by different departments has not done away with either in efficient utilisation of credit or delay in sanctioning it.

The organisation has further observed that in the districts where multiple agencies operate in the distribution of credit to cultivator, there is no evidence to show that a working plan is drawn up for co-ordinating the loan activities of different agencies. It means that there is complete lack of co-ordinations and the needs of the farmer are not fulfilled. The community Development Programme, which was launched for the fulfilment of the needs of the farmer has totally failed in its objectives.

We have a good crop this year, but the farmer complains that the procurement price is low and he is not getting his due for his labour. So it is necessary that reasonable floor price should be fixed for the foodgrains and the farmer should be assured that he would get a reasonable profit in foodgrains, so that there might be no temptation for the farmer to take to cash crops.

We are talking about creating a buffer stock of 3 million or 5 million tonnes. I would like to know from the Hon. Minister whether any attention has ever been paid to the storage of foodgrains. The condition of our ware houses is deplorable and huge quantity of our foodgrains is being wasted due to bad and defective storage. It is not all, nearly 25 per cent of our

foodgrains are wasted by rodents. If this wastage is stopped, we can be self sufficient, even without producing more.

Now I would like to say a few words about land reforms. Though we have abolished Zamindari system in theory, yet in actual practice the land does not belong to the tiller. The fruits of the labour of the tiller are taken away by somebody else and that is why our farmer is not producing more. I emphasise that land reform should be properly implemented and the land should be given to the actual tiller.

So far as the shortage of sugar is concerned I want to point out that we have a very large number of palm trees and sugar can be produced from them. But instead of producing sugar, we are wasting this huge potential of sugar by producing toddy. It has been said in a Madras State's Report that Rupees 6 crores worth of Jaggery and Rs. 4 crores worth of other Products are now produced in Tamilnad and this has accordingly become a major cottage industry in the State. I want to know why this palm juice is being wasted for the manufacture of wine. There is shortage of sugar in the country and more and more palm juice should be used for the manufacture of sugar.

Lastly I would like to point out that the greatest need of the hour is proper co-ordination. There is a great need of a co-ordination effort at maximising food production. Supply of fertilizers, good seeds, irrigation facilities etc. are going to be of no use, if they are not properly co-ordinated.

गैर-सरकारी कम्पनी द्वारा विमान सेवा चलाने के बारे में **

RE: OPERATION OF AIR SERVICE BY A PRIVATE COMPANY

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I am raising this half-an-hour discussion as a result of an answer to a question given by Shri Karan Singh on 1st March, 1968. In reply to a question on 1st March, the Hon. Minister had stated that so far no permission had been given for scheduled services to any private party. This position has considerably changed now, because in reply to a question on the 22nd March, the Hon. Minister had stated that the only private party who had applied for a permit to operate scheduled services in respect of the route Calcutta-Cooch-Behar-Hasimara-cooch-Behar-Calcutta was Messrs Kalinga Airlines and their application was under consideration.

First of all I would like to know whether the application has been submitted in the period between 1st March and 22 March and that is why a considerable change has been effected in your reply. So far as non-scheduled services are concerned you have stated in your reply that the Jamer Company of Rajasthan has been permitted to operate non-scheduled services. But in your reply on 22nd March, you have stated that Kalinga Airlines also applied for permit to operate non-scheduled flights from Mohanbari to the following seven airfields in Nefa and then yo have stated the names of those seven airfields. You have furthur stated that they have been permitted to do so subject to compliance with the prescribed conditions as well as security clear nce of their crew by the Defence Ministry.

**आधे घंटे की चर्चा

** Half-an-Hour Discussion

So there is an apprehension in my mind that the House had been deliberately kept in dark on 1st March, so far as the matter of Kalinga Airlines is concerned or was it possible that the Kalinga Airlines had applied to operate scheduled services and non-scheduled services after 1st March and by 22 March, they had been allowed to operate non-scheduled services and their application for scheduled services was under consideration. In this connection I would also like to point out that the Public Accounts Committee has called for investigation of certain charges of violation of certain laws, evasion of taxes and selling certain supplies meant for air dropping for Indian troops in NEFA in black market levelled against the Kalinga Airlines. The enquiry is going on. So I would like to know the reasons why Government had permitted the Kalinga Airlines—a company who had violated certain laws, evaded taxes and had sold certain supplies meant for air dropping for our troops in NEFA—to operate non-scheduled services and why their application for operating a scheduled services is in the eastren region is being considered ?

I have tried my best to understand the distinction between scheduled service and non-scheduled service, but the distinction is so thin and misleading that I have been unable to understand it. From the statement given by an Hon. Minister on 29th March, 1962 in this House it appears that the distinction is only in name, because he had said :

"No new element has been introduced into this Bill. It only says that the present services that are run under the so called name of "non-scheduled" should be called "scheduled services" according to the definition they are scheduled. Either the I.A.C. should take them over—we are hoping that they would take over—or we should regularise them by amending the Act." Thereafter for having an effective control of these services Section 18 (e) of the said Act was amended. But the amendment was not made at a proper time. It was made at the time when the Second Lok Sabha was at its fag end. It would have been better if the amendment would have been done after the constitution of Third Lok Sabha. Moreover I would also like to point out that the amendment of Section 18 (e) is against the letter and spirit of the Industrial Policy Resolution while trying to draw a clear distinction between the scheduled service and non-scheduled service, the Rajadeksh Committee had observed in their report that having regard to the definition of scheduled Air transport service contained in rule 3 of the Indian Airport Rules, 1937, the distinction between a scheduled service and a non-scheduled service appear to be these :

1. In the case of a scheduled air transport service, a licence is issued by the air transport licensing board, while in the case of a non-scheduled service, a permit is issued by the Director General of Civil Aviation.

2. A scheduled air transport service operates between places defined in a time-table.

3. A scheduled air transport service may advertise its operation whereas a non-scheduled service may not.

I would like to know a more clear distinction between the scheduled service and non-scheduled service from the Hon. Minister.

The Rajadeksh Committee has also observed in their Report that the condition's of permit are frequently evaded in practice by private operators. One of the conditions which the non-scheduled operators have to comply is the submission of the monthly return of operations to the Director General of Civil Aviation. I would like to know whether the monthly

returns of operations, as required under this condition, are being submitted by the seven companies, who had been permitted to operate non-scheduled services. If these returns are being furnished by these companies, the Hon. Minister will be having the information of passengers and freight carried over by the private non-scheduled operators. I would like to know about the passengers and freight carried by the private non-scheduled sector and the public sector.

The private operators are also required to submit to the Director General of Civil Aviation a schedule of rates and other charges for chartering different types of aircraft in their possession within seven days of the grant of their permit or renewal thereof. I would like to know whether this condition is fulfilled by these companies and if not, why their licences are not cancelled?

It is the responsibility of the operator of a non-scheduled air transport service to whom permit has been granted to ensure that no goods prohibited from being carried under any law for the time being in force are carried in the air craft operated by him. I would like to know whether the Minister has received any complaints that non-scheduled services are using their planes for smuggling goods. The Hon. Minister should kindly state the steps, which are being taken to ensure that this condition, which the non-scheduled operators are required to comply is being complied with.

Under the rules the operations to foreign countries are not to be permitted, except on the production of a 'No objection' certificate from both Air India and Indian Air Lines Corporation. I would like to know from the Minister whether this condition is being fulfilled, so far as operations to foreign countries by non-scheduled operators are concerned.

I would like to know whether it is a fact that free travelling facility has been given by I.A.C. to non-scheduled operators in its planes. I think it is most unjustified. I would like to know why this is being allowed?

Lastly I would like to point out that there is some confusion about the scheduled and non-scheduled operations. The whole position should be clarified.

Shri Rabi Ray (Puri): I am thankful to Shri Madhu Limaye for raising this half-an-hour discussion.

Firstly I would like to draw the attention of the Hon. Members that the Ministry of Transport and Civil Aviation had sanctioned land for constructing personal air ship to Mahesh Yogi. In this connection I want to say that nearly 2,000 landless peasants had been fighting for many years to get that land. But the land had not been granted to them and now that land had been granted to Mahesh Yogi. There are certain rules of the Government that land should be given to the landless tiller. My party had been fighting for the cause of those landless farmers, but no useful purpose had been served. So I request that that land should not be given to Mahesh Yogi, and that should be distributed among those landless peasants.

Though Government says that public sector is being expanded, but it is private sector which is being expanded. The Kalinga Airlines is owned by Shri Biju Patnaik, who is a Congress leader. This company was given a contract for air dropping supplies to Indian Troops in NEFA at the time of Chinese attack in 1962. However, those blankets and other articles

meant for our Jawans were sold in black markets in Calcutta and an enquiry was going on into the matter. But even after this incident, the Government was considering to give some routes to certain private companies, namely, Air Survey Company of India, Airways India, Bharat Commerce and Industries, Combata Aviation, Jamair Company, Kalinga Airlines and Kasturi and Sons. We would like to know who are the owners of these companies and whether the Indian Air Lines Corporation is unable to operate on these routes.

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : The question of Kalinga Airlines has been raised on the floor of the House many a times, but it is very unfortunate that nothing has so far been done in this matter. The Kalinga Airlines had evaded income-tax and had done bungling in the provident fund account of its employees. I want to know from the Hon. Minister as to why Government do not confiscate the aircrafts and other belongings of this company in lieu of the amount of income-tax evaded by the company and operate their own services on those routes. I would also like to know the results of the enquiry that has been instituted against the Kalinga Airlines and whether a copy of the findings of that enquiry will be laid on the Table of the House.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : प्रश्न के उत्तर से तथा श्री मधु लिमये ने जो कुछ कहा है, उससे पता चलता है कि अनुसूचित उड़ानों तथा गैर-अनुसूचित उड़ानों के लिये अलग-अलग विधान तथा नियम हैं। गैर-अनुसूचित उड़ानों के लिये नियम बनाये हुये हैं, परन्तु अनुसूचित उड़ानों के लिये नियम नहीं बनाये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित उड़ानों के लिये नियम क्यों नहीं बनाये गये हैं। यदि अनुसूचित सेवाओं के लिये भी नियम बनाये हुये होते, तो वे पार्टियां जो लाइसेंस प्राप्त करने की शर्तों को पूरा करती हैं, आवेदन-पत्र दे सकती थीं और लाइसेंस प्राप्त कर सकती थीं। नियम के न होने के कारण किसी को लाइसेंस देना और किसी को लाइसेंस न देना लाइसेंस देने वाले की मन मर्जी पर निर्भर है। इस सम्बन्ध में नियम बनाये जाने चाहिये थे।

दूसरे 16 मार्गों पर अनुसूचित सेवायें चलाने का सुझाव दिया गया है। सरकार को इस सम्बन्ध में निजी उद्यमों को प्रोत्साहन देना चाहिये। मैं यह बताना चाहता हूं कि विमान यात्रा के इच्छुक लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा हमारे एयरवेज इस मांग को पूरी करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके अतिरिक्त किसी सरकारी उपक्रम के लिये यह आवश्यक है कि उसे गैर-सरकारी क्षेत्र से होड़ करनी पड़े, तभी वह अच्छी तरह से काम कर सकता है। इस बात को देखते हुए भी यह जरूरी है कि गैर-सरकापी संचालकों को अनुसूचित सेवायें चलाने की अनुमति दी जाये।

गैर-अनुसूचित उड़ानों के बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि तत्सम्बन्धी नियमों को अधिक उदार बनाया जाना चाहिये।

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : My Hon. friend Shri Madhu Limaye has stated that there was some discrepancy contradiction in my first and second replies. My submission is that there was no contradiction. The first question was whether

any scheduled operator had been given permission and my reply was in negative. In the second question same information was asked in another form and in reply thereto I gave an additional information also that the Kalinga Airlines had applied for the scheduled service and that their application was under consideration.

The Hon. Member has also stated that whatever had been happening that was against the Industrial Policy Resolution. My submission is that that is not so. It is clearly stated in the Air Corporation Act passed by Parliament that private operators could operate both scheduled and non-scheduled services. There are many routes on which it is not possible for the Indian Airlines Corporation due to many reasons and factors such as non-availability of air crafts etc. It is also not possible for the Indian Airlines to operate on those routes which are only periodical and not an all weather route. So our aim is that where Indian Airlines is unable to oprerate, private Airlines should be given a chance in the interest of public convenience. I think it would not be a good policy not to allow the private operators, even when Air India Corporation is unable to operate its service. It will be a "dog in the manger policy".

The Hon. Member has raised many questions regarding the relations between the scheduled and non-scheduled operations and he wanted to know the percentage of passengers and goods carried by scheduled and non-scheduled flights. I want to say for the information of the Hon. Member that in 1966, 2.4 per cent passengers were carried by the private non-scheduled sector and 97·6 per cent by the Indian Airlines. Similarly 40 per cent freight was carried by private airlines and 60 per cent by Indian Airlines.

The Hon. Member has also asked whether monthly returns are being furnished by the private operators. I want to say that monthly returns are being furnished by the private operators.

So far as the question of giving free tickets to private operators by Indian Airlines is concerned, the necessary information is not available with me at present. It is however, possible, that by way of mutual courtesy the IAC might be issuing free tickets to private Airlines.

The Hon. Member has also asked about the distinction between scheduled service and non-scheduled service. I want to say that the Hon. Member has himself clarified this distinction. I want to say for the information of Hon. Members that it is under consideration of the Ministry that while in case of corgo non-scheduled services may be allowed to continue the passenger services should be operated as scheduled services.

The Hon. Member Shri Rabi Ray has asked as to why land had been given to Mahesh Yogi for an air strip. In this connection I want to say that the Ministry at the Centre had not given any land to Mahirishi Mahesh Yogi for an air strip. It is possible that he might have asked the permission of U. P. Government for landing his plane there, but we have no information about that.

Then a question has been raised about Kalinga Airlines and certain allegations have been levelled against that company. So far as the question of tax evasion by Kalinga Airlines is concerned, it is being dealt with by the Finance Ministry. A case of tax evasion by the Kalinga Airlines is pending in the court. If the court rules that the company had evaded tax and its planes could be confiscated, then that would be done.

Lastly I want to assure the House that whenever we receive information that a private air company had violated any rule, we will certainly take action against that.

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार 11 अप्रैल, 1968/22 चैत्र, 1890 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 11, 1968/ Chaitra 22, 1890(Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 8-10-1968—600